Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८८वां दिवस [संख्या ५४

गुरुवार, दिनांक १४ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर २० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न.

श्री मूलचन्द डागा.

नगरपालिका पाली

१५४४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) नगरपालिका पाली का चुनाव परिणाम कब घोषित कर दिया गया ?

(ख) नया बोर्ड किस तारीख से अपना काम शुरु करने लगेगा ?

(ग) क्या सरकार ने दो सदस्य अपनी ओर से नामजद कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या सरकार नगरपालिका, पाली के नये सभापति का चुनाव मौजूदा पालिका की अवधि ३ मई, १९५९ के समाप्त होने के पूर्व करवा देगी ? यदि नहीं, तो यह चुनाव कब तक होगा ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ६-४-५९ को

(ख) नये अध्यक्ष के चुनाव के बाद ।

(ग) जी हां, दिनांक ११-५-५९ को ।

(घ) ज़िलाधीश पाली को नये अध्यक्ष का चुनाव जल्दी से जल्दी कराने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सुनाई नहीं देता इसका कुछ इन्तज़ाम होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किन किन व्यक्तियों को नामजद किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यशोदा देवी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

धर्मपत्नि श्री शंकरलाल वर्मा और श्री बहरा राम पुत्र श्री धन्नाराम धामी।

प्र० सं० १५४५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्र० सं० १५४६

श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर,

आबादी में प्लाट्स का अलॉटमेंट

१५४७. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या आबादी भूमि के प्लाट्स केवल नीलामी द्वारा ही दिये जावेंगे।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत गरीबों को किस प्रकार प्लाट्स दिये जावेंगे ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ? लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक निश्चय नहीं हो जायेगा तब तक विचाराधीन रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल.

जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट की ट्रक सर्विस

१५४८. **श्री सूरजमल** (फलौदी—सु) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट नाम की ट्रक सर्विस किस की है व इनके कितने व कौन कौन मालिक हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस कम्पनी को कोई 'लोन' दिया हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कम्पनी में कुछ ही ट्रकों के परमिट होते हुए भी एक परमिट के पीछे पांच छः ट्रक बिना परमिट अलग अलग रूटों पर चलते हैं ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, यातायात मंत्री की ओर से): (१) यह एक प्राइवेट लिमिटेड कन्सर्न है जिस में शेयरहोल्डर्स की लिस्ट संलग्न है।

(२) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(३) यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.3

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपके पास सूचना नहीं है या लोन दिया ही नहीं गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग से नहीं दिया, यह सूचना है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : इस कम्पनी को कितने ट्रकों का परमिट मिला हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह लिस्ट इस समय नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार ने कोई जांच की है कि इसके पास कितने ट्रक्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच तो हमेशा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट से होती रहती है। जो पर्मिट्स इश्यू हुए हैं वह तो ट्रक उसके मुताबिक रखते हैं उसके अलावा कोई नहीं हैं, मैंने अपने उत्तर में यह स्पष्ट बता दिया है।

श्री गिरधारीलाल : आपने क्वेश्चन नम्बर ३ का उत्तर दिया कि यह सही नहीं है तो यह आपने किस आधार पर कहा जब कि आपको यह मालूम ही नहीं है कि कितने पर्मिट्स दिए और कितने ट्रक्स उसके पास हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो वही है। पर्मिट से ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं तो आप शिकायत करिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेरी सिटी): क्या आपने जांच की है कि कितने परमिट्स दिये गये और कितने ट्रक्स चल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, इसके बारे में पहले भी सवाल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जितने परमिट्स दिये गये हैं उतने ही ट्रक्स चल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : सवाल पूछा है कि क्या यह सही है कि इस कम्पनी में कुछ ही ट्रकों का पर्मिट होते हुए भी एक पर्मिट के पीछे पांच छः ट्रक बिना परमिट अलग अलग रूटों पर चलते हैं। यह बात सही नहीं है कि जितने पर्मिट्स हैं उतने ही ट्रक्स चल रहे हैं। यह आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपके इस सवाल को स्पष्ट मना करते हैं।

प्रश्न संख्या १५४६

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५०

श्री रूपाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १५५१

श्री गोकुलचन्द यादव।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

Page No.4

कृषि कॉलेज, उदयपुर का खर्च

१५५२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कृषि कॉलेज, उदयपुर में ५७-५८ व ५८-५९ में कुल कितना खर्च किया गया ?

(ख) इस खर्च में निर्माण कार्य में कितना व ऑफिसर्स के वेतन व भत्ते आदि में कितना खर्च लगा ? अलग अलग बतावें ।

उप-मंत्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण मुख्य मंत्री की ओर से) : कृषि कॉलेज उदयपुर में सन् १९५७-५८ में कुल खर्च ८,३५,८७४) ३६ नया पैसा तथा सन् १९५८-५९ में दिसम्बर सन् ५८ तक ५,५९,९६८) ५० नया पैसा हुआ ।

(ख) निर्माण कार्य में सन् ५७-५८ में कुल खर्च ४,४२,९१८) ०६ नया पैसा तथा सन् ५८-५९ में माह दिसम्बर ५८ तक २,७३,९०२) १० नया पैसा हुआ । ऑफिसर्स के वेतन व भत्ते आदि में कुल खर्च सन् ५७-५८ में ३,९३२५६) ३० नया पैसा तथा सन् ५८-५९ में माह दिसम्बर सन् ५८ तक २,८६,०६६) ४० नया पैसा हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो यह ६ लाख के करीब भत्ते का बताया है यह किस काम में लगाया गया । कृषि कॉलेज में किस प्रकार से आवागमन और इधर उधर जाने काम पड़ता है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो, ऑफिसर्स को इधर उधर आने जाने में काम पड़ता है और दूसरे कामों लगाया गया ।

श्री दयांकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह कृषि कॉलेज में आफिसर्स हैं या लड़के पढ़ते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यहां पर प्रोफेसर्स और लेक्चरार आदि हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ऑफिसर्स लोग कहां दौरा करते हैं, किसका पढ़ाने का काम है ?

श्री दौलतराम सारण : वह विभागीय काम के लिए राजधानी में आना पड़ता है कहीं कॉन्फ्रेन्सेज़ वगैरह होती हैं उनके सब्जेक्ट्स से संबन्धित जहां उनको इन्वाइट किया जाता है वहां आना पड़ता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितने दौरे किए गए ?

श्री दौलतराम सारण : आप अलग से प्रश्न पूछें तो इसका पूरा विवरण किया जा सकता है । लेकिन क्योंकि प्रश्न में आपने खर्चे के बारे में पूछा है इसलिए उसकी एक मुश्त रकम बता दी है । अगर आप पूरा विवरण पूछें तो मैं आपको बता दूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न पूछा है कि अलग अलग बताइये ।

Page No.5

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग आपने निर्माण का पूछा, वह बता दिया है और आपने वेतन व भत्ते का पूछा वह बता दिया। पर आपने खर्चे को डिटेल में नहीं पूछा है, अगर पूछें तो बतला सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या इतना अधिक जो ऑफिसर्स को टी० ए० और डी० ए० मिला है इसको उचित समझते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकतानुसार खर्च किया गया है, अधिक नहीं किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : किसी कॉलेज़ में इतनी बड़ी रकम भत्ते में खर्च की जाय तो यह बहुत ज्यादा है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो वेतन और भत्ता दोनों शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये यह तो वेतन व भत्ता दोनों ही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग बताइये।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग से मतलब निर्माण कार्य में और वेतन व भत्ते में कितनी खर्च हुआ। वह तो आपको बता दिया है।

श्री दौलत राम सारण : आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उसका खुलासा उत्तर दे दूंगा। लेकिन जो आपने पूछा है उसका तो उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कितने ऑफिसर्स के वेतन व भत्ते आदि में खर्च हुआ यह डबल अलग अलग चीज़ों को डिनोट करता है।

श्री दौलतराम सारण : ऑफिसर्स के वेतन व भत्ते को मद एक रखी जाती है। अलग पूछें तो मैं दुबारा उत्तर दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सरकार की नीति है कि कृषि कॉलेज़ के हर जगह ऐसे ऐसे भवनों की निर्माण किया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकतानुसार ही भवनों का निर्माण किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : जो जोबनेर का कृषि कॉलेज़ है वहां भी ऐसी ही ऑफिसर्स के भत्ते आदि में खर्च किया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : वहां जो ऑफिसर्स हैं उनकी आवश्यकतानुसार भत्ते की व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

ग्राम पंचायतों की अपीलों में वकीलों द्वारा पैरवी

१५५३. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री देवीलाल)

(क) क्या सरकार को विदित है कि ज़िले उदयपुर की तहसील पंचायत, सराड़ा में ग्राम पंचायतों की अपीलों में वादी प्रतिवादी की ओर से कुछ वकील पेशा लोग एजेन्ट बनकर आमतौर से पैरवी करते हैं ?

(ख) क्या पंचायत विभाग में ऐसे लोगों को पैरवी करने की इज़ाज़त है ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे लोगों को जो कि पंचायतों में पैरवी करते हैं रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं, सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १५५४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५५

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५६

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५७

श्री रामधन ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल ।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिक वर्क्स फैडरेशन का प्रतिनिधि

१५५८. श्री **गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे:—

क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाते वक्त यानि सन् १९५६ से इलेट्रिक वर्क्स फैडरेशन का प्रस्ताव कि उनका भी एक प्रतिनिधि बोर्ड में लिया जाये, सरकार के सामने था ? अगर हां, तो उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं उचित समझा गया ?

उप-मन्त्री विद्युत विभाग (श्री भीला-भाई) : बोर्ड का संगठन केवल इलेक्ट्री-सिटी (सप्लाई एक्ट १९४८) एक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत हुआ है इसमें किन्हीं भी निहित स्वार्थो का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें वही व्यक्ति लिये गये जो शासन विधि एवं संचालन के कार्यों से पूर्णतया परि-चित हैं ।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या जो फैडरेशन का प्रतिनिधि होता है तो उसमें फैडरेशन का निहित स्वार्थ रहता है। आपने कहा कि निहित स्वार्थ का प्रतिनिधि नहीं रखा जाता है क्या फैडरेशन का कोई

(श्री मुरलीधर व्यास)

व्यक्ति रहा तो उसका निहित स्वार्थ रहता है।

श्री भीखाभाई : इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा ५ के अन्तर्गत कहीं नहीं बताया गया है, कि उसमें यह बताया गया है कि फाइनेन्स का एक्सपर्ट हो उसको रखा जाये और टैक्निकल मेम्बर रखा जाये और दो नान-ऑफिशियल मेम्बर रखे जायें और जो क्वालिफिकेशन्स हैं वह धारा के अन्तर्गत ले डाउन कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल : नॉन ऑफिशियल दो मेम्बर हैं उनको तो ज़रा बता दीजिए ?

श्री भीखाभाई : श्री बी०डी० सोमानी और श्री बलवन्त राय मेहता।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : नॉन-ऑफिशियल की क्या क्वालिफिकेशन्स हैं ?

श्री भीखाभाई : एक्सपिरियन्स्ड हो और इन्डस्ट्रियल और कामर्शियल अन्डरटेकिंग्स को चलाने की दक्षता हो।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वर्कर्स ने अपने रिप्रेजेन्टेशन के लिए इस प्रकार की दर्ख्वास्त दी कि उनका प्रतिनिधि लिया जा जाये उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किसी इन्डस्ट्री या किसी डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट के लिहाज़ से बोर्ड का फोर्मेशन नहीं किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो नहीं है लेकिन जब दर्ख्वास्त दी, तो उस पर सरकार ने विचार किया कि वह उन्हें योग्य समझती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बोर्ड के फॉर्मेशन में डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट के लिहाज़ से नहीं होता है। वह उस बेसिस पर नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या आज हमारी यह स्थिति नहीं है कि वर्कर्स को इस प्रकार से समझा जाय कि जो काम करने का है उसमें वर्कर्स का हिस्सा होना चाहिए।

उप मंत्री विद्युत वभाग (श्री भीखाभाई) : एलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो क्वालिफिकेशन ले डाउन की हैं वही वहां है। जिनको एपोइन्ट किया गया है वह स्ट्रिक्टली according to rules under the Electricity Act है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अगर दो नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स को वर्कर्स की फेडरेशन की तरफ से ले लिया जाता तो जो क्वालिफिकेशन्स आवश्यक थीं उस स्थान के लिए, क्या वह क्वालिफिकेशन्स उनमें नहीं थीं जो कि बाकी के दो सदस्य लिये गये हैं उनमें थीं ?

श्री भीखा भाई : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उप मन्त्रीजी बतायेंगे कि श्री बलवन्तसिंह मेहता को जो नोमीनेट किया गया है वे क्या इन्डस्ट्री के पॉइन्ट ऑफ व्यू से या इलेक्ट्रिसिटी के पॉइन्ट ऑफ व्यू से योग्य हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रशासनिक प्वॉइन्ट ऑफ व्यू से लिया गया है । वे एम. पी. बहुत अर्से तक रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्लानिंग कमिशन में लेबर मिनिस्ट्रिर श्री गुलज़ारीलाल नन्दा की स्पष्ट सिफारिश है कि जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हों उनमें लेबर का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन की यह स्पष्ट सिफारिश है ।

श्री रामकिशोर व्यास : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कहीं पर भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नॉन ऑफिशियल के लिए आवश्यक नहीं है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ससीरियन्स होना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह ज्यादा मुनासिब है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहीं पर भी इन्डीकेशन हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धाराओं में ? इस बात का किसी प्रकार सकते हैं कि जिस संकेत के अनुसार नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स होना लाज़िमी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह ज्यादा हिस्सा देते है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें ।

श्री रामकिशोर व्यास: आपने जो पूछा है उसका ही जवाब मैंने दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अन्दर क्या ऐसा प्रावधान है या इस एक्ट में यह मेन्शन किया गया है कि इन्डस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी के प्वॉइन्ट ऑफ व्यू से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ? आपने कहा कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स था । तो क्या उस वक्त के अन्दर इस प्रकार की कोई आवश्यकता थी जिस आवश्यकता के आधार पर सरकार यह कह सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स के व्यक्ति को ही नॉन ऑफिशियल में मनोनीत किया जा सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया प्रशासनिक एक्सपीरियन्स के आदमी मिलते हैं तो ज्यादा अच्छी तरक्की दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह समझा जाय कि इन्डस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स का गुण रखते हैं तो उस गुण के आधार पर नोमीनेट किये जा सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : किया ही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : बोर्ड के फॉरमेशन के लिए ऐसी बात नहीं है जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड के लिए वे कहते हैं कि जो उद्योग चलते हैं उसकी संचालन समिति में उसके हिस्से रहने चाहिए। बोर्ड के संचालन के लिए उनकी सिफारिश इस प्रकार की है। संचालन में किसी उद्योग के अन्दर उसके प्रतिनिधि होने चाहिए, और प्लानिंग कमीशन की यह सिफारिश है । आपने कहा कि इस प्रकार से नहीं है तो मेरी समझ में नहीं

Page No.9

(श्री मुरलीधर व्यास)

आया कि बोर्ड से आप क्या मतलब समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा कि बोर्ड के अन्दर डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट के रिप्रेजेन्टेशन के हिसाब से फॉमेंशन नहीं होता है। यह इंडिया में किसी भी जगह नहीं है। दूसरी जो बोडीज़ होती है उसमें इस प्रकार से होता है जहां तक इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का ताल्लुक है उसमें इस प्रकार से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लिहाज़ से उसका फॉर्मेशन नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : बोर्ड भी एक उद्योग है। उस उद्योग का संचालन करने के लिए वह है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह एक्ट में दिया हुआ है। आप मुलाहिज़ा फर्मा लें।

ज़िला जल बोर्ड, भीलवाड़ा द्वारा कुंओं के लिए दी गई धनराशि ।

१५५६. श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ज़िला जल बोर्ड, भीलवाड़ा ने तत्कालीन तहसीलदार, आसिन्द श्री रघुवीरसिंह के समय में दौलतगढ़ की ग्राम की कितनी कुइयों के लिये कितनी धनराशि स्थानीय सरपंच के बड़े भाई श्री रतनसिंह को दी ?

(ख) क्या उक्त रकम उन कुइयों पर खर्च नहीं करके झूठा हिसाब देने से प्रश्नकर्ता की मार्फत स्थानीय जनता की शिकायत प्रदेश जल बोर्ड के दफ्तर में भिजवाये जाने पर कोई अधिकारी वहां पहुँचा था ? यदि हां, तो कौन और उसने क्या कार्यवाही की ?

(ग) सरकार ने उस रकम की वसूली के लिये क्या कदम उठाये हैं और फ़र्जी हिसाब देने वाले के खिलाफ़ क्या कानूनी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मन्त्री स्वायत्तशासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) दो कुइयों के क्रमशः ५००), ५००) रु० कुल १०००) रु० ।

(ख) जी हां। मंत्री जल बोर्ड, तहसीलदार और प्रश्नकर्ता श्री जयसिंह द्वारा मौका देखा गया था और जांच की कार्यवाही आरम्भ की गई जो अभी जारी है।

हिसाब की जांच ऑडिट विभाग द्वारा की जा रही है। वहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री जयसिंह : जांच कब से चालू है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १५.११.५७से।

श्री जयसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि इस ज़िले से सरकार ने कभी का मुकम्मिल हिसाब मंगा लिया है और अब तक पैसा नहीं दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयन्दा के लिए रुपया मन्जूर कर दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह रुपया जो उनको दिया गया है वह किस

(श्री पी. के. चौधरी)

केपेसिटी में श्री रतनसिंह को रुपया दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच ने लिखा है और जलबोर्ड ने दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : जलबोर्ड से रुपया लिया, he has taken that money for these wells because he is the brother of the Sarpanch ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल बोर्ड से जो रुपया दिया जाता है वह पब्लिक के लिए पानी के लिये दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : Is he a social worker ?

श्री जयसिंह राणावत : अब कितना समय और लगेगा कार्यवाही में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट की रिपोर्ट आते ही जल्दी ही कर देंगें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आम तौर से रुपया सरपंच को दिया जाता है तो यहां पर सरपंच के बड़े भाई को क्यों दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: जल बोर्ड जिसको मुनासिब समझता है वह आम तौर से एक कमेटी बनाकर देते हैं। वह कमेटी नहीं आती है तो उसको (सरपंच) दे देते हैं।

प्रश्न संख्या १५६०

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जिला बोर्ड सीकर की बकाया रकम

१५६१. **श्री रावतराम** (चुरु-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िला बोर्ड, सीकर ने जनवरी, १९५६ में ग्राम मन्ढा सुरेरा, तहसील दांता रामगढ़ के शेखरचन्द शर्मा को इस गांव के लिये सांड खरीदने हेतु ३५०) रु० दिये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि ज़िला बोर्ड ने सांड खरीदने के लिये धनराशि देते समय शेखरचन्द शर्मा से इकरारनामा लिखवा लिया था ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने अभी तक इस गांव के लिये सांड नहीं खरीदा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सत्य है कि ज़िला बोर्ड ने तहसीलदार, दांता रामगढ़ के मार्फ़त लिखित यह आदेश दिया था कि ३५०) रु० शीघ्र वापस जमा करावें परन्तु अभी तक इस का कोई परिणाम नहीं निकला ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, शेखरचन्द शर्मा की रकम को गबन करने की मन्शा रही।

(घ) जी हां, ज़िला बोर्ड सीकर को इस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

संबंध में सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है।

श्री रावतराम : शेखरचन्द शर्मा कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आदमी मालूम पड़ते हैं।

(ज़ोर से हंसी)

श्री रावतराम : यह आदमी तो है लेकिन क्या ये पदाधिकारी थे पंचायत में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ज़िला बोर्ड ने दिये हैं उन्हीं को ज्यादा मालूम होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि ज़िला बोर्ड ने राज्य सरकार से इस बात की अनुमति मांगी है कि इस मामले को पुलिस में दिया, जाय उसकी अनुमति दी जाय?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज़िला बोर्ड को संबधित व्यक्तियों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही करने के लिए लिख दिया गया है।

श्री रावतराम : क्या कानूनी कार्यवाही हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो ज़िला बोर्ड करेगा, कानूनी कार्यवाही जो भी उचित समझेगा वह।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : ज़िला बोर्ड को कब लिखा गया है ? किस तारीख को लिखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब शिकायत आई तब लिखा गया है।

श्री गिरधारीलाल : कब आई शिकायत और किस तारीख को लिखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तारीख अभी मेरे पास नहीं है।

श्री रावतराम : क्या कानूनी कार्यवाही करने के लिए सरकारी आदेश की आवश्यकता है बोर्ड को?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड अपने आप कर सकता है।

श्री रावतराम : अगर ज़िला बोर्ड कोई कार्यवाही नहीं करता है तो क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड को लिख दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या इस तरह से स्पष्ट लिखा है कि ज़िला बोर्ड के भंग होने से पहले पहले कम से कम वह कार्यवाही करली जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी मन्शा तो यही है।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष, दुबारा मैं यह पूछना चाहता हूं कि जल बोर्ड को किस तारीख को लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : अगर वे नहीं लिखते तो भी ज़िला बोर्ड को कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि वह इलेक्टेड बोडी है। रूल्स के अनुसार उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। इस बात का किसी पर मुकद्दमा चलाये यह उनके अधिकार की बात है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अगर ज़िला बोर्ड कार्यवाही नहीं करे तो क्या सरकार का यह फ़र्ज़ नहीं होता है कि ऐसे गुनाहगार आदमी के खिलाफ़ कार्यवाही करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा है कि बोर्ड को लिख दिया है। आप उसको गलत क्यों मानते हैं ?

श्री रावतराम : लिखने के बाद क्यों नहीं किया तो फिर करने का है या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिखने के बाद उनको करना चाहिए। उनको डायरेक्शन दे दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो दुबारा लिख देंगे।

श्री रावतराम: ज़िला बोर्ड नहीं करता है तभी तो सवाल है कि सरकार को कार्यवाही करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : ऑफेन्स कॉगनीजेबल है या नॉन-कॉग्नीजेबल है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

बाड़मेर जिले में नाजायज सोने का व्यापार

१५६२. श्री **अनोपसिंह** (बालोतरा) ; क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले में १६५७–५८ में माहवार कुल कितने केस नाजायज़ सोने के व्यापार के पकड़े गये ?

(२) कुल कितनी कीमत का सोना बरामद हुआ और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध केस चालान होकर, सज़ा हुई, कितने केस कब से पेंडिंग हैं ? तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(३) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ केस चलाये गये पर साबित नहीं हुए ?

(४) क्या ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ सेन्ट्रल सी. आई. डी. की जांच शुदा रिपोर्ट है पर उसके खिलाफ केस दायर ही नहीं किये गये ?

मंत्री गृह विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १६५७ में २२ केसेज तथा सन् १६५६ में ३८ केसेज नाजायज सोने के व्यापार के पकड़े गये।

(२) सन् १६५७ व १६५८ में कुलसोना ६१०३७५ रू० का पुलिस द्वारा पकड़ा गया और ६५ मनुष्य पकड़े गये। कुल सोना व मनुष्य गिरफ्तार शुदा लैण्ड कस्टम डिपार्टमेंट को वास्ते कार्यवाही जाफ्ता सुपुर्द कर दिये गये इसलिये इनके खिलाफ जो कुछ कार्यवाही हुई पुलिस डिपार्टमेंट बताने में असमर्थ है। अतः लिस्ट पेश करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) भाग २ के जवाब को मद्दे नज़र रखते हुए सवाल पैदा नहीं होता।

(श्री अनोपसिंह) -

(४) कोई ऐसा मामला एस० सी० बाड़मेर के पास पैडिंग नहीं है जिसमें सेन्ट्रल सी. आई. ड. द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट वास्ते कार्यवाही की गई हो।

श्री अनोपसिंह : क्या तहसील पचप-दरा के गांव में सोना पकड़ा गया था ४ लाख के करीब का ? जितना बरामद हुआ उसकी क्या मात्रा है और जो बरामद नहीं हुआ उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने इन्डिविज्युअल केस के लिये दर्यापत नहीं फरमाया।

श्री अनोपसिंह : यह तो अर्ज किया गया था कि कितना पकड़ा गया उसके साथ लिस्ट देनी चाहिये थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविज्युअल केसेज़ में कितना पकड़ा गया इसके बारे में आपने पूछा नहीं। आपने पूछा कि ५७-५८ में कितना पकड़ा गया उसका उत्तर दे दियागया है। हर केस के बारे में दर्यापत फरमाते, तो जान कारी दी जाती।

श्री अनोपसिंह : प्रश्न के भाग (४) के जवाब में आपने फरमाया कि सेन्ट्रल सी. आई. डी. की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है तो क्या ईसाराजर और एक्स एम. एल. ए मोहम्मद हादी के साथी शरीफ आदि हैं उनके खिलाफ सेन्ट्रल सी. आई. डी. ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि ये लोग गोल्ड का स्मगलिंग करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने सुना नहीं, दुबारा फरमाइये।

श्री अनोपसिंह : क्या ईसाराजर और एक्स एम. एल. ए. महोम्मद हादी के साथी शरीफ आदि हैं वे गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और उनका चालान नहीं किया जाता है इस बारे में सेन्ट्रल सी. आई. डी. ने रिपोर्ट नहीं दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सेन्ट्रल सी. आई. डी. के सामने मामला दर पेश नहीं है, आप सूचना दे रहे हैं तो जानकारी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस के पास इस बात की शिकायत आई है कि एक्स एम. एल. ए. हादी और उसके साथी गोल्ड स्मगलिंग करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। अलग से जानकारी करके कहूंगा।

ग्राम शिमला, तहसील खेतड़ी में "बी" श्रेणी का अस्पताल

१५६३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि संचालक, आयुर्वेद विभाग के पत्रांक ५८८८ दिनांक २८-११-५३ के अनुसार ग्राम शिमला, तहसील खेतड़ी, ज़िला झुंझुनूं में "बी" श्रेणी का औषधालय खोलने का तय किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त औष-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

धालय को बाद में "सी" श्रेणी में बदल दिया गया ?

(ग) वर्तमान में इस औषधालय में वैद्य कौन है तथा कब से कार्य कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि जब से नये वैद्य स्थातान्तरण होकर यहां गये हैं तब से एक दिन भी दवाखाना नहीं खुला है ?

मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वैद्य श्यामसुन्दर काम कर रहे थे परन्तु जनता द्वारा शिकायत की जाने पर उनका परिवर्तन कर दिया गया उन्होंने वहां लगभग ५ माह, जून सन् ५८ से अक्टूबर ५८ तक कार्य किया था । इस समय उप वैद्य कार्य कर रहा है तथा शीघ्र ही एक योग्य वैद्य भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) इस सम्बन्ध के जांच की जा रही है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या कारण है कि पहले 'बी' श्रेणी का दवाखाना खोला गया और बाद में दूसरी श्रेणी में बदल दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले कहा गया था कि 'बी' श्रेणी का खोला जायगा वहां के लोगों ने वायदा किया था कि मकान वगैरा का इन्तज़ाम करदेंगे लेकिन मकान का इन्तज़ाम नहीं किया, अभी तक सराय में चल रहा है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां के लोगों ने इन्कार नहीं किया था कि व्यवस्था नहीं करेंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब भी धर्मशाला में चल रहा है अबभी मकान की व्यवस्था कर देंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां के वैद्य का स्थानान्तरण कर दिया है लेकिन दूसरा अब तक क्यों नहीं पहुंचा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह छुट्टी चला गया था और जिसका वहां पर ट्रान्सफर किया उसकी वाइफ बीमार हो गई । अब दूसरा भेज रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह (श्री मामोपुर): क्या यह सही है कि वैद्य का स्थानान्तरण करने पूर्व उसकी शिकायत हुई थी ? लेकिन उसकी प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी भी नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके व्यवहार के बारे में शिकायत थी और कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह माना जाय कि उसका स्थानान्तरण शिकायत के कारण नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैद्य स्वयं भी शिकायत कर रहे थे और लोगों ने भी शिकायत की थी इसलिए दु-तर्फी शिकायत को देख कर तबादला करना अच्छा समझा ।

श्री भैरोंसिह : प्रश्न यह है कि स्थानान्तरण शिकायत से हुआ या नहीं

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

और जो शिकायत की गई उसकी प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी की गई या नहीं ? या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण तबादला किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि वैद्य स्वयं भी वहां नहीं रहना चाहता था और जनता ने भी शिकायत की थी, इसलिये यही ठीक समझा कि उसका ट्रान्सफर करदी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्थानान्तरण की आज्ञा में इस बात का संकेत नहीं था कि स्थानान्तरण इस कारण से हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आवश्यक नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कुछ और फर्माया और कहा कि शिकायत से निकाला और मिनिस्टर साहब कुछ और फर्मा रहे हैं। दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं ?

श्री भीखाभाई : दोनों ही तरफ से शिकायत हो सकती है।

वन विभाग के फोरेस्टरों की योग्यता और उनका वेतन

१५६४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) क्या मंत्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) वन विभाग में फोरेस्टरों की नियुक्ति के लिये क्या कोई अधिकतम या निम्नतम योग्यता निर्धारित कर रखी है ?

(२) राजस्थान में कितने फोरेस्टर्स हैं तथा वे किस किस योग्यता के हैं ?

(३) फोरेस्टरों का वेतन क्या है ?

(४) क्या जो फोरेस्टर अधिक योग्यता के हैं उन्हें निम्न वेतन पर न रखकर, उनकी योग्यता के वेतन पर रखने का सरकार विचार रखती है ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, वन मन्त्री की ओर से) : (१) जी नहीं।

(२) ३६१ इनकी योग्यता निम्नलिखित है :

६ इन्टर पास, ४१ मैट्रिक पास, १ विशारद, ७ हिन्दी मिडिल, २३६ नाम मात्र लिखना पढ़ना जानते है। ६४ स्थानों पर हैड गार्ड अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं।

(३) ४०—२—६० वेतन श्रृंखला है।

(४) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि जब फोरेस्टर्स को अपोइन्ट किया गया तब कुछ लोग ऊंचे दर्जे पर यू० डी० सी० आदि थे या डिप्टी रेन्जर थे उनको रिड्यूस करके फोरेस्टर बना दिया गया और उनका वेतन रिड्यूस किया गया।

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ लोग इन्टीग्रेशन के ज़माने से चले आ रहे थे, नये नहीं लिये गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कोटा में फोरेस्टर के पद पर लिया गया था और उनसे यह कहा था कि बाद में रेन्जर बना देंगे इसलिये कुछ ग्रेज्युएट आये और कुछ लोग जो ऊंच्च पद पर यू० डी० सी० आदि का काम करते थे उनको भी अपॉइन्ट किया गया और बाद में कह दिया कि तुम को फोरेस्टर ही रखेंगे और उनको ४०–२–६० का ग्रेड दिया गया जब कि आलरेडी वे इससे ज्यादा पा रहे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्रेज्युएट्स को ४०–२–६० का ग्रेड में लेना मुनासिब नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन्टर. पास को किस ग्रेड में रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : है तो इसी ग्रेड में लेकिन कुछ मजबूरी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इन्टर पास को आप चपरासी की तनख्वाह में रखना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजबूरी है दूसरी एम्पलॉयमेंट उनको नहीं मिली इसलिये इसमें आ गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ में यू० डी० सी० वगैरह थे उनको रिड्यूस किया गया।

कृषि कोटे के लोहे का वितरण

११६५. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या खाद्य व रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कृषि कोटे का लोहा ज़िलावार सन् ५८, ५६ में कितना कितना दिया गया है और उसमें से गर्डर्स कितने कितने दिये गये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि पिछले ४ वर्षों में ज़िला गंगानगर के कृषि कोटे में गर्डर बिल्कुल नहीं दिये गये ?

(ग) क्या यह सच है कि सन् ५८, ५६ में ज़िला जोधपुर को ८० टन गर्डर दिया गया ?

उप मन्त्री खाद्य व रसद विभाग (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान में सन् ५८, ५६ में कृषि कोटे का लोहा ज़िलेवार निर्धारित किया गया उसकी तालिका संलग्न है। गर्डर्स नहीं दिये गये ?

(ख) यह सत्य नहीं है। कृषि कोटा में गंगानगर में गर्डर्स दिये थे।

(ग) यह भी सत्य नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): कितने गर्डर दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

श्रीमती सतवन्तकौर : गर्डर नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय एवेलेबल नहीं थे ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या वहां पर मकान नहीं बने ?

श्री दौलतराम सारण : ज़रूर बने होंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : जोधपुर में ८० टन गर्डर दिये गये या कितने दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर में ५८-५६ में कोई कोटा नहीं दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : ८० टन कब दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : पहला कोटा १५ टन १३ हंडरवेट, ५८-५६ में दिया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : और गंगानगर में ?

श्री दौलतराम सारण : २३ टन ५८-५६ में ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कोटा वितरण करने का आधार क्या रहता है ?

श्री दौलतराम सारण : खेती करने वालों की आबादी का आधार रहता है ।

श्री गिरधारीलाल : कोटा क्या जोधपुर और गंगानगर के लिये ही है और जगहों के लिये नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर वालों को ज्यादा दिया है । वहां किसान हैं भी ज्यादा ।

श्री गिरधारीलाल : दूसरी जगह क्यों नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट दी गई है ।

श्री दौलतराम सारण : सब जगह दिया है ।

पिक्चर पैलेस, उदयपुर

१५६६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार ने किन किन शर्तों पर उदयपुर में सूरजपोल के बाहर पिक्चर पैलेस' बनाने की मेसर्स सांघी ब्रदर्स को स्वीकृति दी थी ?

(ख) उक्त शर्तों के अनुसार मियाद कब समाप्त होती है ?

(ग) क्या यह सही है कि पिक्चर पैलेस के बिल्कुल पास में एक दूसरा सिनेमा घर बनाया जा रहा है ?

(घ) नया सिनेमा घर कौन बना रहा है और इसे बनाने व चलाने की सरकार ने कब स्वीकृति दी ?

मन्त्री गृह विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी आया नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : काफी दिन हो गये हैं । डिपार्टमेंट से सूचना क्य

(श्री सोहनलाल भटनागर)

नहीं आई जब कि एक डिपार्टमेंट से कंसन्ड है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुराने मेवाड़ के ज़माने की बात है पूरा रेकार्ड दस्तयाब नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आगे के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी तैयार नहीं है।

प्रश्न संख्या १५६७

श्री अध्यक्ष : श्री मोडूलाल।

(अनुपस्थित)

कमला नेहरू अस्पताल, कांकरोली

१५६८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीका-नेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि कांकरोली के महाराजा ने उस जमीन को बेच दिया जिस पर प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कमला नेहरू अस्पताल की नींव रखी थी ?

(२) इस अस्पताल के लिए कितनी धन राशि एकत्रित की गई व वह अब कहां है ?

उप मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। महाराज ने उस जमीन को बेच दिया था लेकिन सरकार ने उस पर किसी को भी मकान वगैरह बनाने को रोक दिया है।

(२) कोई धन राशि एकत्रित नहीं की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : पंडित नेहरू ने कमला नेहरू अस्पताल का शिला-न्यास किया था, किस आधार पर उनको बुलाया गया था और क्या बात थी जो शिलान्यास किया गया ?

श्री भीखाभाई : महाराज की ऐसी इच्छा था कि वहां पर अस्पताल खोला जाय और उनकी इच्छा के अनुसार जब पंडित नेहरू मेवाड़ आये थे तब राजस्थान का निर्माण भी नहीं हुआ था उस समय इनके द्वारा इसकी नींव डाली गई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि महाराज ने सार्वजनिक स्थान के लिये यह स्थान दे दिया था ?

श्री भीखाभाई : उन्होंने अस्पताल बनवाने के लिये स्थान दिया था लेकिन फंड्स इकट्ठे नहीं होने के कारण अस्पताल नहीं बन सका इसलिये उन्होंने बेच दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थान के तौर पर दिया जाता है तो उनको बेचने का अधिकार नहीं रहता है ?

मन्त्री स्वायत शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): अलॉट करने का सवाल नहीं था। अस्प-ताल के लिये नींव डाली गई थी लेकिन फंड्स इकट्ठे नहीं हुए थे इसलिये बेच दी, उन्होंने कोई डीड नहीं लिखा था।

Page No.19

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह माना जाय कि अस्पताल बनाने के लिये कोई इन्तज़ाम नहीं था और बिना इन्तज़ाम कर लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : शिलान्यास का पत्थर किस के अधिकार में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानकारी की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट प्रोपर्टी थी तभी तो भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री द्वारा शिलान्यास किया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह बहुत पहले की बात है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हां बहुत पहले की थी, सवाल यह है कि बाद में सरकार ने क्या कार्यवाही की कि अस्पताल खोलें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार द्वारा कार्यवाही का सवाल पैदा नहीं होता । उस ज़मीन पर नींव डलवा ली गई थी । उन्होंने कहा था कि पैसा इकट्ठा करके नींव डलवाई है । कोई प्राइवेट आदमी नींव डलवा ले तो उसमें कोई रुकावट नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : जिस पर शिलान्यास किया गया वह व्यक्तिगत प्रोपर्टी थी या सामूहिक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यक्तिगत प्रोपर्टी पर मकान बना सकता है, इस पर अगर अस्पताल बनता है तो उसमें क्या रुकावट है ।

श्री गिरधारीलाल : अस्पताल व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, सामूहिक चीज़ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने दूसरे भाग का जवाब दिया है कि कोई दान राशि एकत्रित नहीं की गई । मन्त्री महोदय, क्या बतायेंगे कि पैसा किसके पास में है, क्योंकि शिलान्यास के लिए पैसा जमा हुआ है । उसके बाद उसका क्या हुआ, इसकी जानकारी की जाय ?

श्री अध्यक्ष : सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं है, ऐसा जवाब क्यों दिया । ऐसा कह देते कि जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उनकी जानकारी में नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नहीं कहा । नहीं है, ऐसा कहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

जोधपुर डिविजन में सरकार पर हुई डिक्रियां

१५६६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे । :

(श्रीमूलचन्द डागा)

सन् १९५८ व १९५९ में किन किन मुकदमों में कितने रुपयों की डिक्रियां जोधपुर डिविज़न में सरकार पर हुई और सरकार अब तक कितना रुपया दे चुकी है ?

मंत्री विधि विभाग (श्री रामकिशोर व्यास): सन् १९५८ व १९५९ में २५ डिक्रियां जोधपुर डिविज़न में सरकार पर हुईं, जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। जिसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

इस तालिका के अनुसार सरकार पर ६८,६०३।।।)।।। की डिक्रियां हुई जिसमें ३,६२७।।।-)।।। का चुकारा हो चुका है और ३२,७९८≋)।।। की कार्यवाही चल रही है शेष ३२,३०४।।≋। अभी नहीं देने हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अपील दायर हो चुकी है जिनका फैसला नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार पर इतनी डिक्रियां एक दो साल में हुई हैं। ऐसे मामलों में सरकार निपटारा क्यों नहीं कर लेती है और खर्चा क्यों लगाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिन मामलों को वाज़िब समझते हैं उनका निपटारा कर लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : डिक्री की रकम चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, आपने लिखा सूची में कि इजाज़त ली है कि कम्प्रोमाइज़ कर सकें। काफी डिक्रियां हो गई हैं आप चुकाने के लिए तैयार नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तय होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्लेम ठीक समझता है तो मान लेता है और जिनको नहीं समझता है उनको नहीं मानता है।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : सरकार जांच करवाये कि डिक्रियां होने का क्या कारण है और कौन कौन ज़िम्मेदार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कारण यह है कि अदालत ने उसको ठीक माना है।

श्री मूलचन्द डागा : जो दावे कन्टेस्ट करते हैं, उसमें से ९० पर्सेन्ट में सरकार पर डिक्री होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सूची बता रही है कि ९० पर्सेन्ट मुकदमों में सरकार पर डिक्रियां हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने लिस्ट पूछी है कि कितने में डिक्री हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह(श्री माधोपुर): जितने दावे कन्टेस्ट किये गये;उनके लिए क्या लॉ डिपार्टमेंट ने ऑपिनियन दी थी कि ये कन्टेस्ट किये जायें।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है।

प्रश्न संख्या १५७०

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १५७१

श्री चुन्नीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

कस्बों में बिजली लगाने की योजना

१५७२. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पूतली) : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जयपुर के किन किन कस्बों में बिजली लगाने की योजना है ?

(२) कोटपुतली कस्बे में बिजली लगाने का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

उप मन्त्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) लालसोट, चौमू, दूदू, फुलेरा और सांभर ।

(२) राजस्थान को शक्ति की नापाकूती (लोड सर्वे) चल रही है, यदि कोटपुतली कस्बे में बिजली देने की व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रही तो इसको तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने की चेष्टा की जावेगी ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिन गांवों के नाम आपने बताये, इन गांवों के बारे में पिछली दफा एक सवाल के जवाब में माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि एक साथ बिजली की योजना लागू की जायगी ? जिन गांवों के नाम अभी आपने बताये; जिन गांवों में बिजली लगाने की योजना लागू की जायगी, उनके साथ कोटपुतली को रखा था ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं ।

श्री पी.के.चौधरी (फुलेरा): फुलेरा, सांभर, चौमू के नाम आपने बताये, यह बतायें कि किस क्षेत्र में किस साल में बिजली लगेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : १९६० में बिजली सप्लाई की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

गवर्नमेन्ट प्रेस द्वारा जयपुर स्टेशनर्स से सामान की खरीद

१५७३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री, मुद्रण तथा स्टेशनरी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५८-५९ में गवर्नमेंट प्रेस द्वारा जयपुर स्टेशनर्स से लगभग चार लाख रुपये का सामान खरी-दने का टेन्डर स्वीकार हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि जयपुर स्टेश-नर्स ने यह माल बम्बई की कोरस कम्पनी से दिलाया था जिससे सरकार को सेल्स टैक्स का काफी घाटा हुआ है ?

(ग) क्या यह सही है कि कोरस कम्पनी ने भी ऐसा सामान देने के लिये ऐसा टेन्डर दिया था परन्तु सेल्स टैक्स द्वारा सरकार को होने वाली आमदनी में कमी होने का विचार कर, इस टेन्डर को नामंजूर किया गया था ?

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

(घ) कोरस कम्पनी से सामान दिला कर जयपुर स्टेशनर्स ने एग्रीमेंट के विपरीत जो कार्यवाही की है उस सम्बन्ध में तथा जिन अधिकारियों के कारण सरकार को यह घाटा हुआ है उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायगी ? कृपया सेल्स टैक्स के घाटे का अनुमान का एक वक्तव्य तथा एग्रीमेंट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

मन्त्री, मुद्रण तथा स्टेशनरी विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां सन् ५८-५६ में स्टेशनरी का सामान कीमती रु० ३२३८५७.२५ नये पैसे का, मुखतलिफ गवर्नमेंट प्रेसों को सप्लाई करने का ऑर्डर मेसर्स जयपुर स्टेशनर्स को दिया गया था।

(ख) जयपुर स्टेशनर्स ने स्टेन्सिल्स पेपर, कार्बन पेपर व टाइप रिबन्स में कोरस इन्डिया प्राइवेट लि० बम्बई से सप्लाई करवाये थे जो कि इन चीज़ों के निर्माता हैं इन आइटम्स का कुल ऑर्डर २३७,४३४ रु० का दिया गया था। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को इस सामान के खरीद में रु० ६४६६ की बचत रही है यदि उक्त सामान बम्बई की फर्म से स्वीकार नहीं किया जाता तो लेखन व मुद्रण विभाग को ६४६६ रु० जयपुर स्टेशनर्स को इजाफा देने होते जो उनकी ओर से सेल्स टैक्स के रूप में वापिस जमा करवाये जाते। वस्तुस्थिति से प्रगट है कि सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ग) यह सही है कि कोरस कम्पनी ने भी माल देने का टेन्डर प्रेषित किया था लेकिन टेन्डर निर्धारित तारीख को निर्धारित समय पर नहीं पहुँचने के कारण एडहाक परचेज़ कमेटी के द्वारा अस्वीकार किया गया। इस टेन्डर को अस्वीकार करने का और कोई दूसरा कारण नहीं था।

(घ) प्रश्न ख के उत्तर से एग्रीमेंट का खंडन एवं किसी अधिकारी के कारण सरकार को घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एग्रीमेंट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट की प्रतिलिपि मुझे नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्रीमेंट में इतना है. फलां फलां नाम, प्रिन्टेड फोर्म पर है, उसमें है कि इतने का ठेका दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीमेंट में यह शर्त है कि माल जयपुर से दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम्पनी जहां पर है, वहां से माल सप्लाई होता है।

श्री भैरोंसिंह : आम तौर पर जिस फर्म से माल खरीदा जाता है, वहीं से माल सप्लाई किया जाता है। बम्बई से माल क्यों सप्लाई किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह फर्म एक तरह से उसकी एजेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कोरस कम्पनी ने माल जयपुर स्टेशनर्स के मार्फत माल सप्लाई किया है ?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, माल करने का कॉन्ट्रेक्ट इनका है, एक प्राइवेट कम्पनी बम्बई में है, उसके द्वारा माल सप्लाई हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न है कि बम्बई से माल डाइरेक्ट मिला या जयपुर स्टेशनर्स के मार्फत मिला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमको डाइरेक्ट मिला ?

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने क्या यह जांच करवाई कि जो डाइरेक्ट माल आने से सेल्स टैक्स की आमदनी हुई है, यदि जयपुर स्टेशनर्स के मार्फत माल लेते तो ज्यादा आमदनी होती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मामला पर्चेजिंग कमेटी के सामने आया था, उसने विचार करके गवर्नमेंट से सेंक्शन लेकर माल सप्लाई कराया।

श्री भैरोंसिंह : यह पर्चेज़िंग कमेटी का प्रश्न नहीं है। सेल्स टैक्स से इन्कम का प्रश्न है। आपने सीधा बम्बई से माल लिया। क्या इससे सरकार को सेल्स टैक्स में घाटा नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें घाटे का प्रश्न पैदा नहीं होता। बाहर से खरीदा इसलिये सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सेल्स टैक्स के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया ? क्या सेल्स टैक्स को हटा कर था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेन्डर में लिखा हुआ था....

श्री भैरोंसिंह : जो रेट प्रेस्क्राइब्ड की उसके मुताबिक सेल्स टैक्स के बारे में कोई कन्डीशन थी। अपनी शर्तों के अनुसार सरकार ने इस प्रकार से क्यों नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको गलत फ़हमी मालूम होती है। मैं कहता हूँ कि इसमें सेल्स टैक्स नहीं था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि कोरस कम्पनी से आपने माल खरीदा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह गलत है।

श्री पी० के० चौधरी : जयपुर स्टेशनर्स ने सेल्स टैक्स इन्क्लूड करके ही टेन्डर दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कवरिंग लेटर था उसमें यह बात थी....

श्री पी० के० चौधरी : सेल्स टैक्स किसने दिया बोम्बे से जो माल आता है उसका You had to pay.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने नहीं दिया। हमको तो ६,३०० का फ़ायदा हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know whether it is condition where goods are supplied from one State to another, they had to pay inter-state sales tax. So I will like to know whether you have paid that ?

श्री अध्यक्ष : He has said that

(श्री अध्यक्ष)

clearly that the Government has not paid.

श्री पी० के० चौधरी : Then it is presumed that the other party has paid.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है। मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप दूसरा कोई प्रश्न पूछें तो उसका दूसरा जवाब दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : Is it not a fact that stationery quotations which were given included inter-state-sales tax and Rajasthan Sales Tax is not paid ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बहुत साफ़ कह दिया है। कवरिंग लेटर में लिखा था कि सेल्स टैक्स इसके अलावा।

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know as who has paid the due tax ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have told you very clearly, we have not paid, and I don't know who paid.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि अगर वह यहां से माल लेते तो उनको ६ प्रतिशत सेल्स टैक्स मिलता और वहां से केवल एक प्रतिशत मिला।

श्री अध्यक्ष : देना भी तो पड़ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमको तो फ़ायदा हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : One percent is paid to the Central Government and one percent goes to our State.

श्री अध्यक्ष : But the rates were exclusive of the...

श्री पी० के० चौधरी : They were all inclusive...

श्री अध्यक्ष : He is denying.

श्री पी० के० चौधरी : Then who paid the sales tax.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't know about the Company. I can say about the Department. It has not paid. आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट देता नहीं है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Does it not mean that the prices were inclusive of the Sales Tax...

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : No. It does not mean.

श्री अर्जुनदास: When the supplier was to pay the sales tax...

श्री पी० के० चौधरी : Besides it goes to the consumer.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर हमको देना पड़ता तो उनका टेन्डर आया था उसमें कहा था कि सेल्स टैक्स अलग होगा। हमने माइनस किया।

Page No.25

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know the position. The Sales tax is paid by the consumer. All over the State Government has paid or has...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Both position

श्री अर्जुनदास : The Tender prices were inclusive or exclusive of the Sales Tax? If it was inclusive, he was not bound. What is the position ?

श्री पी० के० चौधरी : Who has paid the Sales Tax ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have said it very clearly.

अगर आप बार बार कोई बात कहें तो भी कोई बात नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : No. I want to know who has paid the Sales Tax and who is to be blamed for the purpose without paying the sales tax ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You presume. I don't admit this.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(स्थगित प्रश्न)

प्र० सं० ११५०

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द्र ।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस का उत्तर दे दिया जाए।

जालोर सब-इन्स्पेक्टर व हैड कॉन्सटेबिल के खिलाफ शिकायत

१५४६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर श्री अनूपसिंह द्वारा पूछा गया) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जालोर सब-इन्स्पेक्टर व हैड कॉन्सटेबिल सादूलसिंह के खिलाफ कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो वह कब आई और उस पर क्या एक्शन लिया गया है ?

मंत्री गृह विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, एस. पी. जालोर को दिनांक २३. १०. ५८ को मिली और सी. आई. जालोर को इसकी जांच करने के लिये नियुक्त किया गया किन्तु जब जांच हो रही थी तो वादी श्री शान्तिलाल ने लिखित रूप में दिया कि वह स्थानीय पुलिस से जांच करवाना नहीं चाहता है । और किसी सी. आई. डी. ऑफिसर को जांच पर नियुक्त करने की प्रार्थना की, अतः एक सी. आई. डी. ऑफिसर नियुक्त किया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : शिकायत किस सम्बन्ध की थी ।

श्री रामकिशोर व्यास : चालान वगैरह नहीं पेश करने की थी।

प्रश्न संख्या १५४६.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

जीप स्टेशन वैगन आर. जे. के. ८७४

१५५०. श्री रूपाराम (नोखा सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या तारीख ६. ८. ५८ को जीप स्टेशन वगैन नम्बर आर. जे. के. ८७४ से सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़ जंक्शन अपने निजी काम से विथ फेमिली गंगानगर गये थे? यदि हां, तो कितने रोज़ गंगानगर रहे और माईलोमीटर कितना आया?

(ख) क्या यह सत्य है कि तारीख ६. ८. ५८ से ११. ८. ५८ तक गाड़ी नम्बर आर. जे. के. ८७४ को गंगानगर में ट्रैफिक पुलिस ने चैक करके रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो रिपोर्ट का क्या नतीजा रहा?

उप मंत्री सिंचाईविभाग (श्री भीखाभाई) (क) ता. ६. ८. '५८ को सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर हनुमानगढ़ सरकारी गाड़ी न. आर. जे. के. ८७४ में निरीक्षण के लिए श्री गंगानगर गये और १२. ३० बजे वहां पहुँचे। १०. ८. ५८ और ११. ८. ५८ को वहां रहे। और १२. ८. ५८ को सवेरे ८.१५ पर हनुमानगढ़ के लिए वापस चले और ११ बजे हनुमानगढ़ पहुंचे।

(ख) जीप नं० आर. जे. के. ८७४ ट्रैफिक रूल्स के सम्बन्ध में कोई अनियमित्तता नहीं थी अतः ट्रैफिक पुलिस द्वारा चैक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथा अभी तक पुलिस से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : किस काम के लिए गये थे।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको मालूम होना चाहिये कि तीन में से दो गंगानगर में ही रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि वे विथ फेमिली गये थे?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो यही था कि वे अपने निजी काम से विथ फेमिली गंगानगर गये थे। फिर आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को कल के लिये रख दिया जावे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): वह मेरिड था या अनमेरिड था।

श्री रामकिशोर : यह नहीं कह सकता।

श्री गिरधारी लाल : इसको कल पर रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : कल तक तो इसका उत्तर नहीं आ सकता।

श्री गिरधारीलाल : सरकारी काम के लिए जाते हैं तो क्या अपनी फेमिली को साथ लेकर गये थे?

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह

(श्री रामकिशोर व्यास)

कहते हैं कि गया था तो मान लें कि विथ फेमिली गये थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि मान लें कि गये थे तो मैं यह मान कर चलता हूं कि गये थे। लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर जाता है तो क्या फेमिली को भी अपने साथ ले जा सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : हाऊस में पहले डिस्कस हो चुका है। इसका पहले रूल्स में प्रोविज़न नहीं था इसलिए ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये गए हैं कि जब सरकारी ऑफिसर टूर पर जांय तो अपनी फेमिली को साथ नहीं ले जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले रूल्स में मुमानियत थी नहीं इसलिए अब सरकुलर जारी किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह एक दफा हाऊस में डिस्कस हुआ था। उसके बाद सरकुलर इश्यू किया कि सरकारी गाड़ी को ऑफिसर फेमिली के लिए काम में न लें, यह रूल्स में व्यवस्था न होने से किया गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोई ऑफिसर बीमार हो गया तो फेमिली बिना उसकी तिमारदारी कौन करेगा ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : ए. जी. ने क्या सरकार का इस प्रकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ऑफिसर जब सरकारी ड्युटी पर जाते हैं तो अपनी फेमिली को साथ ले जाते हैं जो कि नहीं लेजाना चाहिए। उसने सरकुलर भी बताया था।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी की गाड़ी जा रही है और कोई एम. एल. ए. उसमें चला जाता है या कोई चला जाता है तो उसमें क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : आप तो काश्मीर भी जा सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी ऑफिसर को ले लीजिये। कोई उधर जाना चाहता है जहां की गाड़ी जा रही है उसमें चला जाता है तो क्या नुकसान होता है। यहां तो यह देखा जाता है कि क्या गवर्नमेंट की प्रोपर्टी का नुकसान किया जा रहा है या नहीं।

ठा० मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Whether they can use vehicles for their families.

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट की लायेबिलिटी उस पर पड़ती है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है कि ऑर्डर जारी किया उसके पहले क्या कोई नियम या सरकुलर ऐसा नहीं था कि सरकारी ड्युटी पर जाते समय ऑफिसर फेमिली को अपने साथ नहीं ले जा सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

ए. जी. के हुक्म से इन अधिकारियों और सबसे मोटे अधिकारी गवर्नर जनरल के यात्रा व्यय को भी काट दिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे इल्म में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकुलर कब इश्यू किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब यहां पर बातचीत आयी थी।

श्री भैरोंसिंह : पिछले सैशन में आयी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसी सैशन में आयी थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है ? किसी ऑफिसर ने निरीक्षण किया है। और किया है तो क्या उस आफिसर ने अपने इमीजियेट ऑफिसर को इसकी जांच की रिपोर्ट भेजी है ?

प्रश्न संख्या १५५५.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५६

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

तहसील दौसा में कुए बनवाने व तालाबों की मरम्मत के लिए सहायता।

१५५७. रामधन (दौसा–श्री रामकरणसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील दौसा में सन् ५५ से ५६ तक किन किन ग्रामों में कुओं के बनवाने व तालाबों की मरम्मत के कार्य के लिये कितनी कितनी सहायता ज़िला बोर्ड, जयपुर से दी गई ?

(२) क्या वह कार्य पूरे हो चुके ? अगर हां, तो क्या सरकार ने उनका हिसाब नियमानुसार ले लिया ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि दौसा तहसील में ज़िला बोर्ड द्वारा जो पैसा दिया जाता है वह किसी कानून कायदे के माफिक नहीं, किन्तु जी चाहे वैसे दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज़िला बोर्ड ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

खत्म हो रहे हैं तो शिकायत ही खत्म हो जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : अब तक जो दिया गया है, उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रुपया खर्च नहीं हुआ है तो उसको वापिस देने के लिए हिदायत कर देंगे।

श्री रामकरणसिंह : जिनका हिसाब नहीं आया है तो क्या उनसे ज़िला बोर्ड रुपया वापिस मंगा लेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : या तो रुपया या हिसाब दे देंगे।

श्री रामकरणसिंह : हिसाब नहीं दिया है और रुपया युटिलाइज़ नहीं किया है, उनका मिसयूज़ हुआ है तो क्या सरकार रुपया उनसे वापिस मंगा लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काम में नहीं आया है तो मंगा लिया जावेगा।

श्री मदनसिंह (दांता) : आपको मालूम है कि रात को पेमेन्ट हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

रेन्जर, इन्द्रगढ़ द्वारा जलाऊ लकड़ी काटने की स्वीकृति

१५६०. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा मु०) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि रेन्जर, इन्द्रगढ़ ज़िला कोटा ने २६ नवम्बर को रामकल्याण आत्मज जगन्नाथ ब्राह्मण ग्राम धनवां तहसील बड़ौदा को ४ गाड़ी जलाऊ लकड़ी काटने की स्वीकृति दी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि ६ दिसम्बर को उसी ग्राम की दूसरी पार्टी से मुकबरी करवा कर जांच चालू कर दी है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि मौके पर जाकर जांच हुई और लकड़ी जलाऊ काटा जाना साबित हुई ?

(घ) यदि हां, तो रेन्जर, इन्द्रगढ़ उक्त लकड़ी की चिट्ठी अब तक क्यों नहीं दे रहे हैं ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, वन मन्त्री की ओर से):—

(क) जी हां।

(ख) जांच चालू जरूर कर दी गई मगर किसी खास पार्टी की मुकबरी करने पर नहीं।

(ग) मौके की जांच से फोरेस्ट जुर्म होना पाया गया और तफतीश जारी है।

(घ) चिट्ठी देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १५६७.

श्री अध्यक्ष : श्री मोडूलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १५७०.

डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५७१.

श्री चुन्नीलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५०.

(स्थगित)

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल ।

ग्राम पंचायत सांगानेर के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

१५४५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सांगानेर ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नारायण वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत सरकार के पास आने पर जांच करवाई गई ?

(२) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा और उनकी क्या रिपोर्ट आई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध मान कर उक्त सरपंच को मोअत्तिल करने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सौंपा गया था ? यदि हां, तो कब और इसका क्या नतीजा रहा ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को मोअत्तिल करने के आदेश देने के पश्चात् भी कार्य करते रहने दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : Last question to be answerd.

उप मंत्री स्वाय शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, अवैध रूप से जमीन बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई ।

(२) माह जुलाई सन् १६५८ में मुख्य पंचायत अधिकारी द्वारा ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां, ३०. ६. ५८ को । जांच से आरोप प्राईमाफेसी ठीक बतलाये गये और अदालत में चालान की मंजूरीचाहीं गई है।

(५) जी नहीं, मोअत्तिल करने का कोई आदेश नहीं दिया गया क्योंकि पंचायत एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर) : चालान करने की इजाजत दी गई या नहीं ?

Page No.31

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी, दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : कब दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाल ही में लॉ डिपार्टमेंट में भेजा है और इजाज़त दी है।

श्री भैरोंसिंह : चीफ़ पंचायत ऑफिसर ने सन् १९५८ में रिपोर्ट पेश की तो तुरन्त ही अदालत को चालान कर देने के लिए कहा था फिर इसमें देर क्यों हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले यह केस एन्टीकरप्शन में गया था और हाल ही में वहां से आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : कहा तो यह जाता है कि तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है लेकिन हमको मिलती नहीं है जिससे कि सप्लीमेन्टरीज़ करने का अवसर नहीं रहता है मैंने प्रश्न के सम्बन्ध में मांगी थी किन्तु मुझे तालिका नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : लम्बी तालिका होती है। नोटिस ऑफिस में भेज दी जाती है।

श्री अनोपसिंह : वहां नहीं थी। सप्लीमेंटरीज़ पूछते हैं तो दिक्कत होती है। आयन्दा तालिका आसानी से मिल जाय इसके लिए हिदायत दी जानी चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रामधनजी का क्वेश्चन था तो मैंने कहा था कि ज़िला बोर्ड से रात को नियमों के विरुद्ध रुपया निकाला जाता है। नियम के विरुद्ध मांगा था और रात को रुपया निकाला गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमों के विरुद्ध नहीं दिया गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रात को पेमेन्ट हुआ है। रात को नियम के अनुसार कोई रकम नहीं दे सकते।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ): १९५६-६० में जो रुपया ड्रा किया था वह ३१ मार्च को पांच बजे तक सेन्क्शन होकर आया और फिर रात को ड्रा किया गया उसके लिए पूछते हैं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

९. १८ म. पू.

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री निरंजननाथ आचार्य (सभापति प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

९. १९ म. पू.

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७

(अग्रेतर खंडश : विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट बिल, १६५७ ।

खंड ४८ पर बहस हो रही थी ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ४८ बी पर कल जिस समय विचार हो रहा था उस समय एक विशेष बात को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था कि क्लॉज़ ४८ ए में जो बैटरमेन्ट चार्जेज़ का असेसमेन्ट होगा उसके लिए मोड ऑफ़ असेसमेन्ट का कोई प्रावधान या तरीका दिया हुआ नहीं है इस कारण से इस वक्त असेसमेन्ट में कई प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं । आगे जाकर रिविज़न, अपील का प्रोविज़न रखा है । जब रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि असेसर की राय से इत्तिफाक न करें और अपील और रिविजन करें । लेकिन मोड ऑफ़ असेसमेन्ट के बारे में कुछ बातें प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं तो यह दिक्कत होगी कि किस पोइन्ट पर किसी फैक्टर को चैलेन्ज किया जाकर रिविजन किया जा सकता है । लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस धारामें माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन करने का मान लिया । धारा बी को देखा जाय तो जिस प्रकार की बातें कल सदन में प्रस्तुत की गई थी उनको कोई विशेष महत्व नहीं रहता है ।

६. २१ म. पू.

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्याय, पदासीन)

उसमें अपने आप इन शब्दों के जोड़ने के कारण क्लेरीफिकेशन हो जाता है । इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी की ओर से जो संशोधन पेश किया जाय उस संशोधन को अगर आप स्वीकार करते हैं तो धारा ४८ बी में जो उलझन पैदा होने वाली है वह दूर हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करूंगा चूंकि धारा ४८ ए. पास हो चुकी है उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो पहले उस धारा पर बहस करने के लिये सदन की अनुमति ली जाय और उसको रिओपन किया जाकर उसमें पहले ४८ ए. में अमेन्डमेन्ट आ जाय उसके बाद ४८ बी. को लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय खंड ४८ ए. के लिये जो अमेन्डमेन्ट की बात कही है वह यह थी कि वेल्यू किस आधार पर डिटरमिन की जाय ४८ ए. में दर्ज है टू लेवी बैटरमेन्ट चार्जेज इसके अन्दर वेल्यू ऑफ़ दी प्रोपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिये, उसके बीच में मार्केट वेल्यू हो-जायगा । उससे काम चल जायगा इस कलॉज को रीओपन करके 'वेल्यू' के पहले 'मार्केट' शब्द को और जोड़ दिया जाय । इससे मैं समझता हूं सब दिक्कत दूर हो-जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : In Clause 48, market may be inserted.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४८ ए. को री-ओपन किया जाय ।

Page No.33

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि ४८ ए. को पुनर्विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४८ ए. को पुनर्विचार हेतु लिया गया।

प्रश्न यह है कि ४८ ए. के अन्तर्गत जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया है।

प्रश्न यह है कि ४८ ए को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४८ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि ४८ बी. को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४८ बी स्वीकार किया गया

क्लॉज ४८ सी

श्री **जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, ४८ सी. के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अगर ४८ए. और बी. के अन्तर्गत जो असेसमेंट होता है। उस असेसमेन्ट पर किसी आदमी को आपत्ति है वह एग्री नहीं होता है तो उस अवस्था में क्या किया जाय ? इस बारे में मैं आपसे निवेदन करूं हमने इस प्रकार के एक्ट्स बनाये जैसे नगरपालिका विधेयक जो हमने बनाया उसमें हाउस टैक्स के असेसमेंट का सवाल था। उस आपत्ति का निराकरण अपील द्वारा किया गया था। अपील उस अधिकारी के पास होती है जो जुडिशियल माइन्ड का हो कलेक्टर या अन्य अधिकारी जो जुडिशियल माइन्ड का उसके द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। लेकिन इसके अन्दर जिस प्रकार का प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान से ऐसा पता चलता है किसी आदमी को इस प्रकार के असेसमेंट से इन्कारी है आपस में वे एक मत नहीं हो सके उसके लिये एक आर्बीट्रेशन बिठाया जायगा ऐसा इसमें प्रावधान है वह आर्बीट्रेशन किस प्रकार का होगा उसके आर्बीट्रेशन एक्ट की उपधारा ७ है उसमें लिखा है :

The Provision of the Arbitration Act, 1940 (Central Act 10 of 1940) shall not apply to the arbitration under this section.

इसके अन्दर आर्बीट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा। आर्बीट्रेटर जो कुछ तय करेगा उस आर्बीट्रेटर के अवार्ड के लिए जो उप खंड ५ है उसमें लिखा है : If the State Government is satisfied after such inquiry as it thinks fit.........

यह अवार्ड सेट असाइड करने के लिए गवर्नमेन्ट पर छोड़ दिया है। कोई जुडिशियल ऑफिसर तय नहीं करेगा नल एन्ड वोइड करार देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट डिसीजन लेता है एक आर्बीट्रेशन गलत ढंग से लिया गया या उन्होंने किसी आदमी के साथ पक्षपात किया है उसका डिसीजन

Page No.34

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कौन करे। आर्बीट्रेटर्स जो नियुक्त किये हैं उन पर आर्बीट्रेशन एक्ट लागू नहीं किया है। आर्बीट्रेशन ठीक ढंग से हुआ या आर्बीट्रेटर्स ने मिसकन्डक्ट किया तो उसका डिसीज़न आपने गवर्नमेन्ट के एक ऑफिसर पर डाल दिया है यह किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता। इसमें कोर्ट डिसाइड करे। कोर्ट डिसाइड नहीं करता है तो उसको केवल एक ऑफिसर पर छोड़ देना गलत बात है। जिस ढंग से आर्बीट्रेटर्स नियुक्त किये गये हैं उनमें कौन कौन व्यक्ति होंगे यह दिया हुआ है। इसके अन्तर्गत तीन आदमियों को नियुक्त किया जायगा उन तीन आदमियों के अन्दर केवल एक आदमी ऐसा होगा जो भूमि के मूल्यांकन के मामले की जानकारी रखता हो। केवल एक आदमी के लिये यह क्वालिफिकेशन है कि वह भूमि के मूल्यांकन मामले के अन्दर एक्सपर्ट हो। एक तो वह होगा बाकी दूसरे दो हैं वे लेमेन हो सकते हैं। इनमें भी आप किसी जुडिशियरी के आदमी को नियुक्त करते हैं तो वह किसी तरह माना जा सकता है। आज हमारे यहां ऐसी कोई डिग्री नहीं जिसके आधार पर यह कह सके उस संस्था के द्वारा क्वालिफ़ाइड होने के बाद वह आदमी भूमि सम्बन्धी मूल्यांकन आदि सब मामलों में एक्सपर्ट होता है। ऐसी कोई संस्था नहीं। तो किस आधार पर नियुक्त किया जायगा इससे यह साफ़ ज़ाहिर होता है जिसको व्यक्तिगत जानकारी हो नगरपालिका के अन्दर नजूल का काम किया हुआ हो तो वह एक तरह से एक्सपर्ट हो गया। ऐसी हालत में कौन आदमी नजूल में एक्सपर्ट है यह नहीं कहा जा सकता और इसके बाद में दो आदमी ऐसे ले रहे हैं जो किसी भी मामले में एक्सपर्ट नहीं उनके लिए यह नहीं कह सकते कि वह यह भी जानते हां कि किस चीज़ का कितना मूल्य है फिर भी उनको उठाकर रखा जा सकता है, उन आदमियों को जुडिशियल एक्सपर्ट नहीं कहा जा सकता। किसी आदमी को पंच बनाते हैं जहां तक ट्रस्ट का ताल्लुक है उस ट्रस्ट के अन्दर इस प्रकार के आदमी होंगे, नगरपालिका के सदस्य होंगे, इन्जीनियर होंगे और भी बड़े बड़े आदमी होंगे वे सारे मसले को तय करेंगे अपीलेट ऑथोरिटी जो आर्बीट्रेटर्स को बिठाते हैं वे कितने योग्य होने चाहियें इस प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं है। रूल्स के अन्दर भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। धारा ५० और ५१ है जिसके अन्तगत रूल्स बनाये जा रहे हैं उसमें भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आर्बीट्रेटर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी। नगरपालिका विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान है किसी को असेसमेंट पर आपत्ति है तो वह कलेक्टर जो सेमी-जुडिशियल ऑफिसर है उसके पास अपील हो सकती है और वह जुडिशियल निर्णय ले सकता है। मुन्सिफ कोर्ट में जा सकता है। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान न होकर तीन आदमियों को नियुक्त किया जायगा उनकी क्या योग्यता है वह भी निर्धारित नहीं है। आर्बीट्रेशन सरकार अपनी मर्जी से एक दम खत्म कर सकती है। इस प्रकार से यह गलत धारा है इसको ठीक ढंग से नहीं रखा गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४८ में हमने यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया है कि मार्केट रेट के ऊपर बैटरमेंट चार्जेज तय किये जावेंगे। उसके

(श्री पी. के. चौधरी)

लिए ४८ सी में आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। आर्बिट्रेटर के पास केसेज जावेंगे वे क्वान्टम पर जावेंगे। स्कीम की वज़ह से कितनी वेल्यू बढ़ गयी है, आर्बिट्रेटर के पास वह सवाल जावेगा। असेसमेंट यह होगा कि १०० पर्सेन्ट ५०–२० पर्सेन्ट बढ़ गयी है। लेकिन जो कन्टेस्टिंग पार्टी हैं उनकी शिकायत यह रहेगी कि २० पर्सेन्ट है वह ज्यादा है। २० पर्सेन्ट स्कीम की वजह से नहीं बढ़ा है।

It is not because of the scheme. कन्टेस्ट होगा वह इस वजह से होगा। मार्केट एप्रिशियेशन ऑफ वेल्यू जनरली राइजिंग प्राइस इन्डेक्स से नहीं किया जाता है। वे कहेंगे कि ड्यु टु सम सरकमस्टान्सेज की वजह से, पॉपुलेशन में इन्क्रीज हुआ इस वजह से, उसके लिए प्राइस इन्क्रीज़ हुआ या कहेंगे कि नेशनल हाई वे इस कोने के पास से गया है

There is a general tendency in the rise of the index prices. ये और कई चक्कर हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइस इन्क्रीज़ किया। झगड़ा असेसर के पास जावेगा। इस बात का झगड़ा जावेगा कि एप्रिशियेशन ऑफ़ वेल्यू होगी, असेस किया It is not due to the scheme. ४८ ए में प्रोवाइड किया है बैटरमेंट चार्जेज लेंगे। हमारी स्कीम की वजह से वेल्यूएशन होगी। कीमतें बढ़ी उसको हम लेंगे न कि दूसरे फेक्टर्स से। आर्बिट्रेटर के पास सवाल जावेगा तो वह यह जावेगा कि मार्केट वेल्यू पर असेस किया है, मार्केट वेल्यू जो बढ़ी है वह स्कीम की वजह से नहीं बढ़ी है। जनरल प्राइस इन्डेक्स पिछले दस साल का देखेंगे।

There is a tendency that prices are always rising. जनरल प्राइस इन्डेक्स कन्टीनियुसली It is upward trend. अपवर्ड है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। प्राइस राइजिंग है one factor is general rise in the prices. उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, १२ पर्सेन्ट राइज़ हो जाता है तो यह कैसे हो जाता है?

How long term tendency is to rise लोग टर्म पोलिसी पांच सात पर्सेन्ट इन्क्रीज़ कर रही है। इसको चेलेन्ज किया जावेगा। It is not due to your scheme, but generalise in the price of the market. मार्केट में सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है तो लैंड पर अपने आप बढ़ता है। उसमें उसका हिस्सा है।

You are not entitled for the increase in the value of that land which is due to the general price in the whole country. एक बात है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, आज काफ़ी डेवेलपमेंट एक्टीविटीज़ चल रही हैं। मान लीजिये उस कस्बे के पास से नेशनल हाई वे होगा, या सरकार ने कोई रास्ता बनाया है, सड़क बनायी है इसकी वजह से प्लॉट की कीमत बढ़ गई है उसके लिए बैटरमेन्ट चार्जेज लेने की आवश्यकता नहीं है।

It is due to vicinity of a Naional Highway which has recently been declared प्राइस इन्क्रीज़ इस कारण तो उसके लिए बैटरमेन्ट चार्जेज ले लेने का अधिकार नहीं है। आर्बिट्रेटर के पास लोग जावेंगे, कन्टेस्ट करेंगे कि आपने असेस किया, मार्केट वेल्यू फैक्टर लिया, स्कीम की वजह से इन्क्रीज़ हुआ वह शामिल हुआ, जनरल प्राइस

(श्री पी०के० चौधरी)

के राइजिंग से इन्क्रीज़ हुआ वह भी है, नेशनल हाईवे, इन्क्रीज़ इन पॉपुलेशन और इन्डस्ट्री कायम किया शहर में इस वजह से हुआ You are not entitled to have betterment charges of those इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मार्केट वेल्यूएशन लेनें के बाद भी यह सवाल हमारे सामने आता है और इसको डिस्टिन्ग्विश करने के लिए आर्बिट्रेटर को एड्रेस करने के लिए ४८ सी में किया है। अमेन्डमेन्ट लाकर इसको मंत्री महोदय क्लेरिफाई कर दें कि आर्बिट्रेटर के पास जावेगा ..

These factors will have to be taken into consideration. नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल हाई कोर्ट में जा सकता है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में पास किया तो वहां भी यह डिफिकल्टी हुई थी। बैटरमेंट चार्जेज है।

That has been reduced to the recovery of the cost alone.

आज उनके वहां पर एक्चुअल केल्कुलेशन कर रहे हैं On the basis of the cost of the scheme.

एप्रिशियेशन ऑफ वेल्यू का कर नहीं पाये People have challenged in the High Court. आप मार्केट वेल्यू पर कर रहे हैं उसमें खतरा है। मार्केट वेल्यू से करेंगे तो आर्बिट्रेटर के पास जावेगा तो He must distinguish. नेशनल हाई वे से होगा, इन्डस्ट्री खोलने से होगा एप्रिशियेशन ऑफ लैंड वेल्यू होगी असेस करके फिर हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मार्केट वेल्यू लाने सवाल और ज्यादा उलझ गया है। इस पर मंत्री महोदय को पूरी तरह से गौर करके करना चाहिये। मैं कहता हूं। It will be challnged in the High Court and I can assure that your betterment levy will be stopped.

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ४८ सी के अन्दर आर्बिट्रेटर मुकर्रर करने का तय किया है मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूं। म्युनिसिपल एक्ट में सरकार ने कलेक्टर्स को पॉवर्स दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खंड को पढ़ लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कलेक्टर्स को पॉवर्स दिये हैं तब इस एक्ट के अन्दर जो आर्बिट्रेटर मुकर्रर होगा, उसमें कम से कम या तो कलेक्टर्स को ही ये पावर्स दे दीजिये और कलेक्टर को नहीं देते हैं और इसको धारा में नहीं रखते हैं तो फिर किसी ज्युडिशियल ऑफिसर को दे दीजिये जो इस बात को तय कर सके। बैटरमेन्ट चार्जेज लगावेंगे तो किसी आदमी को संतोष तो होगा नहीं। वह अपील तो जरूर करेगा ही। अपील करेंगे तो बड़े आदमी होंगे तो हाईकोर्ट में भी जावेंगे, इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जजी में ले जायेंगे। इसके बनिस्बत ऐसे आदमियों को अधिकार देना चाहिये अपील सुनने का कि जिससे सब लोगों को संतोष हो सके। और ऑफिसर ने जो कुछ किया है उस पर विश्वास करके कि उसने ठीक ही किया है वह माना जावे। माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा-कि इस धारा में अमेन्डमेन्ट रख दूं जिससे कि जो अपील हो उसकी सुनवाई ठीक ढ़ंग से हो।

Page No.37

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ४८ सी में प्रोविजन है वह सिर्फ इतना सा ही है कि यदि डिस्प्यूट हो कि बैटरमेन्ट चार्जेज क्या होंगे उस वक्त यह मामला आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया जावेगा। उसमें तीन आदमी होंगे। उनमें से कम से कम एक आदमी तो ऐसा होगा जिसको कि लैंड एक्वीजिशन की जानकारी होगी। इस तरह की जानकारी तीनों को भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक तो उनमें से जानकार होगा ही। अब इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी।

सवाल यह भी पैदा हुआ कि मार्केट वेल्यू रखने से मामला और भी उलझ गया है। मार्केट वेल्यू की बात, कानून के जानकार, होशियार और समाजदार हैं, उनकी राय से यह स्वीकार किया गया है। मार्केट वेल्यू हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट में कितनी वेल्यू हुई है और स्कीम की वजह से कितनी हुई है उसको डिस्टिन्गिवश करके ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देहली में भी इस प्रकार का कानून हाल ही में पास हुआ है और यह प्रॉवीज़न्स उसमें से लिए गए हैं और सलेक्ट कमेटी ने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके रखा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : फिर आपको क्या ऑब्जेक्शन है। प्रोपर कोर्टस में

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८ सी और ४८ डी स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ४८ सी और ४८ डी स्वीकार किए गए।

(विराम)

क्लॉज ४६

श्री पी० के० चौधरी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४६ सर्विसेज़ के सम्बन्ध में है इसलिए मैं समझता हूं कि क्लॉज़ १६ डेफर हो चुकी है इसी के सम्बन्ध में और इसी तरह से यह भी हो जाये तो ठीक है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : ४६ तो सर्विसेज़ के बारे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो ट्रस्ट फण्ड के बारे में है।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४६ कस्टेडी ऑफ़ फण्ड को लेकर डील करता है। इसमें जो सब-क्लॉज़ (२) में यह है कि अगर कहीं पर बैंक वगैरह नहीं हुए तो किसी भी बैंकर के पास फण्ड को रखने का प्रावधान है। मैंने इसको डिलीट करने के बारे में कहा है। [संशोधन इस प्रकार है : Delete sub clause (२)] मेरे ख्याल से मंत्री महोदय इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अमेन्डमेन्ट स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो

Page No.38

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ४६ ए, ४६ बी, ४६ सी और ४६ डी....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ४६ डी पर कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर ४६ डी से पहले पास कर दें।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ ए, ४६ बी और ४६ सी स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ ए, ४६ बी और ४६ सी स्वीकार किये गये।

क्लॉज ४६ डी

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, ४६ डी डेफर कर दिया जाये। यह पेन्शन और प्रोवीडेन्ट फण्ड वगैरह के बारे में है और पहले सर्विसेज़ वगैरह के बारे में जो क्लॉज़ आया है वह भी डेफ़र कर दिया गया था इसलिए इसे भी डेफ़र कर दिया जाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो पेन्शन और प्रोवीडेन्ट फ़ण्ड के बारे में है यह तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो पेन्शन और पी० एफ० के बारे में है और सर्विसेज़ की बाकी कन्डीशन्स सारी तय करेंगे और जितनी भी सर्विसेज़ की चीज़ होगी वह भी तो इसी को साथ लेकर तय की जायेंगी।

श्री मदनसिंह : आप तो क्लॉज १६ के अन्दर ही सी डी करके उसमें ही लगा दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, यही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ डी स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ डी स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ५०

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५० स्वीकार किया गया।

Page No.39

क्लॉज ५० ए

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ५० ए में हैडिंग है उसमें लिखा है Restriction on development and improvement in certain areas इस हैडिंग का यह शब्द 'रेस्ट्रिक्शन ऑन डेवेलपमेन्ट' ही इतना खराब है कि आज मैं समझता हूं कि अभी सरकार किसी भी डेवेलपमेन्ट या इम्प्रूवमेन्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन करे, यह शब्द इतना बुरा है और ढंग का नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान या अपने एरिया के अन्दर इम्प्रूवमेंट और वहां का डेवेलपमेन्ट नहीं करे इस पर रेस्ट्रिक्शन होगा। मैं समझता हूँ कि यह रेस्ट्रिक्शन आज प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए और इसका कारण यह है कि मैं समझता हूँ देश की आजादी के पश्चात लोगों की क्या क्या मन्शा थी। लोग समझते थे कि हम अपने घरों में रहेंगे, अपने तरीके से रहेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार रहेंगे। तो आज राजस्थान में न तो कोई व्यक्ति अपने तरीके से खेती कर सकता है, न कोई व्यक्ति अपने तरीके से रह सकता है, न कोई व्यक्ति अपने तरीके से व्यापार कर सकता है और मैं समझता हूं कि न कोई व्यक्ति अपने तरीके से खाना ही खा सकता है। आज ऐसी व्यवस्थायें यहां कर दी गई हैं कि म्युनिसिपल क्षेत्र में रहने वाले तो अपनी मर्जी से रह सकते हैं लेकिन जहां मास्टर प्लान बन जाता है यह एक तरह से एडेमन्ट घोषित होगा। मैं समझता हूं कि वहां इन्सान रह ही नहीं सकता। इसलिए यह जो शब्द है Restriction on development and improement in certain areas' मैं यह समझता हूं कि यह डेवेलपमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स नहीं होने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही राजस्थान के अन्दर मैं समझता हूं कि जो लोग अरबन एरिया में रहने वाले हैं वह अपने तरीके से रहना चाहते हैं, अपने तरीके के मकान की हेर फेर करा सकते हैं परन्तु मास्टर प्लान न जाने कैसा होगा, उसमें न जाने क्या क्या तरीके अपनाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि दूसरे नागरिक जो वहां रहते हैं वह उन तरीकों से इत्तिफाक नहीं करेंगे कि इन तरीकों से रहा जाये। मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम इतना तो प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि अन्दर के जितने भी आल्ट्रेशन्स, हैं वह कम से कम वह अपने मन से और अपने रहने की सुविधा के अनुसार करा सकें। रहा बाहर के एरिया का, यह मैं मानता हूं कि बाहर के एरिया का हस्तक्षेप किसी भी नागरिक को नहीं होना चाहिए। जहां तक बाहर की सफ़ाई है या सड़कें या अन्य चीज़ गवर्नमेंट की तरफ़ से होगीं वहां किसी का हस्तक्षेप न हो लेकिन अन्दर किसी तरह से भी रहे यह भी तरीका मास्टर प्लान के माफ़िक होगा तो मैं समझता हूं कि जिस एरिया को आप तरक्की देना चाहते हैं वहां लोग रहना भी पसन्द नहीं करेंगे। मुझे मालूम हैं कि ऐसी ही स्कीम सर मिर्ज़ा के समय में जयपुर स्टेट में चलीं थी और उनका ऐसा आदेश था कि कोई भी दो फुट से ऊपर का डंडा नहीं खींचें क्योंकि ऊपर डंडे का होना खूबसूरती बिगाड़ता है। तो ऐसी हालत हुई कि जिनकी दो दो फिट ऊंची डंडा था वहां चोरियां हुईं और लोग घर छोड़ छोड़कर चले गए। तो इस मास्टर प्लान में क्या क्या होगा, किस ढ़ंग से मकान होने वाले हैं, किस तरह की सुविधा देने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है। मैं समझता था कि देश की आजादी के

(श्री मदनसिंह)

पश्चात सबसे पहले नागरिक अधिकार यह था कि सब को समानता के साथ रहने, खाने पीने और सब को न्याय की समानता एक सी मिलेगी। लेकिन आज म्युनिसिपल एरिया के अन्दर नागरिकों को यह अधिकार है कि वह आजादी के साथ और सुविधा के अनुसार रह सकते हैं और उसके पड़ौस में ही जहां मास्टर प्लान बनेगा वहां एक नागरिक को सुविधा नहीं है कि वह किस ढंग से रहे। मैं मानता हूं कि आजकल बड़ी कोशिश हो रही है कि जितनी भी पर्दे वाली लेडीज़ हैं वह पर्दे से बाहर हट कर शहरों में कामकाज करें..

श्री उपाध्यक्ष : रेस्ट्रिक्शन्स का मसला वहां तक पहुंच गया।

श्री मदनसिंह : हां, वहां तक पहुंच गया। जितनी भी पर्दे वाली लेडीज़ हैं वह चाहेंगी कि हम ऊंची दीवार हो उसमें रहें, उनके फिरने और रहने की सुविधा हो और इसी ढंग से राजस्थान में है। मैं समझता हूं कि चीफ़ मिनिस्टर साहब बड़ी कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी रहन सहन का मामला बिलकुल मॉर्डन ढंग से हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका मास्टर प्लान बनेगा और जो पहले से लोगों की रहने की आदत है वह जल्दी से बदलने वाली नहीं है और जो इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं वह अरबन एरिया जंगलात में न चला जाये, इसका मुझे डर है। क्योंकि इसके अन्दर ऐसी ही चीजें रखी हैं और अगर आगे जाकर इस बिल के क्लॉजेज़ को आप देखें तो इसमें यहां तक है कि जो प्लान बनता है उसकी सुविधा के अनुसार ही कोई भी चीज़ उसकी सेंक्शन से बन सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अरबन इम्प्रूवमेंट का एरिया होगा वह मॉडर्न ढंग से उसका इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं समझता हूं कि इतना मॉडर्न होगा कि वहां जिनके लिये आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं जिनको अच्छी तरह से रखना चाहते हैं उनका रहना मुश्किल हो जायेगा। शायद हो कि उन पर यह प्रतिबन्ध हो जाय कि इस तरह से कोई गाय, बकरी या भेड़ नहीं रख सकता है, क्योंकि वहां बहुत ही ढंग से या बहुत ही सफ़ाई से रहने वाले लोग ही यहां रह सकते हैं। इसलिए यह चीज़ नहीं होनी चाहिये। घर के अन्दर सब अपनी सुविधा से रह सकते हैं। इसलिये इस पर ज्यादा नहीं बोलकर एक ही चीज़ मेरे दिमाग में यह आई है कि यह शब्द यहां से हटाये जायं Restriction on development डेवेलपमेंट पर रेस्ट्रिक्शन होना तो अन्याय की बात है। अगर कोई डेवेलपमेंट करता है और अगर उस पर रेस्ट्रिक्शन हो जाय तो दिमाग में बैठने वाली चीज़ नहीं है। अगर यह चाहते है कम से कम यह देखना चाहिये कि कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। मास्टर प्लान कहीं बनने जा रहा है। उन लोगों के पास बनने आ रहा है जो उनकी सुविधा से वह रहना चाहता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को थोड़ा सा विचार करके क्लिअर कर देंगे कि मास्टर प्लान का आधार क्या २ होगा, किस ढंग से इम्प्रूवमेंट करेंगे। शायद ऐसा तो नहीं है कि विलायत या अमेरिका में रहने वालों की सी सुविधा हो। हमारे यहां भेड़ बकरी वालों के लिये यह है कि इनको हटाओ कि इस लायक नही हैं कि यहां रहो। इसलिये उन लोगों को सुविधा हो जायगी। उनसे बैटरमेंट लेवी ले लेंगे। आपने इसमें लिखा है कि हम मास्टर प्लान की रूपरेखा पहले से बता देंगे कि यहां पर

(श्री मदनसिंह)

यह होने वाला है, यह तरक्की होने वाली है और यह चार्ज करेंगे। गरीब अपने घरों में अपनी सुविधा के माफ़िक़ रहने लगें तो आप कहेंगे कि आप इस ढ़ंग से नहीं रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो बैटरमेंट के चार्जेज देते हैं उनसे उसके बाद में कहा जाय कि गवर्नमेंट जिस ढ़ंग से चाहे उस ढ़ंग से रहे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा होगा।

दूसरा आवश्यक अधिकार यह है कि ट्रस्ट के अन्दर और आज के प्रजातन्त्र के अन्दर इलेक्टेड बॉडी होती है वह हमको रखना चाहिये। देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की नौकरशाही की बनाई हुई वह चीज़ होगी और वह अपनी मर्जी के मुताबिक हमको चलायेगी। तो उन ट्रस्टीज़ के घर में भी वही हालत होगी जो कि महाराज माधोसिंहजी के ज़माने में बालाजी खवास के घर में रहती थी। उनके यहां लोग हाथ जोड़े बैठे रहेंगे अपने प्लान पास करवाने के लिये, तो जिनसे बड़ी बड़ी भेंट मिलेगी उनके वह पास कर देंगे कि आप इस स्कीम में रह सकते हैं, और जो सीधे सच्चे लोग हैं जो कि भेंट नहीं दे सकते हैं वह वहां पेश नहीं हो सकेंगे, और जो नोटिस और कानून को नहीं समझेंगे वह गरीब हैं वह उनसे वंचित रह जायेंगे। और आधे और एक मील के बीच में नगर के जीवन में इतना फर्क होगा कि आपके जितने भी इम्प्रूवमेंट हैं वह खराबी की ओर जायेंगे और वह अरबन इम्प्रूवमेंट एरिया न होकर थोड़े दिनों के बाद फोरेस्ट में आ जायेगा, क्योंकि वहां पर रहने वाले नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान वालों की ऐसी ज़िन्दगी है कि अगर आप बिजली और पंखे लगा दें और उनके रहन सहन की सुविधा मकान में मन के मुताबिक नहीं हो तो मैं समझता हूं कि बिजली के पंखे सब बेकार हैं। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय इस दृष्टिकोण से देखते हुए विचार करके समझाते तो समझ में आ सकता है, अन्यथा डेवेलपमेंट भी कर देंगे और लोग अपनी सुविधा से काम करेंगे और सजा देने का या हटाने का कानून आयेगा तो गवर्नमेंट ने जहां इम्प्रूवमेंट करने की दृष्टि से यह सब किया है वहां पर कैसे हो जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ठीक ढ़ंग से विचार हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर इस सेक्शन को पढ़ लिया होता तो जो आपत्ति की है वह शायद सामने नहीं आती। लेकिन मुमकिन है कि कानूनी अंग्रेजी में है इसलिए दिक्कत आती हो इसलिए इतनी आपत्ति की गई है। इसमें सिर्फ यह दिया गया है कि मास्टर प्लान बन जायगा और उसके अनुसार इम्प्रूवमेंट स्कीम तैयार होगी और उसके बाद अगर उस एरिया में कोई तामीर करना चाहता है तो उसको इजाज़त लेना चाहिये ५० बी के मुताबिक बस इतना ही है। एक एरिया तय हुआ है और मास्टर प्लान बनाकर इम्प्रूवमेंट की स्कीम तैयार हो गई जैसी कि आपकी 'सी' स्कीम बनी हुई है उसमें कोई आदमी तामीर कराना चाहता है तो ५० बी के मुताबिक उसको इजाज़त लेना चाहिये। और इम्प्रूवमेंट बोर्ड की इजाज़त हो जायगी तो उसके मुताबिक तामीर करा लेगा। मास्टर प्लान के खिलाफ़ तामीर करने की इजाज़त नहीं होगी। भेड़ कहां रहेगी, बकरी के रहने में दिक्कत होगी, यह बात नहीं है। जहां एक बार इजाज़त हो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जायगी तो मकान तामीर हो जायगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही इसमें प्रावधान है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो संदेह उन्होंने प्रगट किया है वह कतई ठीक नहीं है। उसमें कोई आपत्ति नहीं आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ ५० को....

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष:—थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : It does not need any more clarification. I am putting the question to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० ए को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५० ए स्वीकार की गई।

क्लॉज़ ५० बी

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इसमें यह है, कि [Delete Sub-clauses (2) and (7)] लेकिन संशोधन के ऊपर बोलूं उससे पहले जो भावना संशोधन में रखी है, जिस दृष्टि से उसको हटाया है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर वह इम्प्रूवमेंट के लिये दरख्वास्त देता है तो म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर किसी प्रकार का कोई टैक्स या उस पर टिकट नहीं लगानी पड़ती है। यह चीज हमने म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिए सारे राजस्थान के लिये पास की है। तो हमारे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी म्युनिसिपल बोर्ड्स से रिलेटेड हैं। मैं चाहता हूँ कि जब इन दोनों के अन्दर बड़ी एकता सी है, बल्कि एक से हैं। म्युनिसिपल बोर्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए दरख्वास्त देता है तो उस पर कोई फीस या टिकट नहीं लगेगा। इस प्रकार का वहां प्रावधान है। उसी तरह का जब एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट के लिए तो उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये। नगरपालिका में किसी प्रकार की फीस नहीं लेते हैं इस प्रकार की एप्लीकेशन देने पर और इस प्रकार का कोई विधान नहीं है तो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में इस प्रकार का प्रावधान रखें तो यह बिल्कुल अलग सी बात हो जायगी। जो आदमी म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया में रहता है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए दरख्वास्त देने में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा और एक व्यक्ति इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया में रहता है तो वह उस बेचारे का गुनाह होगया कि वह सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया में रहता है तो कोई दरख्वास्त इम्प्रूवमेंट की देता है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा इम्प्रूवमेंट करता हो, चाहे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करता है, इन बातों का मापदण्ड नहीं है चाहे एक ही दीवार घर के बनाना चाहता हो, खिड़की बनाना चाहता हो तो वह दरख्वास्त देगा। आज एक इम्प्रूवमेंट किया है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा तो हर इम्प्रूवमेंट के लिये उसको फ़ीस देनी पड़ेगी। आपने क्लॉज़ ७ के अन्दर रखा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है कि फीस तब माफ करेंगे या वापिस करेंगे और उतनी ही करेंगे जितनी कि हम चाहेंगे जब कि हम रिफ्यूज करते हैं, इन्कार करते हैं, प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करते है। यह बिल्कुल विचित्र सी बात है । किसी कानून में देखने को नहीं मिला है कि प्रार्थना-पत्र दिया, और देने के साथ उस पर टिकट लगाया तो उसको वापिस कर देंगे अगर प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर देते हैं । आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कोर्ट में नहीं देखा । दुनिया के इतिहास को देख लें जहां कि पैसा इस प्रकार से वापिस होता हो, दरख्वास्त के अस्वीकार होने पर, लेकिन हमारे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो कानून बन रहा है उसमें सिलेक्ट कमेटी ने जो बात रखी है वह विचित्र बात रखी है । राजस्थान में किसी नगरपालिका में किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जायगी इम्प्रूवमेंट की दरख्वास्त पर, लेकिन सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एरिया में चूंकि वह रहता है तो उस बेचारे ने जुल्म किया है कि उसको फीस देनी पड़ेगी, उसको टिकट लगाना पड़ेगा। फिर आपने नया प्रावधान जिसका कि मैंने जिक्र किया है वह धारा ७ में रखा है कि प्रार्थना-पत्र के अस्वीकार करने पर मर्जी में आयेगी उतना ही पैसा वापिस करेंगे। तो यह दोनों क्लॉज़ सुपरफ्लुअस है । इनका कोई मकसद नहीं है। वापिस लेना चाहिये नगरपालिका में फीस नहीं है तो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में दरख्वास्त देने में भी कोई फ़ीस नहीं होनी चाहिए । यह मेरा संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं प्रैस नहीं करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : You are not pressing. Shri Jagdish Prasad.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, खंड ५० बी के अनुसार इज़ाजत के लिए आवेदन-पत्र के लिए जितने भी नियम निकले हैं उसमें देखते हैं कि कोई आवेदन-पत्र दिया जाता है उसको इन्कार कर दिया जाता है तो इसके अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है कि इजाज़त से इन्कार कर दिया जाय तो आगे उसकी सुनवाई नहीं है। नगरपालिका के अन्दर देखते हैं कि मकान बनाने के लिए दरख्वास्त दी और मकान बनाने के लिए इन्कार कर दिया कि म्युनिसिपल बोर्ड की इजाज़त नहीं है तो वह आदमी कलेक्टर के पास जाकर नगरपालिका के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है । इसमें हम देखते हैं कि एसेसमेंट होगा बैटरमेंट लेवी का और उसके सम्बन्ध में कोई एतराज है तो आर्बी-टेशन का प्रोविज़न किया है । आर्बीट्रेशन का प्रोविज़न है तो वहां जाकर अपील कर सकता है। यहां पर मास्टर प्लान के अंतर्गत यदि कोई आदमी किसी प्रकार का प्लान देता है और उसको वह अपनी दृष्टि से ठीक समझता है तो समझने की बात है कि वह ट्रस्ट के पास एप्लाई करता है और एप्लाई करने के बाद ट्रस्ट इन्कार कर देता है तो इन्कार करने के बाद में कहीं अपील का प्रोविजन नहीं है । ट्रस्ट ने तो आदेश दिया उसको यदि कोई व्यक्ति उचित नहीं समझता है और यह समझता है कि उसके खिलाफ आदेश दिया गया है जो इसके सिवाय चारा उसके पास नहीं है कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसको चुप बैठना पड़ेगा और ट्रस्ट के आदेश पर काम करना पड़ेगा चाहे ट्रस्ट ने गलती ही की हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रोविज़न रखना चाहिये कि यदि कोई ट्रस्ट के आदेश को ठीक नहीं समझता है तो वह अपील कर सकता है ऐसा प्रावधान रखना चाहिये, लेकिन इसमें नहीं है।

१० म. पू.

इसके उपखंड (६) में लिखा है कि कोई अगर फाइल देखना चाहे तो उसको ५ रु० से अधिक नहीं देने पड़ेंगे। किसी भी अदालत में फाइल देखने के लिये आठ आने के पैसे लगते हैं और आठ आने में बड़े से बड़े मुकद्दमे की फाइल देखी जा सकती है। लेकिन इस उपखण्ड (६) में लिखा है उक्त रजिस्टर में ऐसी सूचना सहित कि इजाज़त के लिए दिए गये आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है, ऐसे फीस होंगे, जो विनिमयों द्वारा निर्धारित किये जायं, और वह रजिस्टर, ऐसी फीस देने पर, जो पांच रुपये से अधिक न हो, और जो विनिमयों द्वारा निर्धारित की जाय, समस्त यथोचित समयों पर प्रत्येक व्यक्ति के निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगा। वह रजिस्टर ऐसी फीस देने पर जो पांच रुपये से अधिक न हो देख सकता है। तो केवल रजिस्टर देखने की फीस जो निर्धारित की गई है वह ५ रुपये से अधिक नहीं होगी। यह फीस बहुत ज्यादा है जब कि अदालत में आठ आने में देख सकते हैं। जब कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये ५ रुपये तक की फीस देनी पड़ेगी ऐसा निर्धारित कर दिया गया है तो यह जरूरी नहीं है कि फीस ८ आने ही निर्धारित करेंगे। जब कानून के द्वारा अधिकार देते हैं तो ८ आने नहीं करेंगे। ५ रु० की फीस बहुत ज्यादा है और वाजिब नहीं है जब कि न्यायालय में ८ आने ही है तो सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये भी ८ आने ही निर्धारित होने चाहिए थे। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां भी ८ आने करें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो आपत्ति की गई है मैं समझता हूं वह उपयुक्त नहीं है। सिर्फ प्रोविजन यह रखा गया है कि यदि कोई आदमी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में दरख्वास्त देगा तो उसको फीस देनी होगी। म्युनिसिपल बोर्ड में कोई आदमी तामीर के लिये दरख्वास्त देता है तो उसको फीस देनी पड़ती है २ रु. या ऐसी ही कुछ देनी पड़ती है...

श्री दयाकृष्ण विजय : नक्शे के लिए फीस देनी पड़ती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जहां पर मैं प्रेसिडेन्ट था वहां पर २ रु० देने पड़ते थे इसलिए यहां भी फीस देनी पड़ेगी। फीस रिफ़न्ड करने का प्रोविज़न कहीं नहीं है। यह प्रोविज़न तो फायदे के लिये रखा गया है। इसको ओमिट कराना चाहते हैं तो उल्टी बात होगी। बोर्ड यदि चाहे तो वापिस देने का प्रोविजन रखा है। आप इसे ओमिट करना चाहते हैं यह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जैसा है वैसा करें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उप-खंड

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(६) में फाइल देखने के ५ रु० रखे हैं क्या ये ज्यादा नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Not exceeding five रखा है। आठ आने भी हो सकते हैं और १ रु० भी हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): स्पेसिफिक क्यों नहीं कर दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० बी स्वीकार किया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें अमेन्डमेन्ट है।

श्री दयाकृष्ण विजय : On a point of clarification, sir. नगरपालिकाओं में क्या फीस ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग अलग निर्धारित हैं। कहीं पर २ रु० लेते हैं कहीं कुछ लेते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : २ रु० तो नक्शा फ़ीस देनी पड़ती है किन्तु दरख्वास्त देने पर कोई फीस नहीं देनी पड़ती, इसको पहले देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : How does this question arise now when the question has been put to vote.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने विड्रा नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : That question does not arise. सदन की व्यवस्था है कि अमेन्डमेंट वोट पर रखने के बाद राइट ऑफ रिप्लाई नहीं रहता।

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझसे यह नहीं पूछा कि अमेंडमेंट प्रेस करता हूं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Unless there is some important point it can be raised otherwise the matter does not arise.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन के लिए ही खड़ा हुआ हूं और मैंने यही कहा है—I have asked the question from the Hon'ble Minister on a point of clarification.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair has been placed in ambiguous position. After the Minister has replied the question has been put to vote. However, I relax that position but it will not effect the voting.

श्री दयाकृष्ण विजय : Although the procedure was wrong, but I don't oppose it. I had asked on a point of clarification.

श्री उपाध्यक्ष : Yes ; Shri Daya Krishan Vijay.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह पूछ रहा था मंत्री जी से ओन पोइन्ट ऑफ़ क्लेरिफिकेशन कि आप मुझे यह स्पष्टीकरण कर दें कि नगरपालिकाओं में फीस किस तरह से ली जाती है। मैं ३ साल तक म्युनिसिपैलिटी में रहा हूँ और मुझे अनुभव है कि वहां

Page No.46

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पर कोई फीस नहीं ली जाती है। नक्शों की फीस अलग से ली जाती है। जब वहां के ऑफीसर रिपोर्ट करते हैं कि नक्शा फ़ीस जमा कराई जाय तब बाद में जमा कराई जाती है। एप्लीकेशन पर फीस नहीं लगती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग अलग म्युनिसिपल बोर्ड्स ने अलग अलग प्रेस्काइब कर रखी है। सारी बातें देखकर प्रेस्काइब करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप विश्वास दिला दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विश्वास दिलाने का सवाल नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : I can not withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ५० बी पर श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० बी स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५० (बी) स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ५१ और ५२

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५१ और ५२ स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ५१ और ५२ स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : I presume Mr. Bhadur Singh is not pressing.

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : Presumption extends to Clause 56 also. Not pressing that too?

डॉ० बहादुरसिंह : क्लॉज़ ५६ के बारे में कुछ निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५३ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ५४ एन्ड ५५।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५४ व ५५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खंड ५४ व ५५ स्वीकार किये गये।

क्लॉज़ ५६। डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : छोटा सा

(डॉ० बहादुरसिंह)

है। प्रश्न यह कि Substitute the word 'Trust' for 'Secretary' occurring in the last line. प्रश्न यह है कि जो पब्लिसिटी होगी, सेक्रेटरी की जैसीमर्जी होगी, वैसी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि सेक्रेटरी होगा, आप रूल्स के अनुसार सेक्रेटरी को रखेगें। ऐसी स्थित में सेक्रेटरी शब्द को लेना अनुपयुक्त होगा। इसलिए जैसा ट्रस्ट तय कर दे, उस तरह से पब्लिकेशन होना चाहिये। यह परिस्थिति है इसमें मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त है कि जो ट्रस्ट तय करेगा, वह सेक्रेटरी का किया हुआ मान लिया जायेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि यह बहुत ट्राइवल पाइन्ट है कि एडवरटाइजमेंट अखबारों में होंगे, यह बहुत छोटी बात है, और इसके लिए ट्रस्ट की राय ली जायगी। मैं समझता हूं कि ऐसा कर दें तो ठीक रहेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : अभी सेक्रेटरी की व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो आप अमेंडमेंट मूव कर दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes Sir. I accept it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय। जो 'हां' पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

(मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए)

Hon'ble the Minister please. I have put the question to vote. जो पक्ष में हों वे 'हां' कहे, जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ संशोधन रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ५६, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

क्लॉज ५७

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I make the amendment that in cause 57 Delete sub-clause 2. उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ५७ है, वह सर्विस और नोटिस को डील करता है और ५७। २। में दिया है : "Any document which is required or authorised to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" or "the occupier" as the case may of that land or building without further name or description and shall be deemed to be duly served." उपाध्यक्ष महोदय, अब इसकी सर्विस के लिए है : if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of sub—sec. 1 or अब सब क्लॉज़ बी में डिलीवरी का मोड दिया हुआ है If the document so addressed or a

(श्री पी. के. चौधरी)

copy thereof so addressed, is delivered to some person on the land or building or where there is no person on the land or building to whom it can be delivered, is affixed to some conspicous part of the land or building.

उपाध्यक्ष महोदय, The Hon'ble Minister is not here.

श्री उपाध्यक्ष : But the Treasury Bench is being represented.

श्री पी० के० चौधरी : जो नोटिस सर्व करते हैं, उसमें ओनर या ऑकूपायर लिख दिया, प्लेस का नाम लिख दिया और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से डिलीवर करते हैं then it will be considered to have been duly served. मैं समझता हूं कि नाम का प्रोवीज़न होना चाहिये जो ऑनर और ओकूपायर ऑफ दी लैंड है, उसका नाम होना चाहिए। अगर नाम नहीं रहता है तो मैं मानता हूं कि इसमें काफी कन्फ्यूजन होगा। टेकनीकली मान लीजिये कि near plot no so and so Khasra no. so and so उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें और डिलीवर्ड मान लें Notice is properly served. यह मान लिया जायेगा तो अनोमोली होगी, कोई व्यक्ति होगा, उसको पता नहीं लगेगा whether a notice has been issued to them or not. इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको डिलीट कर दीजिये और जो पहला प्रोवीज़न है सब-क्लॉज १, जिसमें बोर्ड नेम सर्विस करने का, रजिस्टर्ड पोस्ट से डिलीवर करने का है, उसको रखा जाय। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री एक्सेप्ट करेंगे इस अमेंडमेंट को।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें जो प्रॉवीज़न है, वह सिर्फ इतना है कि नाम की बात को अवोइड कर दें मान लीजिये कि किसी ऑनर या ऑक्यूपायर का नाम मालूम नहीं है, एक बिल्डिंग में एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, बहुत से आदमी रह रहे हैं, उसका ओनर कौन है, उसका नाम मालूम नहीं है, उस समय एड्रेस होगा ऑनर ऑफ सच एन्ड सच, ऑक्युपायर ऑफ दी सच एन्ड सच। इस तरह भेज कर वह डिलीवर हो जायगा। मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : उसके लिए नहीं होना चाहिए लेकिन जो ऑनर ऑफ लैंड है, आप जो लैंड एक्वायर करेंगे, उसमें नोटिस इस तरह सर्व करेंगे कि ऑनर ऑफ प्लाट नं० सच एन्ड सच, ऑनर ऑफ खसरा नम्बर सच एन्ड सच, तो वह प्रोपर नोटिस नहीं होगा। बिल्डिंग के लिए तो मालूम हो जायगा लेकिन लैंड के लिए उसमें प्रोवीजन है : it will be deemed to have been served if it has been sent by registered post. अब समझ में नहीं आता कि पोस्टमैन रजिस्टर्ड पोस्ट को लेकर जाये जिस पर ही ऑनर ऑफ प्लाट नम्बर सच एन्ड सच, खसरा नम्बर सच एन्ड सच तो वह पोस्टमैन सर्व नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होगा कि फलाने प्लॉट का मालिक कौन है। जिस प्लॉट के नम्बर से देंगे, खसरा वगैरह के नम्बर से देंगे, वह पब्लिक की नॉलेज़ में नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग के लिए तो माना जा सकता है क्योंकि बिल्डिंग के लोगों को मालूम होता है लेकिन जहां

Page No.49

(श्री पी. के. चौधरी)

प्लान का नम्बर होता है.when it is piene of land. उसको नोटिस सर्व करेंगे, ओनर ऑफ प्लॉट नम्बर सच एन्ड सच यह उपयुक्त नहीं होगा। आपने प्रोग्रेस में रखा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज देंगे। There it will be deemed to have been served whether it has been delivered or not. It is immaterial. आप भेज देंगे Then it will be deemed to have been servi ng ऐसे भेज देते हैं,मैं नहीं समझता हूं it is apnpr service. जो एसा करेंगे you will not be doing justice.

श्री उपाध्यक्ष : Whether you are withdrawing Mr. Chaudhary, as they don't accept it.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir. I may be permitted to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ५७ पर श्री पी० के० चौधरी ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५७ स्वीकार किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ५७ स्वीकार किया गया।

Now we take clause 58.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ५८ के सम्बन्ध में विरोध है ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि ६७ को ले लेते तो जितने चले जाते आगे।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय ने अपना जवाब दिया वह सही हो सकता है कि अंग्रेजी कम जानने के कारण मैंने सारे क्लॉजेज़ नहीं पढ़े। यदि माननीय मंत्री जी सारे क्लॉजेज़ को पढ़ते....

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रश्न को मैं कोई महत्व नहीं देता हूं इसलिए आगे बढ़ेंगे।

श्री मदनसिंह : उसके सम्बन्ध में है कि मास्टर प्लान के विपरीत कोई एक्शन होगा तो उस पर ५०० रुपये जुर्माना होगा। इसके अन्दर जो पाबन्दी है, उसमें वह कोई आल्टरेशन नहीं कर सकता। जिस प्रकार मास्टर प्लान में आल्टरेशन्स हैं, वही कर सकता है, उसके विपरीत कोई व्यक्ति अपने ढंग से कर नहीं सकता। खैर, क्योंकि मंत्री महोदय, शायद बचपन से मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। उनकी मर्जी है लेकिन अब अंग्रेजी जानने की चिन्ता नहीं है कि ५०० रुपये का दंड इतना है कि चाहे वह अंग्रेजी जाने या न जाने, गरीब आदमी मर जायगा। किसी कानून के तहत, किसी प्लान के तहत. ट्रस्ट के खिलाफ कोई चीज़ की तो ५०० रुपये का दंड होगा। इस स्थिति में जब कि भारतवर्ष में

Page No.50

(श्री मदनसिंह)

आर्थिक प्रश्न को हल करने के लिए चारों तरफ प्रचार हो रहा है और दूसरी तरफ अरबन एरिया में रहने वालों को ५०० रुपये दंड देने पड़ेगे,,तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जीना मुश्किल है । आज पंच और सरपंच ग्रामीणों पर जादू और टोने के लिए ५०० रुपये जुर्माना करने की बात करते हैं । मैं समझता-हूं कि उधर बैठे माननीय सदस्यों के लिए जो ५०० रुपये जुर्माना देने की बात करते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है जो लाखों रुपये हाथ में लेकर खेलते कूदते हैं, करोड़ों रुपया पार्टी में इधर से उधर जाता है । उनके लिए ५०० रुपया तो क्या ५००० रुपया मुश्किल नहीं होता है लेकिन जो अर्बन एरिया के रहने वाले हैं जो कि अर्बन इम्प्रूवमेंट को नहीं समझते हैं, जिनके लिए एक नई चीज़ होने वाली है, वे किस ढंग से सोचेंगे, किस ढंग से रहेंगे, उनके लिए ५०० रुपये जुर्माना देना बहुत मुश्किल होगा । आप जागीरदारों को भूल गये ....

श्री उपाध्यक्ष : किंतु ५०० तक जुर्माना है ।

श्री मदनसिंह : तक है । लेकिन यह ट्रस्ट की पावर्स में है । अगर इलेक्टेड बोर्ड होता और यह शक्ति योग्य और ईमानदार ट्रस्ट के हाथ में होती तो और बात थी लेकिन यह इलेक्टेड बोर्ड नहीं, एक नॉमीनेटेड बोर्ड होगा और इसमें गवर्नमेंट के आदमी होंगे और यह उनकी मर्जी पर होगा कि वे इसको कहां कहां पर लागू करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इस ५०० रुपये जुर्माने को माफ कराने के लिए एक दो हजार का वकील चाहिए, इसलिए यह तमाशा बन जायगा । आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इससे अच्छा तो यह होगा कि उसके अन्दर सारे के सारे मिनिस्टर रह जायं और बाकी के चले जायं क्योंकि वे ही अफोर्ड कर सकते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोवीज़न रखा गया है, इसके लिए सुझाव दे सकते हैं ।

श्री मदनसिंह : जो पंचायतों में जुर्माना होता है, वह २५ रुपये, १५ रुपये और १० रुपये होता है । और इसमें तो शायद कानून के विपरीत कोई चीज़ होगी भी नहीं । वैसे जो मास्टर प्लान बनेगा, उसके विपरीत वहां रहने वाला कोई गलती करता है, तो मैं समझता हूँ कि १० रुपये, १५ रुपये का दंड काफी होगा । मैं समझता हूं कि आज राजस्थान का आर्थिक ढांचा ऐसा है जिसमें लोगों को भर पेट रोटी और कपड़ा नहीं मिलता है फिर आप ५०० रु० तक का जुर्माने का यहां प्रावधान रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह तो एक प्रकार का शाही ऑर्डर है । यह उस प्रकार का ऑर्डर है जो पुराने राजा-महाराजा और बादशाहों के जमाने में हुक्म हुआ करते थे कि लोगों से जबरदस्ती लगान वसूल किया जावे । मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से यह रुपया उन गरीबों से वसूल किया जावेगा और उनकी भेड़, बकरी और घर का सामान नीलाम करके यह रकम वसूल की जावेगी । हर एक कानून के साथ इस तरह की सजा का निर्माण करके सरकार यह चाहती है कि वह सभी लोगों को समाजवादी ढंग से चलाए, तो मैं यह कहूंगा कि रुपयों के जुर्माने से अगर सरकार समाज को चलाना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि किसी प्रकार उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आप

Page No.51

(श्री मदनसिंह)

नाज की सस्ताई के लिए कुछ करते तो उचित था। आप जानते हैं कि नाज़ की मंहगाई कितनी है ऐसी परिस्थिति में यह रुपये जुर्माने में देना बहुत मुश्किल होगा। अगर नाज भी सस्ता होता तो खैर यह जुर्माना भारी नहीं लगता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह बड़ा महत्व का शब्द चलता है। मगर मैं यह कहूंगा कि यहां तक तो सीधा चला जावेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रस्ट में कैसे न्याय के जानने वाले व्यक्ति लोग आते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में प्रजातन्त्र के लिए यह जुर्माना बहुत बुरा है। जहां राजाओं को टैक्स माफ़ हो, अगर उस एरिया में करोड़पति रहते हों तो कोई बात नहीं मगर वहां तो सब गरीब आदमी रहते हैं। अगर उन पर इस प्रकार का ५००) तक जुर्माना होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय यह नहीं कहेंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता आपने अंग्रेजी में ५००) का जुर्माना साफ लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री से पूछ लिया जावे आपकी भावना की कद्र करते हों तो।

श्री मदनसिंह : मेरी भावना वे नहीं समझ सकते। मैं समझता हूं कि यह ५००) नहीं होने चाहिये। अगर आपको किसी प्रकार से लगाना ही है तो १००) रु० तक लगावें, इस तक के बीच में कई गुमराह होंगे। अगर ५००) के बजाय १००) या ५०) तक का लगावें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो रुपयों के बजाय तक ज्यादा लगाने लगे हैं।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि ५००) तक के बजाय इसको १००) तक जुर्माना की सजा ही रखी जावे। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि इसमें क्या होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि हम इसमें कुछ करेंगे। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट ही फैसला करेगा।

श्री मदनसिंह : जो माननीय सदस्य बताते हैं उनको हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि जो सदस्य बताते हैं उसको हम जानते हैं उसका ही तो उत्तर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कानून में रखा जाता है कि किसी जुर्म की सजा १० साल होगी और इतना रुपया जुर्माना किया जाता है। मगर जुर्माना भी हैसियत जुर्म पर किया जाता है और सजा भी जुर्म को देख कर ही दी जाती है। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब आदमी पर बहुत कम जुर्माना होगा। आप यह विश्वास रख कर चले। कानून में ज्यादा रखा जाता है। आप पर कोई जुर्माना नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : अगर मेरा ताल्लुक हो तो कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न तो गलती से कह दिया है। ऐसी स्थिति नहीं आवेगी।

श्री मदनसिंह : अगर जुर्माना कर भी

(श्री मदनसिंह)

दिया जावे तो वकील करके अपील में जाने की हैसियत होगी। मगर गरीबों के पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे उन पर जुर्माना किया जावेगा तो बहुत मुश्किल होगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ५६ पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनसिंह: माननीय मंत्री महोदय की मंशा इसको मानने की है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय मंत्री महोदय की मंशा है तो मैं फिर पूछ लेता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर मजिस्ट्रेट जुर्माना कर दें तो आप कह सकते हैं। माननीय सदस्य पर कोई जुर्माना नहीं होगा आप विश्वास रखें।

श्री उपाध्यक्ष : ६२,६३,६४,६५ और ६६....

श्री मदनसिंह : यहां जुर्माने की बात है उसमें कम से कम ५ रुपये रोजाना नहीं लगने चाहियें। यह तो माफ होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

आप अपना स्थान ग्रहण करें तो मैं कोशिश करूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पांच रुपये जुर्माना इसलिए रखा है कि जुर्माना होने के बाद भी वे नहीं मानें तो उनको कानून को तो मानना चाहिये इसलिये यह रखा गया है।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे गरीब लोग कैसे यह दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ५८,५६,६०,६१,६२,६३,६४,६५ और ६६ ६७ स्वीकार किये जावें।

श्री दयाकृष्ण विजय(छबड़ा): I have got an amendment in clause 67 A.

श्री उपाध्यक्ष : I exclude it.

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ५८ से ६६ तक स्वीकार किये गये।

क्लॉज ६७।

श्री उपाध्यक्ष : I put it. Clause 67. You are a new addition which has turned to 67 A. So you are not concerned with clause 67.

श्री दयाकृष्ण विजय : There is an addition.

श्री उपाध्यक्ष : You want to add a new clause 67 A.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ६७ ए. श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब क्लॉज़ ६६ को पढ़ते हैं जिसको हमने पास कर दिया है उसमें यह लिखा हैं कि कोई व्यक्ति बिला आज्ञा के अपने बिल्डिंग में या मकान में नया परिवर्तन करता है, दीवार में कोई परिवर्तन करता है या वृद्धि करता है तो उसे नष्ट करा दिया जावेगा या उस काम को रोक दिया जावेगा या नोटिस दिया जायगा । इसके लिये नोटिस दिया जावेगा, नोटिस देने तक की बात सीमित हैं । यदि किसी व्यक्ति ने नोटिस का पालन नहीं किया और नहीं गिराया तो ट्रस्ट क्या करेगा । अब तक जो ट्रस्ट के कानून हैं उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है । अभी मास्टर प्लान नहीं बना है । जिसमें यह बात हो कि अमुक स्थान पर बिल्डिंग नहीं बनावेगा । इस प्रकार का एरिया होगा वहा पर यह चीज होंगी । अगर किसी ने कोई काम शुरू किया और उसका ट्रस्टीज ने विरोध किया और फिर भी उसने शुरू कर दिया जिससे आपके साइट की सारी ब्यूटी मारी जाती है या खत्म हो जाती है तो आप उसको नोटिस देंगे और उस नोटिस देने के बावजूद भी वह उसको नहीं रोकेगा तो आप क्या करेंगे । इसके लिये आपके यहां पर कोई प्रावधान कानून में नहीं हैं । इस प्रकार की दिक़्कत कोटा ट्रस्टीज के सामने आ चुकी है । इस प्रकार की बिल्डिंग बन चुकी हैं । लोगों को हमने कहा कि यहां पर शॉप्स नहीं बनेगी मगर वहां पर उन लोगों ने शॉप्स बना ली और उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के ढ़ीले कानून नहीं बनाये जावें जिससे लोग न मानें । संशोधन इस प्रकार है :—

"67 A. If any person, after due notice given under Section 67 does not stop erection, alteration or addition, or does not demolish or alter any construction made without lawful authority in any building or land shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, or with simple imprisonment, for a period of six months or with both and the said unauthorised construction shall be demolished or altered by the order of the Magistrate dealing with the case if so requested by the trust.'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट को मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६७ ए. श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६७ ए स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६७ ए स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Now we come to clauses 68 and 69.

क्लॉजेज ६८ और ६६

डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६८ और ६९ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ६८ और ६९ स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ७० से ७६ तक स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ७० से ७६ तक स्वीकार किये गये।

क्लॉज़ ७७ श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : You want to oppose clause 77 ? Is it an interesting clause ?

श्री भैरोंसिंह : I will try to make it interesting.

माननीय उपाध्यक्ष, खंड ७७ पहले ले ली जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ७७ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

खंड ७७ स्वीकार की गई।

क्लॉज़ खंड ७७ (ए)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खंड ७७ ए के अनुसार हमने चैयरमेन या किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार दिया है कि वह सरकार की अनुमति से अकेला या अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर किसी स्थान में एन्टर कर सकता है और वह किन किन कामों के लिये एन्टर कर सकता है इसके लिये ए. बी. सी. डी. ई. और एफ। ई तक उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं :

(a) to make any inspection, survey. measurement, valuation or enquiry,

(b) to take levels,

(c) to dig or bore into the subsoil,

(d) to set out boundaries and intended lines of work,

(e) to mark such levels, boundaries and lines by marks and cutting trenches, or

एफ में लिखा है (f) to do any other thing,

इसमें जितने भी काम थे वे सारे के सारे इसमें प्रिस्काइब्ड कर दिये गये हैं। इसके साथ साथ कानून बनाने वालों की मन्शा यह रही है कि इसके अलावा भी कोई भी काम हो उसके लिये भी सरकार के नुमाइन्दे इस प्रकार के मकानों में प्रवेश कर सकें मुझे ऐसा

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

लगता है कि सिर्फ एफ को ही रखा जावे और बाकी के पांचों खंडों को ओमिट कर दिया जावे ।

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry, (b) to take levels, (c) to dig or bore into the sub soil, (d) to set out boundaries and intended lines of work, (e) to mark such levels, boundaries and lines by marks and cutting trenches, or...

इन चारों पांचों को हटा दिया जावे ए. बी. सी. डी. ई. को हटाया जाकर एक इतना कर दिया जावे (f) to do any thing चार को रख कर कर दिया to do any other thing इसमें 'अदर' हटा दिया जावे तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा लिबरल रहेगा लेकिन सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार ने ए. बी. सी. डी. और ई. के द्वारा कुछ बातें प्रिस्काइब्ड कर दीं। अब समझ में नहीं आता की कौनसी चीज़ बचती है जिसके कारण और अधिकार सरकार उनको देती है। यह मेरी समझ में नहीं आता। कोई इस प्रकार की अड़चन पैदा हो जावे उनके लिये यह प्रोविज़न रखा गया है अन्यथा किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जा सकती। एक क्लॉज़ रखने के बाद अलग अलग, then you say, to do any other thing... यदि इसको रखा जाता है तो कई कम्पलीकेशन्स पैदा होंगे। इसमें पांच चीजें तो हैं न्याय की और ६ धारा अन्याय की हो सकती है। न्याय के लिये तो हमने पहले ही प्रावधान रख दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं। मैं यह मानता हूँ कि यह क्लॉज़ सुपरफल्यूअस है। चार चार चीजें रखते हैं और दूसरे नहीं रखते। इसमें आगे लिखा है "...whenever it is necessary to do so for any of the purposes of this Act or any rule made or scheme sanctioned thereunder or any scheme which the Trust intends to frame thereunder;" इसका मतलब यह है कि चार चीजें जो हैं पांच के लिये whenever it is necessary लागू हो तो इस एफ के लिये लागू हो। लेकिन इसमें आगे लिखा है कि इस एक्ट के नियमों के अन्तर्गत चाहे ट्रस्ट के लिये या इम्प्रूवमेंट के लिये जिस प्रकार को कार्यवाही इस एक्ट के अन्तर्गत हो सकती है करेंगे और चेयरमैन को अधिकार होगा कि वह किसी मकान में या किसी भूमि में प्रवेश कर ले। इसका मतलब यह है कि यह क्लॉज़ जनरल क्लॉज़ होगा। मैं समझता हूँ कि इसका विरोध किया जाना चाहिये। जब तक इस प्रकार की धारा रहती है मैं समझता हूँ कि यह वेग धारा है और इसका दुरुपयोग हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) :: To do के आगे भी लिखा है whenever it is necessary to do so far any of the purposes of this Act. उसके आगे पढ़ना चाहिये whenever it is necessary any of the purposes of this Act. अलग अलग करने का प्रश्न नहीं है। सभी एनि बडी थोड़े ही चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सबसे ? You mean, to make any inspection, whenever it is necessary to take levels, whenever

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

necessary; जितने भी पार्ट्स हैं उससे अलग लगे हैं इसलिये आप उसका मतलब जोड़ें तो आपको....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह केवल एफ. के साथ है।

श्री भैरोंसिंह : अगर ऐसा है तो बाकी का क्लॉज़ बेकार हो जाता है To have levels, but for what purpose ? The purpose is not indicated. किसी काम के लिये आप लेवल लेंगे, किसी काम के लिये बाउन्डरी सेट करेंगे for the purposes of this Act.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा और कोई काम हो तो एनट्रस्ट हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Bhairon Singh will continue.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि 'whenever it is necessary' इसका सम्बन्ध ए०बी०सी०डी०इ०एफ० से है। इन ५ में केवल एफ. से है तो यह सारा का सारा क्लॉज बेकार हो जाता है। इसलिये हो जाता है कि इसमें लिखा है :

"(1) The Chairman or any other person who may be authorised in that behalf by the state Government may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land in order :—

(a) to make any inspection..."

अब make any inspection के लिये इसमें लिखा है whenever it is necessary for any purpose of this Act. कोई भी हम काम करेंगे उसका संबन्ध इस एक्ट के पर्पज से है। इसलिये माननीय मंत्री ने कहा कि (a), (b), (c), (d). and (e) से नहीं है उनका थोड़ा सा गलत दृष्टिकोण होगा। इसका भी है और एफ. का भी है। अब आगे इसमें प्रोविजो रखा है Provided as follows :

(a) except when it is otherwise specially provided by rule, no such enquiry shall be made between sun-set and sunrise".

मैं समझता हूं कि एन्क्वायरी के स्थान पर एन्टरी रख दिया जावे।

Enquiry can be made between sun-set and sun-rise, but entry cannot be made.

इसलिये इस एन्क्वायरी के स्थान पर एन्टरी कर दिया जावे।

श्री मदनसिंह : जब एन्क्वायरी नहीं होगी तो एन्ट्री कैसे होगी।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा है "(b) except when it is otherwise specially provided by a rule, no building which is used as a human dwelling shall be so entered, unless with the consent of the occupier thereof, without giving the said occupier at least twentyfour hours previous written notice of the intention to make such entry".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो

(श्री भैरोंसिंह)

समय निर्धारित किया गया है वह बहुत कम है। २४ ऑवर्स के अन्दर अरबन इम्प्रूवमेंट एरिया में विशेष तौर पर हम उन लोगों को इत्तला नहीं दे सकते हैं जो मकान के मकानदार हों। मकानदार में दो व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो वह हो सकता है कि जो उस मकान का किरायेदार है और दूसरा वह हो सकता है जो कि उस मकान का असली मालिक है। असली जो मालिक है और किरायेदार है किसी एक व्यक्ति को नोटिस दे सकता है २४ घंटे का किरायेदार को भी दे सकता है। किरायेदार से तो यह एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है कि २४ घंटे का उसको समय मिले और उसके बाद यदि कोई ऑफिसर उस मकान में एन्टर करता है तो उसको राइट एन्ट्रीज करा देगा। आजकल क्या होता है कि कोई किरायेदार है और मकान का मालिक है, दोनों का आपस में झगड़ा होता है जिसमें एक दूसरे का इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व होता है उस हालत में मालिक दूसरी चीज़ों को दिखाकर, इन्स्पेक्शन से एरिया, मकान या कॉलोनी का या दूसरे प्रकार के डेवेलपमेन्ट कराना चाहता है, किरायेदार दूसरी प्रकार से करना चाहता है तो दोनों में एक प्रकार का संघर्ष हो सकता है। एक्वायर्ड जमीन है, बरन्डा है वह हर व्यक्ति के लिए डिनोट करता है जो उस मकान, जमीन में रहता है चाहे मालिक हो या किरायेदार। किरायेदार को २४ घंटे का नोटिस सफिशियेन्ट हो सकता है लेकिन असली मालिक जब तक असली मालिक को नोटिस न दिया जावे तब तक इन्स्पेक्शन किसी प्रकार का भी नहीं होना चाहिये और उस सूरत में यह लाभदायक भी होगा जब कि मालिक, उसके विकास, हेरफेर, परिवर्तन या किसी प्रकार के डेवेलपमेन्ट के लिए अपनी इच्छा से राय दे सके। एक सवाल पैदा होता है। किसी मकान को, जमीन को एक्वायर करना, तुड़वाना, यह काम अरबन इम्प्रूवमेन्ट का हो सकता है। किरायेदार उस मकान में रहता है। उस मकान में ऑफिसर घुस गया और उसको किरायेदार ने ऐसे मकान बता दिए जिनकी छतें टूटी हुई हों, दूसरे बताये नहीं। इसका कारण यह है कि किरायेदार और असली मकान मालिक के बीच में संघर्ष है। असेस कर लिया और बता दिया कि इतनी असेसमेन्ट वेल्यू होगी क्योंकि टूटा हुआ है, इसमें किरायेदार भी सहमत हो गया कि मकान को तुड़वा दिया जावे। तो ऐसी हालत में मकान तुड़वाया जा सकता है क्योंकि इन्ट्रेस्टेड पर्सन को नोटिस नहीं मिला है। इसलिए इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किरायेदार को २४ घंटे का नोटिस दे लेकिन किसी प्रकार उस मकान में एन्ट्री की जावे तो कम से कम उस एन्ट्री के सात दिन पहले मकान मालिक को इत्तला दी जावे ताकि उपस्थित हो सके। आगे 'सी' में लिखा है :

"(c) sufficient notice shall in every instance be given even when any premises may otherwise be entered without notice, to enable the inmates of any apartment appropriated to females to remove to some part of the premises where their privacy need not be disturbed."

यह जिस प्रकार का क्लॉज है, मैं समझता हूं, यदि थोड़ा सा ठीक प्रकार से समझा जाय तो उसके कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं।

"sufficient notice shall in every

(श्री भैरोंसिंह)

instance be given even when any premises may otherwise be entered without notice..."

अब मैं यह नहीं समझ सका " even when any premises may otherwise be entered without notice..."

इसका मतलब यह है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहती है कि बिना नोटिस के भी किसी मकान में प्रवेश किया जाय। पर्दायत हैं, स्त्रियां हैं उनको सूचना मिल सके कि दूसरे हिस्से में तो चली जांय। सरकार एक तरफ तो कहती है कि बिना आज्ञा के हद में प्रवेश न किया जाय और यहां पर अलग से यह प्रोविजन करती है इसमें लॉ डिपार्टमेन्ट की चालाकी हो सकती है, चालाकी से ही यह रखा गया है और कहा गया है कि औरतें तलाशी से पहले दूसरी जगह चली जायं। साथ साथ में यह भी बताया गया है कि बिना नोटिस के भी प्रवेश किया जा सकता है। बिना नोटिस के प्रवेश उस हालत में होता है कि नोटिस की कम्पलाइन्स तो कर ली किसी आदमी ने लेकिन आदमी किसी प्रकार उपस्थित नहीं हो। बिना सूचना के और बिना नोटिस के इस प्रकार से किसी मकान में प्रवेश करना घातक है और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार का प्रॉविजन रखने से किसी प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे लिखा है 'डी' में :

"(d) Due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purposes or which the entry is made to the social and religious usages of the occupants of the premises entered."

'ऑर' की जगह 'फोर' होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. it must be 'for', 'exigencies of the purposes for which...' not 'or which'.

श्री भैरोंसिंह : यह अमेंडमेंट तो मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मिसप्रिन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : It should be 'for'. "exigencies of the purposes for which the entry..." यह भी उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था जरूर की है। "Due regard shall always be had so far as may be compatible with the exigencies of the purposes for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered"

यह भी एक प्रश्न पैदा होता है कि हमने, मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में जहां तलाशी लेने की व्यवस्था है और उस सम्बन्धी धारायें हैं कि किसी समय तलाशी ली जा सकती है। सरकूलर भी इश्यू कराया धारा के साथ, तो मैं कह नहीं सकता शायद कानून में व्यवस्था है कि इस प्रकार का इन्सपेक्शन हो, तलाशी हो, उस समय धार्मिक चीजें हैं उनको उसी प्रकार, पहले के अनुसार रखा जाय, जितना हो सके इन कामों के अन्दर कोई दखल न हो या किसी प्रकार अड़चन पैदा न हो ऐसा रखा जाय। सरकार ने भी उसी दृष्टिकोण से रखा है। लेकिन यहां झगड़ा ऑक्यूपेन्टस का आता है।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, कई स्थान ऐसे हैं, जैसे मंदिर हैं, मंदिर की दूकानें भी हैं, किराये पर हैं, हाल और दूकानें किराये पर हैं शब्द ऊपर हाल है तो, ऑक्यूपेन्टस और असली मंदिर के और दूकानों के मालिक में डिफ़रेन्स है। मंदिर किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पति नहीं हो सकती है, वह तो सार्वजनिक होना है। ऑक्यूपेन्टस कौन होगा? अरबन एरिया में। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ जयपुर में कई प्रकार की घटनायें हुई हैं, एक नहीं, कई हुई हैं, एक मंदिर के पास अरबन इम्प्रूवमेंट ने लाइन डाली है, सड़क बनाई है और मंदिर के सामने दीवार लगा कर खड़ी कर दी। मंदिर में आने वालों को मजबूर कर दिया। इस प्रकार मंदिर को बर्बाद किया जा रहा है। कई मंदिरों को तो डिमोलिश भी कर दिया। दीवार बनाने के बाद जमीन का अलॉटमेंट हो गया और आज मकान बन रहे हैं। एक आदमी कन्सीड कर सकता है लेकिन मंदिर सार्वजनिक चीज़ होती है। सारे लोग जो मंदिर से सम्बन्ध रखते हैं या तो सारों को इत्तला दी जाय और इत्तला नहीं दी जाती है तो धार्मिक स्थानों पर सरकार की ओर से, बल्कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की ओर से एन्क्रोचमेंट हो सकता है उस हालत में कानून में व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: How could you fail to move amendments to this effect. The position would have been right if you had moved the amendments.

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैं अमेन्डमेन्ट्स नहीं दे सका। लेकिन यह एक भयंकर गलती हो जायगी कि इस गलती के कारण जो सुधार होना चाहिये था वह इसमें न हो सके।

आगे आता है क्लॉज २। "(2) Whenever the Chairman enters into upon any land in pursuance of sub-section (1) he shall at the time of such entry pay or tender payment for all necessary damages to be done as aforesaid and, in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the Trust whose decision shall be final"

श्री भैरोंसिंह : यहां फिर एक झगड़ा पैदा होता है असेसमेन्ट का। चेयरमैन किसी जगह में प्रवेश करता है उसमें झगड़े का प्रश्न नहीं लेकिन अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का कोई एरिया ऐसा आता है जिसमें खेती होती है उस खेत वाली जमीन को मास्टर प्लान में शामिल कर लिया तो इसकी पहली धारा ए० बी०सी० डी जिसमें लेवलिंग मार्किंग आदि का उल्लेख है ये सारी चीज़ें हैं उन चीजों के लिये इन्स्पेक्शन की बात किसी खेती की जमीन पर होती है तो निश्चित रूपसे उसमें नुकसान होगा। उसका असेसमेन्ट कैसे होगा इसमें आपने चेयरमैन को अधिकार दिया है कि वह उसका कम्पनसेशन दे देगा। चेयरमैन असेसमेन्ट कैसे करता है यह व्यवस्था इसमें नहीं दी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उप मंत्री महोदय जो आज उपस्थित नहीं हैं 'गुड विल' पर ज्यादा विश्वास करते हैं लेकिन हमें उस गुडविल को भी किसी हद्तक डिफाइन करना पड़ेगा। गुडविल में जनता को लॉभ भी हो सकता है, ट्रस्ट को लाभ हो सकता है और सरकार का भी लाभ हो सकता है। गुडविल

(श्री भैरोंसिंह)

के अनुसार अपनी मर्जी चाहे जैसा डिसक्रिशन एप्लाई करें यह ठीक नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जहां कम्पनसेशन देने का प्रोवीजन है किसी के मकान को तुडवाते हैं या किसी प्रकार की हानि करते हैं उसके लिए कम्पनसेशन का आता है उसके लिये है "Whenever the Chairman enters into upon any land in pursuance of sub-section (1)..." इसके सब-सेक्शन कई प्रकार की उप धारायें हैं। अगर किसी के मकान में प्रवेश करता है और उस प्रवेश से नुकसान होता है तो चेयरमैन को अधिकार दे दिया कि वह उसका कम्पनसेशन तय करे। कम्पनसेशन किस प्रकार के डिटरमीन किया जायगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं न इसके लिये यह भी है कि चेयरमैन महोदय उसके लिये नियम बनायेगें in the manner prescribed or under the rules prescribed...इस प्रकार की बात होती तो समझ में भी आती। कम्पनसेशन देने के सम्बन्ध में न किसी प्रकार के नियम हैं और न कोई और व्यवस्था और न बोर्ड को अधिकार दिया गया है। केवल चेयरमैन ऑथोराइज़ कर दिया गया है कि वह चाहे जितना कम्पनसेसन दे दे इसप्रकार की खुली छूट देने का जो अधिकार है वह ठीक नहीं है। नियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार के अधिकार दिया हैं तो वह प्रोपर है। कम्पनसेशन का प्रावधान और वेल्युएशन का क्श्चन इन दोनों में किसी प्रकार से एप्लीकेशन मूव की जायगी, कौन ऑफिसर होगा जो नुकसान को असेस करेगा ये जो इस प्रकार की चीजे हैं इन सब के बारे में डेफीनेट रूल्स बनने चाहियें। आगे तीन लिखा है : (‹3 It shall be lawful for any person authorised under sub-section (i) to make an entry for the purpose of inspection or search to open or cause to be opened a door, gate or other barrier—.

(a) if he considers the opening there of necessary for the purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent or being present, refuses to open such door, gate or barrier.'

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार की धारा है जो प्रजातंत्र के युग में विशेष तौर पर समय के अनुकुल नहीं कही जा सकती। हमने अधिकार दिया है मकान में प्रवेश करने का, हमने अधिकार दिया है सर्वेस करने का, ज़मीन को लेवलिंग करने का ये सब अधिकार दिये हैं मकान के अन्दर प्रवेश करने पर अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस पर कम्पनसेशन देने की भी व्यवस्था की है लेकिन हम यह अधिकार देना नहीं चाहते कि वह किसी प्रकार का नुकसान करें इस के अन्तर्गत हम नुकसान करने का अधिकार देते हैं। नुकसान के भी दो पहलू हैं एक तो नुकसान से ज्यादा हित होता है या उससे लोगों को हैरानी होती हो दोनों चीजों को किस प्रकार से रेगुलेराइज़ किया जा सकता है। हमने छूट दे दी है " (3) It shall be lawful for any person authorised under sub-section (1) to make an entry for the purpose of inspection or search to open or cause to be opened a door, gate or other barrier..." अब अगर किसी आदमी के कारण इन्स्पेक्शन के प्रश्न पर झगडा होता है, चेयरमैन ने किसी व्यवस्था को अधिकार दे दिया वह व्यक्ति किसी मकान में प्रवेश करता है उसके बाद में अन्दर के दरवाजों को खुलवाने की बात करता है वैसी

(श्री भैरोंसिंह)

हालत में उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल पैदा होता है कि उस मकान में केवल मकान मालिक ही नहीं रहता कई और टिनेन्ट्स भी रहते हैं उनमें से कुछ टिनेन्ट्स तो वहां मौजूद हैं बाकी के नहीं रहते। एक मकान में आपका आदमी घुसता है एक आदमी जो मकान के दरवाजे के पास ही रहता है वह घुसने देता है लेकिन उसके अलावा भी मकान के अन्दर दूसरे आदमी रहते हैं उस पहले वाले आदमी को यह कहा जाय कि सारे मकान के ताले खोलकर बताओ नहीं तो ताले तोड दिये जायेंगे ऐसी अगर परिस्थितियां होती हैं तो मैं समझता हूं यह बिलकुल उचित नहीं होगा। इसके लिये आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि सब से पहले सारे मकान में रहने वालों को और मकान मालिक को नोटिस मिलना चाहिये फिर चेयरमैन साहब उसमें यह भी बतायें कि मुझे मकान के उस स्थान को देखना है और इस पर्पज के लिये मकान देखना है अगर नहीं दिखायेंगे तो दरवाजे तोड कर घुस जाऊंगा इसमें जो रीजन्स बताये गये हैं वे मामूली रीजन्स है वह है मकान में किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मकान के अपार्टमेन्ट में प्रवेश करने का प्रश्न आयगा तो स्पेसिफिकली रीजन बताने का प्रावधान नहीं है। वह प्रवेश कर जाय चाहे जो दरवाजे वह तुडवा दे। कम्पनसेशन सरकार देती। हमारे यहां लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट सन् ५३ में बना था

श्री उपाध्यक्ष : I will be helping the Hon'ble Member by placing before him an identical provision as laid down in the Rajasthan Municipalities Bill and the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951. Clause 255 of the Municipalities Bill says :-"It shall be lawful......"Exactly identical provision. So is the case with the Town Municipalities Act.

श्री भैरोंसिंह : इसमें उपाध्यक्ष महोदय फर्क है। म्युनसिपल कानून जो है उसमें मकान को तुड़वाने का प्रोवीजन नहीं है। सेनीटेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से कन्स्ट्रक्शन के पोइन्ट ऑफ व्यू से इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसको दुरूस्त करवाया जा सकता है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जिस प्रकार की स्कीम्स होंगी उसमें कई मकानों का डिमोलिशन होगा। सडकों के बीच में यदि कोई मकान आते होंगे तो उनको हटाया जायगा। म्युनिसिपल बिल में जो प्रावधान है उसके अनुसार इनहाईजिनिक मकान हो या इस प्रकार का बना हुआ हो जिसके गिरने का अन्देशा हो और जिससे ह्युमेन बीईंग को खतरा पैदा हो जाय। इस प्रकार के मकान को इन्स्पेक्शन करने का अधिकार है। किसी मकान को तोडने का बाउन्ड्री मार्क्स लगवाने के लिये या लेवलिंग करने के लिये किसी मकान को तुड़वाने या डिमोलिशन करने का जहां तक ताल्लुक है वह तो अर्बन इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत ही होता है। म्युनिसिपेलिटी के फंक्शन में और अर्बन इम्प्रूवमेंट के फंक्शन्स में रात दिन का अन्तर है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें एकाधिकार न रखा जाकर इसमें जो खामियां हैं उसको दुरूस्त किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हालांकि मैं अमेन्डमेन्ट मूव नहीं कर सका इसमें जो कुछ खामियां हैं जिनको हमें दूर करना है, इसलिये अच्छा तो यह हो कि माननीय मंत्री महोदय अपनी

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

तरफ से इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट मूव कर दें या मुझे वे आज्ञा दें तो इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर मैं ड्राफ्ट कर सकता हूं। मैं संशोधन मूव नहीं कर सका इसके लिये मुझे खेद अवश्य है।

११. म० पू०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर माननीय सदस्य ने लम्बी चौड़ी बहस की और अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करने के बारे में खेद प्रगट किया मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको खेद करने की आवश्यकता नहीं। जैसा प्रोविज़न रखा गया है यह बिल्कुल ठीक है और ठीक ढ़ंग से ड्राफ्ट किया गया है। कुछ प्रिन्टिंग एरर्स हैं उसको ठीक किया जा सकता है बाकी जो यह धारा ड्राफ्टेड है वह बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट की गई है इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट पेश नहीं कर सके इसलिये अफसोस किया उनको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। यह क्लॉज़ जैसा है ठीक है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अंग्रेजी में है इसलिए समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको वह बात बड़ी चुभ गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई चुभने की बात नहीं थी। यह तो माननीय सदस्य के यह कहने पर कि आपसे तो ज्यादा हमारे मुनीम ही पढ़े लिखे हैं उस पर कह दिया। यह कोई ऐसी बात नहीं थी।

यह जो क्लॉज़ है इसमें जो प्रोविज़न है वह बिल्कुल सही है इसमें किसी प्रकार की खामी नहीं है। कानून का जहां तक ताल्लुक है उसमें वेनएवर नेसेसरी इसी प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। कानून का जो ड्राफ्ट होता है उसमें केवल इन्सपेक्शन पर्पज़ ही लिखते हैं। इसके अलावा जो पर्पजेज़ हैं वे वहां मेन्शन करते हैं तो वह कानून के रूप से ठीक नहीं माने जाते। वह कानून बनाने का गलत तरीका होगा। इसके अलावा अगर कोई कमी है इसमें एन्ट्री हो सकती है लेकिन आपकी जो मन्शा है उसमें किसी प्रकार का फर्क आने वाला नहीं। प्रोवीजो की जो बात है मैं समझता हूं वह तो ऑक्यूपायर के हित में है ओनर ऑफ दी हाउस और ऑक्यूपायर दोनों के हित में है उन्हीं की अधिकारों की रक्षा के लिये यह रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : नोटिस आप किसको देंगे।

ऑक्यूपायर में वह भी हो सकता है और मकान का मालिक भी हो सकता है इसलिये नोटिस दोनों को होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मकान मालिक को देने से क्या मतलब। मान लीजिये मकान मालिक कलकत्ता रहता है उसको देने से क्या फायदा। असुविधा जो होने वाली है जो आदमी रहता है उसको होगी। ओनर ऑफ दी हाउस को नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने इसमें रखा है इन्स्पेक्शन इसलिये करेगा फलां हिस्से को गिराना है, उसकी क्या वेल्यूएशन है इस प्रकार के कई पोइन्ट्स हैं जिनके लिये इन्स्पेक्शन होगा। उस मकान को हटाया भी जा सकता है इसलिये आपको जो कुछ ओपीनियन मिल सकेगी वह उसी आदमी से मिल सकेगी। किरायेदार को सारी बातों का मालूम नहीं इसलिये ज्यादा अच्छा होगा कि दोनों को आप नोटिस दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इन्स्पेक्शन इम्प्रूवमेंट स्कीम के सम्बन्ध में है जब स्कीम बनती है स्कीम बनने के बाद फिर नोटिस जारी होता है उस बारे में एडवरटाइमेन्ट किया जायगा किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति रखेगा। जहां तक एन्ट्री का सवाल है वह यही जाकर देख सकेगा कि हाउस में रहने वालों को इससे क्या इन-कनवीनियेन्स हो सकती है।

मैं समझता हूं जितने भी प्रोविजोज़ लगाये गये हैं वे सब आवश्यक हैं। हाउस ओनर को २४ घंटे का नोटिस दिया जायगा उसके बिना एन्ट्री नहीं होगी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। फीमेल्स के विषय में ध्यान रखा जायगा यह भी बहुत उचित है। एन्ट्री के जो अधिकार दिये गये हैं उसमें ये जो प्रोविज़न जो लगा दिये गये हैं उसका खास तौर से ध्यान रखा जावेगा। इसके अलावा एन्ट्री में किसी प्रकार का डेमेज होता है तो उस पर कम्पेनसेशन देने का भी हमने इसमें रख दिया है किसी में भी इस प्रकार का प्रोवीज़न नहीं होता। फिर भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि एन्ट्री में किसी प्रकार का डेमेज होता है तो उसका कम्पेनसेशन दिया जायगा। उसमें यदि किसी प्रकार डिसप्यूट होगा तो वह ट्रस्ट के सामने रखा जायगा। इससे अच्छा और ज्यादा क्या प्रोविज़न हम कर सकते हैं। सब-क्लॉज़ तीन ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो चार प्रोविजन जो रखे गये हैं वे सब यू.पी.के एक्ट के अन्दर उसी को लेकर हमने यहां रखा है। यू. पी. का यह एक्ट सन् १९१९ में बना है अब तक उसके बारे में किसी की भी शिकायत नहीं आई और अब तक भी उसमें किसी प्रकार का अमेंड-मेंट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हमने भी उसी एक्ट से प्रोवीजो लिये हैं....

श्री भैरोंसिंह : ऑक्यूपायर को कहीं डिफाइन किया है क्या हमने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिक्शनरी में इसके माने साफ हैं ऑक्यूपायर मीन्स जो आदमी मकान में रहेगा उसको डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं। टिनेन्ट्स और ओनर दोनों ऑक्यूपायर में आ सकते हैं और आयेंगे। जो मकान पर काबिज़ है उसको नोटिस दिया जायगा उसके बाद उसमें प्रवेश होगा इसमें चाहे वह मकान का मालिक हो या किरायेदार हो। मान लीजिये मकान मालिक कलकत्ता रहता है और यहां उसके मकान में किरायेदार रहता है वैसी हालत में मकान मालिक को नोटिस देने से क्या फायदा जब स्कीम बन जायगी तो नोटिस सबको दिया जायगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो यह क्लॉज़ रखा है बहुत सोच समझ कर रखा है। यू. पी. के अन्दर इसी प्रकार का एक्ट है जो चालीस साल से चल रहा है। इसमें किसी प्रकार के चेन्ज करने की आवश्यकता नहीं। प्रिन्टिंग एरर

Page No.64

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इन्क्वायरी की जगह एन्ट्री हो गया है उस और की जगह फोर होना चाहिये। बाकी सब वैसे का वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इसको क्लेरिकल एरर ही मानते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये क्लेरिकल एरर हैं वैसे भी ठीक हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७७ ए को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७७ ए स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ७८

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७८ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ ७६

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इस कानून में व्यवस्था हो रही थी कि सरकार की तरफ से किसी को नुकसान हो जाय किसी का मकान तोड़ दिया जाय या किसी के ज़मीन पर अधिकार कर लिया जाय या किसी का दरवाजा तोड़ दिया जाय तो इन सब बातों के लिये धारा ७८ में कम्पेनसेशन की व्यवस्था की थी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उस व्यक्ति को कम्पेनसेशन देगा। और वह कम्पेनसेशन देगा जितना उचित समझेगा। अब हमने व्यवस्था की है कोई भी व्यक्ति जिसकी गलती के कारण या भूल के कारण कोई ट्रस्ट की प्रोपर्टी को नुकसान होता है तो उससे उसका कम्पेनसेशन लिया जायगा और इसके साथ साथ यह भी प्रावधान रखा है उस व्यक्ति को इस प्रकार के जुर्म के अन्दर सज़ा भी हो जाती है तो भी कम्पेनसेशन लिया जायगा। एक प्रोविज़न तो हम यह कर रहे हैं कि किसी ने जुर्म किया तो उसको एक्ट के अन्तर्गत प्रोसीक्यूशन होगा उसको एक प्रकार से दंड दे दिया गया इस प्रकार का प्रावधान रखा है और उसके बावजूद दुबारा यह प्रावधान रखना चाहते हैं उस व्यक्ति से कम्पेनसेशन भी लिया जायगा जिस बात के लिये उनको सज़ा मिल चुकी है। अगर उसको सज़ा नहीं मिलती तो वह कम्पेनसेशन से भी बचता और सज़ा से भी बचता। जहां तक मैंने देखे हैं इस प्रकार के अर्बन इम्प्रूवमेंट के केसेज़ के अन्दर मालदार आदमी नहीं मरते बल्कि गरीब ज्यादा मरते हैं। किसी की ज़मीन लेवलिंग कर दी गई। कहीं से कच्चे घर उठा दिये गये उसके बाद किसी जगह उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया तब तक सिवाय इसके वे आदमी उसी स्थान पर जमे रहे और क्या कर सकते हैं उसी घर में जमा रहेंगे। उस स्थान का वह उपयोग भी कर सकते हैं और उपयोग करने के कारण से, वहां रहने के कारण से अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने जो कुछ काम किया उसका नुकसान हो सकता है, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने प्रॉपर्टी के अन्दर यदि

(श्री भैरोंसिंह)

कोई लैंडमार्क वहां लगा दिया, या कोई जगह टूट गई, कहीं नुकसान हो गया, कहीं पर मार्क्स लगाये हैं वह मिट गए तो उसका प्रोसीक्यूशन होगा और प्रोसीक्यूशन होने के बाद में उसको दण्ड दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि ५८० रुपये के जुर्माने की व्यवस्था आपने इसमें रखी है। यह उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो कि वास्तव में गरीब हैं और यह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का झगड़ा कोई पूंजीपति से नहीं होगा। जयपुर में जितने भी काम हुए हैं वहां पर कोई बिडला या टाटा की फैक्ट्रीज़ आपको नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको गरीब आदमियों की झौंपड़ियां मिलेंगी। हम उन लोगों को बेदखल करके उस स्थान का डेवेलपमेन्ट करने वाले हैं और अब हम उन्हीं लोगों के लिए प्रावधान रखते हैं कि यदि उनके द्वारा कोई नुकसान हो गया तो उनको दण्ड दिया जायेगा और साथ ही जो नुकसान किया है उसकी कीमत भी वसूल की जायेगी। सरकार दण्ड दे रही है और दण्ड इस बात का दे रही है कि उसको नुकसान पहुंचा है। अब यदि ५०० रुपये का जुर्माना आता है तो उस जुर्माने को आप एडजस्ट करना चाहें तो उसके नुकसान के खाते में एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन आपने प्रावधान कर दिया कि उसकी गलती के ऊपर जो नुकसान उसने किया है उस पर दण्ड भी दिया जायेगा और साथ ही जिस प्रोपर्टी का नुकसान किया है उसका कम्पेन्सेशन भी लिया जायेगा मेरे ख्याल से आगे चलकर प्रावधान यह भी होगा कि कम्पेन्सेशन कि प्रकार से वसूल होगा और वसूली इस प्रकार की किसी भी आदमी के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने उनके लिए दण्ड का प्रावधान रखा है और जब दण्ड का प्रावधान रखा है तो फिर आगे कम्पेन्सेशन के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ दण्ड आपने दे दिया है और उस दण्ड के रुपये को ही जमा करके उससे कम्पेन्सेशन की पूर्ति कर दी जाये, ऐसा मेरा सुझाव है।

अब इसके बाद में प्रश्न यह आता है कि कम्पेन्सेशन डिटरमिन कौन करेगा कितना नुकसान हुआ है इसका असेसमेन्ट किस प्रकार से होगा। माननीय मंत्री महोदय मुझे इस पूरे बिल में से बता दें कि किसी भी क्लॉज़ में कोई ऐसी बात आई हो कि कितना नुकसान हुआ है इसको डिटरमिन कौन करेगा? केवल शिकायत हुई कि अमुक व्यक्ति के द्वारा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की प्रोपर्टी का इतना नुकसान हो गया उसके बाद में उसका प्रोसीक्यूशन होगा और प्रोसीक्यूशन होने के बाद में उसको दण्ड मिल गया, पर कितना नुकसान हुआ इस पॉइन्ट को कौन डिसाइड करेगा। यह अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड तय करेगा। कम्पेन्सेशन के बारे में ट्रस्ट तय करेगा। पर कितना नुकसान हुआ कौन कम्पेन्सेशन को डिटरमिन करेगा? कहां उसकी अपील हो सकती है और कहां उसका रिवीज़न हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस खंड का गरीबों के ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में इस धारा को आप हटा दें और इसके स्थान पर यह व्यवस्था कर दें कि दण्ड का रुपया आगे के लिए कम्पेन्सेशन के खाते में जमा करके वह ट्रस्ट को दे दें। तो यह बात समझ में आ सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महो-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दय, यह खंड बिलकुल सीधा है और इसमें आपत्ति की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। अगर किसी आदमी ने ऑफेन्स किया ट्रस्ट की प्रोपर्टी के खिलाफ, किसी ने उसको तोड़ दिया और उसमें मजिस्ट्रेट के यहां केस जायेगा।तो ऑफेन्स हो जाने के बाद में अगर प्रोपर्टी का डेमेज हुआ है तो उसके लिए कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा है। तो यह मजिस्ट्रेट तय करेगा अगर कम्पेन्सेशन के मामले में डिस्प्यूट हो

श्री भैरोंसिंह : वह तो बाद में करेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाद में ही तो तय करेगा।

श्री भैरोंसिंह : पहले ट्रस्ट करेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें यह है : " (2) In the event of dispute, the amount of compensation payable by the said person shall be determined by the magistrate before whom he was convicted of the said offence," मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के यहां केस का चालान हुआ और चालान चल रहा है और बोर्ड ने कहा कि इतना नुकसान किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने यह चीज़ रखी गई है...

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप मजिस्ट्रेट को ही, नुकसान कितना हुआ, इसके असेसमेन्ट की पावर्स क्यों नहीं दे देते ? अगर डिस्प्यूट करेगा तो फिर वह मजिस्ट्रेट के पास यह मसला जायेगा और वह तय करेगा तो यह दो एक तरह से दो मुकदमे एक साथ लगे। एक बार तो मान लीजिए कि दण्ड दिया उसके बारे में कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा और दूसरी बार कम्पेन्सशन देना है और उसमें डिस्प्यूट हुआ तो उसके लिए भी कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो जितना नुकसान होता है उसके बारे में आज उचित निर्णय हो वह मजिस्ट्रेट हो दे और उसका फैसला बोर्ड को और उस व्यक्ति को स्वीकार हो और अगर स्वीकार न हो तो आगे अपील कर दे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें तो ज्यादा दिक्कत होगी। नुकसान कितना हुआ वह तो बोर्ड डिटरमिन कर देगा और वह उस व्यक्ति को पे करना होगा और अगर उसको आपत्ति है तो फिर कोर्ट के सामने उसको जाना होगा। अगर हर केस में हो मजिस्ट्रेट के सामने यह चीज़ जायेगी तो दिक्कत हो जायेगी और मजिस्ट्रेट के पास काम भी अधिक हो जायेगा इसलिए यह प्राविज़न रखा है कि अगर वाले-न्टेरेली किसी की मोटर से प्रोपर्टी को नुकसान हुआ तो बोर्ड कह देगा कि दो रुपये का नुकसान हुआ है और उसको पे करो। तो वह पार्टी पे कर देगी। तो इस हालत में फिर कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं है अगर उसको एतराज है और कोई डिस्प्यूट हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा यह तरीका रखा है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उससे तो ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। मान लीजिए कि मेरी साईकिल से बोर्ड की किसी प्रोपर्टी को डेमेज हुआ और थोड़ा सा नुकसान हुआ तो बोर्ड उसके कम्पेन्सेशन का पैसा बता देगा और वह पे कर देगा और अगर ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा तो इससे दोनों को ही दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रावधान रखा गया है वह ठीक है। इसके अन्दर में सम-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

फता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो प्रोविज़न है वह बिलकुल सीधा है और इसको पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७६ स्वीकार किया जाये ?

जो इसके पक्ष में हों 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों 'ना' कहें

'हां' पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'हां' पक्ष जीता कोई नई बात थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : Then division. I hope the Hon'ble Member is serious.

श्री भैरोंसिंह : Serious enough, Sir.
(विभाजन घंटी के पश्चात् पुन :)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७६ स्वीकार किया जाये ? जो पक्ष में हों वे हां कहें और जो विपक्ष में हो वे 'ना' कहे

(हां पक्ष जीता)

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जो मेम्बर्स अनुपस्थित थे उनको इस बात की जानकारी दी जाये कि क्लॉज़ ७६ क्या है जिसके ऊपर हम वोट दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : There is presumption that they have the knowledge of the Bill being discussed and the clause being discussed.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He should have knowledge about his arguments.

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता। क्लॉज़ ७६ स्वीकार की गई।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

क्लॉज़ ८०। श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, खंड ८० के द्वारा बोर्ड का किन स्थितियों में विघटन होगा अथवा गवर्नमेंट किस किस कन्डीशन पर बोर्ड को डिजोल्व कर सकेगी, इस संबंध में अधिकार दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रकार से लिखा है :

"80. Ultimate dissolution of Trust and transfer of its assets and liabilities to the Municipal Board.-(1) When all schemes sanctioned under this Act have been executed, or have been so far executed as to render the continued existence of the Trust, in the opinion of the State Government, unnecessary, the State Government, may by notification, declare that the Trust shall be dissolved from such date as may be specified in this behalf insuch notification, and the Trust shall be deemed to be dissolved accordingly." इसमें जहां तक पहली बात है कि यदि सारी स्कीम्स पूरी हो जाय, यहां तक तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की ओपीनियन में गवर्नमेंट यह देखे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

"or have been so far executed as to render the continued existence of the Trust, in the opinion of the State Government, unnecessary..." यह आगे का जो इस प्रकार का अंश है कि ट्रस्ट को चाहे स्कीम कन्टीन्यू कर रही है अगर गवर्नमेंट का दृष्टिकोण यह हो कि वह स्कीम ट्रस्ट के द्वारा एक्जीक्यूट नहीं हो रही है या अब ट्रस्ट उस स्कीम को एक्जीक्यूट नहीं कर सकता है तो किसी भी परिस्थिति के अन्दर डिजोल्व कर सकती है। जहां पर यह है कि एक स्कीम बनाई थी और वह पूरी हो गई है उसके बाद में ट्रस्ट को डिजोल्व किया जा सकता है तो यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन जहां पर स्कीम पूरी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई है और उसके बीच में ही गवर्नमेंट यदि यह देखे कि वर्तमान स्थिति में ट्रस्ट कन्टीन्यु नहीं करना चाहिए तो इस स्थिति में वह ट्रस्ट को कन्टीन्यू नहीं करती है और उस स्थिति में यह डिसाइड करती है कि ट्रस्ट जिस स्कीम को एक्जीक्यूट कर रहा है उस स्कीम को एक्जीक्यूट करने के लिए ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। मंत्री महोदय शायद यह कहेंगे कि स्कीम कुछ तो एग्जीक्यूट हो गई है और बाकी की जो बचेगी उसको म्युनिसिपल बोर्ड एग्जीक्यूट करेगा। उस पर हम देखते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड किसी स्कीम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है इसीलिये तो वह ट्रस्ट बनाया था। जब तक ट्रस्ट उस स्कीम को एग्जीक्यूट नहीं कर दे उसके पहले ही ट्रस्ट को डिजोल्व करते हैं तो यह बात किसी भी तरह से समझ में नहीं आ सकती। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वह ट्रस्ट किसी स्थिति में यह गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कि उसको पूरा नहीं कर रहा है, सारे डाइरेक्शन को पूरा नहीं कर रहा है, उस स्थिति के अन्दर धारा ८० का सहारा लेकर किसी भी ट्रस्ट को डिजोल्व किया जा सकता है चाहे वह ठीक ढंग से काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा हो। सारी अवस्थाओं के अन्दर गवर्नमेंट धारा ८० का सहारा लेगी और उस ट्रस्ट को डिजोल्व कर देगी।

अब डिजोल्व होने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड किस तरह से लायेबल हो सकता है यह भी इसके अन्दर दिया गया है। धारा २ है :

"(b) all liabilities which are enforceable against the Trust shall be enforceable against the Municipal Board:" अब वो सारी लायेबिलिटी जो किसी भी ट्रस्ट के विरुद्ध जारी की जा सकती थी वह म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध जारी की जायगी। मान लें कि ट्रस्ट को किसी का रुपया देना है और ट्रस्ट को जो रुपया मिलता है वह गवर्नमेंट से मिलता है और उसको चलाने की सारी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। म्युनिसिपल बोर्ड पर ट्रस्ट को बताने की जिम्मेदारी नहीं है तो ट्रस्ट के अन्दर किसी का बकाया रह जाता है और वह उसके ऊपर लायेबिलिटी है तो उसकी देनदारी किस की होगी ? वह गवर्नमेंट की होनी चाहिए न कि म्युनिसिपल बोर्ड की, क्योंकि उसको चलाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड की नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड के तो दो मेम्बर लेते हैं। अगर वह दो मेम्बर नहीं भेजता है तो गवर्नमेंट किन्हीं दो सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। उस स्थिति में म्युनिसिपल बोर्ड किस स्थिति के अन्दर बाकायदा देनदार हो, यह समझ में नहीं आता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है। ट्रस्ट ने बहुत बड़ी स्कीम चालू कर दी और उसमें लाखों रुपयों की देनदारी हो गई, और चूंकि वह सारी की सारी स्कीम गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड है तो वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से आगे जाकर इसमें लिखा है :

"(d) the Municipal Board shall keep separate accounts of all moneys respectively received and expended by it under this Act, until all loans raised hereunder have been repaid, and until all other liabilities referred to in clause (b) have been duly met"

तो क्लॉज़ बी के अन्दर जो लायेबिलिटी हैं उसी प्रकार से इसके अन्दर है कि सारे लोन्स के जितने सारे अकाउन्ट्स हैं वे सेपेरेटली मेन्टेन किये जायेगें। इसका अर्थ यह है कि सारी भुगतान का, देन लेन का, और सारे ऋणों का वह सारे का सारा अलग हिसाब रहेगा। लेकिन जो लायेबिलिटी क्लॉज बी के अन्दर हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि लायेबिलिटीज़ आप सारी की सारी म्युनिसिपैलिटी पर रखना चाहते हैं। तो इस समिति में जब कि उसमें म्युनिसिपल बोर्ड की स्वीकृति नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड की जिसमें इच्छा नहीं है वह क्यों उसके लिए सारे के लिए जिम्मेदार हो जाय। म्युनिसिपल बोर्ड उसको अपनी इच्छा से नहीं लेती है। जब ट्रस्ट डिजोल्व होगा तो अल्टीमेटली म्युनिसिपल बोर्ड के पास चला जायगा। तो ट्रस्ट की देनदारी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहनी चाहिए और म्युनिसिपल बोर्ड पर नहीं रहनी चाहिए। इस स्थिति के अन्दर, इस धारा के अन्दर खंड बी के अन्दर मेरा अमेंडमेंट है उसी प्रकार से सब सेक्शन (२) की उपखंड (डी) के अन्दर है। उसमें यह कहा गया है सारे खाते अलग रखेगें तो म्युनिसिपल बोर्ड के जो फण्ड्स हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लेकिन जो खंड (२) की उपखंड (बी) के अन्दर सारी लायेबिलिटी जो हैं उसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड पर रहेगी। यह किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आता है। इसलिए उपखंड (डी) को अलग-सेपेरेट रूप में रखा जाय तो ठीक रहेगा। अन्यथा गवर्नमेंट किसी भी ट्रस्ट को डिजोल्व करेगी और म्युनिसिपल बोर्ड के मत्थे मढ़ देगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में बहुत सीधा सा प्रोविज़न है। अगर इम्प्रूवमेंट स्कीम पूरी हो गई तो क्या होगा। इसमें ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि स्कीम पूरी हो जाने के बाद अगर उसके एसेट्स और लायेबिलिटीज़ हैं उनको दोनों को म्युनिसिपल बोर्ड ले लेगें और ट्रस्ट का फंक्शन बन्द हो जायगा, और उसके एकाउन्ट सेपरेट रखेगें। जो कुछ देना है या लेना है उसका एकाउन्ट बोर्ड सेपरेट रखेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें आपत्ति की क्या बात है? एसेटस, प्रोफिट या फण्ड है वह तो ले ले और देना है उसका प्रोविजन नहीं रखा जाय तो लायबिलटी की जिम्मेदारी किसकी हो? आप कहते हैं कि ट्रस्ट का जो प्रॉफिट है, फण्ड है वह म्युनिसिपल बोर्ड को देना चाहिए तो जो उसकी लायेबिलिटी है वह कौन देगा? वह भी उसको देना चाहिए। उसका एकाउन्ट सेपरेट रखना चाहिए। इसके अन्दर यह नहीं समझ पाया कि गड़बड़ क्या है? यह बहुत सीधा सा प्रोविज़न है। बहुत सिम्पल हैं। उसको जैसा है वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८० व ८१ को स्वीकार किया जाय।

ी उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८० व ८१ स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १७, १८ व १६...

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है...

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १७ पर एमेंडमेंट्स हैं। श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ १७ पर जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज़ १७ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ स्वीकार किया गया।

क्लॉज़ १६, श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६ पर मेरा एमेंडमेंट है, जो कि इस प्रकार से है : Add the following further proviso :-

"Provided further that the administrative and technical officers of the Trust shall be appointed by the State Government from amongst the corresponding officers encadred in the Rajasthan Municipal Service and the strength of that service shall be increased accordingly."

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसी सत्र में राजस्थान म्युनिसिपल विधेयक को पास किया है, और उस विधेयक में हमने इस बात का प्रावधान रखा है कि राजस्थान में म्युनिसिपल सर्विसेज़ कायम की जायं। उन म्युनिसिपल सर्विसेज़ के लिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिलेक्शन और अपोइन्टमेंट का प्रावधान रखा है। यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इम्प्रूवमेंट बिल है जो कि आज यहां सदन में पास किया जा रहा है उसमें भी एक संशोधन मेरा सदन के समक्ष है कि इसमें जो सेवाएं म्युनिसिपल बोर्ड....

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष : Is the Hon'dle Minister prepared to accept this amendment ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Then it solves the problem.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ पर जो संशोधन श्री भीमसेन ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

क्लॉजेज २० और २० (ए)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २० और २० ए. स्वीकार की जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २० और २० (ए) स्वीकार किये गये।

क्लॉज़ २२

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ पर जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ स्वीकार की गई।

क्लॉजेज २३, २३ (ए) और २३ (बी)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २३, २३ (ए) और २३ (बी) स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २३, २३ (ए) और २३ (बी) स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल, १६५७ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल, १६५७ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया ।

११. ३३ म. पू.

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रारूप पर विचार ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदेय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रारूप को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ़ बिजनेस को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

नियमों के प्रारूप को विचारार्थ लिया गया

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ़ बिजनेस को स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली, रूल्स ऑफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली, रूल्स ऑफ़ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ़ बिजनेस स्वीकार किये गये ।

११.३५ म० पू०

राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण (गठन तथा कार्यवाही) वैधकारी विधेयक, १६५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्युनल (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसिडिंग्ज) वेलिडेटिंग बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

उपाध्यक्ष : Take as many items of business as you can possibly take.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल वेलिडेटिंग बिल जो राजस्थान सरकार ने यहां पर रखा है, जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास हो इस प्रकार की स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा बहुत सोचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस दृष्टिकोण से सोचना है कि राजस्थान सरकार ने जो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल इसके पहले किसी कानून की मातहत...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir. माननीय सदस्य कौन से मोशन पर बोल रहे हैं ?

Page No.73

श्री उपाध्यक्ष : संभवतः पारित किये जाने पर बोल रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लेकिन पारित किये जाने का मोशन है या नहीं मैं यह जानकारी चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : कन्सीडरेशन का प्रश्न डिस्पोज़ ऑफ़ हो चुका है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसिडिंग्ज) वेलिडेटिंग बिल, १९५९ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Vyas.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल की अपॉइन्टमेन्ट के संबंध में जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९४७ था उसमें एक संशोधन सन् ५६ में हुआ और उसके बाद राज्य सरकार को चाहिये था कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा ७ के अंतर्गत संशोधन के अनुसार ट्रिब्युनल अपोइन्ट करते लेकिन राज्य सरकार ने जो संशोधन हुआ, उसके अनुसार ट्रिब्युनल का अपॉइन्टमेन्ट नहीं किया । क्यों नहीं किया इसके कारण देते तो समझ में आता कि क्या कारण थे जिनको लेकर राजस्थान सरकार ने, इस धारा के मातहत परिवर्तन हुआ था और जो अपॉइन्टमेन्ट करना था, वह क्यों नहीं कर सकी, इसका स्पष्टीकरण नहीं है और न होने का यही कारण हो सकता है या तो राज्य सरकार ने इस मामले में बड़ी भारी लापरवाही की है और बुनियादी मुद्दे का कोई ख्याल नहीं किया । मुझे जहां तक पता चला है, मैं समझता हूँ लेबर डिपार्टमेंट में जो संशोधन हुआ था उसके लिए राज्य सरकार को सूचित किया था और कहा था कि इस प्रकार का अमेन्डमेंट करना चाहिये और नया ट्रिब्युनल अपॉइन्ट करना चाहिये लेकिन धारा ७ के मातहत नहीं किया और लापरवाई दिखाई । अब लॉ डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट थी क्या नहीं थी इसका पता नहीं है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बैठी कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया । यदि राज्य सरकार इसके अनुसार अपॉइन्टमेंट कर देती तो जो इतनी बड़ी गलती हुई जिसके कारण सैकड़ों मजदूरों और मालिकों को परेशान नहीं होना पड़ता । जितने एवार्ड हुए हैं उनमें से कुछ में मजदूरों को

११.३९ म० पू०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

फ़ायदा हुआ है और कुछ में मालिकों को फ़ायदा हुआ है । लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो ट्रिब्युनल के सामने विचाराधीन हैं, जिनका फैसला होने वाला है उनमें न जाने कितने मज़दूरों को कितना नुकसान उठाना पड़ा और अब भी मैं यहां तक समझता हूं यदि इसको भी किसी ने चैलेन्ज किया तो क्या स्थिति रहेगी । मैं समझता हूं कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी तो अच्छी बात है लेकिन यह पता नहीं चला कि इतने बड़े मुद्दे पर राज्य सरकार किस प्रकार सोई रही और राज्य सरकार ने अपनी नीति का स्पष्टी-

(श्री मुरलीधर व्यास)

करण नहीं किया। राज्य सरकार ने मजदूरों के प्रति नीति के संबंध में, उनका बौद्धिक स्तर कहां तक पहुँचा है, किस प्रकार से वे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और ऐसा महसूस होता है कि राज्य सरकार मजदूरों के प्रति पूर्णत: उपेक्षित रही है और अच्छे बुनियादी मुद्दों तक के सम्बन्ध में सो रही है क्योंकि जहां जो परिवर्तन करना आवश्यक था, वह नहीं किया। मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में राज्य सरकार कह सकती है कि हमारा दृष्टिकोण अच्छा रहा है, मजदूरों की उपेक्षा नहीं की है और हमारी नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता और न इस प्रकार की बात कह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तविक स्थिति राज्य सरकार की मजदूरों के सम्बन्ध में यह है कि उनके विकास के सम्बन्ध में जो नये नये कानून बनते हैं, उनमें जो परिवर्तन करना चाहिये, उनके सुधार और विकास की दृष्टि से, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णत: सोई हुई है। आपको मालूम होगा कि राज्य में मिनिमम वेजेज एक्ट बना, १६५७ अक्टूबर में मिनिमम वेजेज एक्ट बना, १६५७ से लेकर एक महीने का नोटिस दिया गया कि लोग अपने एतराजात पेश करें। उसके बाद लोगों ने एतराज पेश किये होंगे। अब होना यह चाहिये था कि १६५८ में एक्ट लागू कर दिया जाता लेकिन यह १६५६ चल रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ उद्योगों के ऊपर बहुत बाद में लागू किया है, लेकिन कुछ उद्योगों को छोड़ दिया गया है। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जहां जिन उद्योगों पर यह लागू किया गया है, वह राज्य सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभ्रक खान के ऊपर एक रुपया आठ आना मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार निश्चित हुआ और पत्रों में प्रकाशनार्थ भेज दिया गया। लेकिन मुझे पता चला है कि बाद में राज्य सरकार ने इसको रोक लिया और एक रुपया आठ आना की जगह १ रुपया ५ आना कर दिया। जो सरफेस पर काम करते हैं उनको तो १ रुपया ८ आना कर दिया लेकिन जो अन्डर ग्राउंड वर्क करते हैं उनको १ रुपया ५ आना दिया। क्योंकि कुछ लोग मुख्य मंत्रीजी के पास पहुँचे और बात की। उन्होंने प्रेस से कागज मंगवाये और १ रुपये ८ आने की जगह १ रुपया ५ आना कर दिया....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने १ रुपया ८ आने लागू कर दिये हैं। जो पहले निश्चित किया था, वैसा ही लागू कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अन्डर ग्राउन्ड काम करने वालों के लिए १ रुपया ५ आना रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा प्रोविजन था वैसा लागू किया है, जैसा ओरिजिनल प्रोविजन था वह लागू किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : ओरिजिनल प्रोविजन में इस प्रकार का नहीं था। उसमें अन्डर ग्राउन्ड काम करने वालों के लिए भी १ रुपये आठ आने थे। उसके बाद कुछ लोग मिलते हैं, आई. एन. टी. यू. सी. के लोग मिलते थे....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ओरिजि-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नल ऑर्डर देख लिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह पूछता हूँ कि अन्डर ग्राउन्ड काम करने वालों के लिये १ रु० ८ आना है या १ रु० पांच आने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नहीं कह सकता, पर जैसा शुरू में था, वैसा है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेस में भेज दिया गया था, जब सब के लिए १ रु० ८ आना था । बाद में कुछ लोग मिले उन्होंने शिकायत की और उसके बाद १ रु० ५ आ० किया । मेरी समझ में नहीं आता कि जो ऊपर सरफेस पर काम करें उनको १ रु० ८ आ० मिले और जो अन्डर ग्राउन्ड काम करते हैं, कठिन काम करते हैं उनको १ रु० ५ आ० मिले । यह नहीं हो सकता । इसलिये जो गलती एक बार की जाती है उसको बाद में सुधारना चाहिये । यदि इस प्रकार की गलती करती है राज्य सरकार तो मैं एक बार नहीं सौ बार कहूंगा कि मजदूरों के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षित नीति है । आप इसकी जांच कर लीजिये कि जो अन्डर ग्राउन्ड काम करते हैं उनको १ रु० ८ आ० दिये जाते हैं या नहीं । आप कोल माइन्स में देखिये, वहां पर इस प्रकार की स्थिति नही है । पर आपके स कुछ आई. एन. टी. यू. सी. के लोग आये, उन्होंने शिकायत की तो प्रेस में भेजे हुए कागजों को वापिस मंगा कर आपने सुधार किया । मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार की बहुत गलत नीति है और मजदूरों के प्रति उपेक्षित नीति है । अब जिस प्रकार की पहले गलती की, वही अब करती है, जिस प्रकार से पहले किया, वैसा आगे करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह किसी हालत में ठीक नहीं हो सकता । इतना ही नहीं, मै कहना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से याद है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिल के तहत बोलें । बिल को लाने के जो ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं, वे आपके सामने हैं, बिल किस लिये पेश किया गया है यह आपके सामने है, इसलिए आप रेलेवेन्ट पाइन्ट पर बोलिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : रेलेवेन्सी यही है कि मजदूरों के सम्बन्ध में फिर गलती न करें । मैं यह दोहराना चाहता हूं ...

श्री सभापति : कार्यवाही ऐसी होनी चाहिये.जो बिल के तहत हो,जो रेलेवेन्ट प्रश्न हो, उस पर बोलें, इसमें आपकी प्रतिष्ठा है, और हाउस की भी प्रतिष्ठा है । रेलेवेन्सी हो तो बोलिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है....

श्री सभापति : जो चीज रख रहे हैं वे रेलेवेन्ट नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल जब अपाइन्ट किया था, क्लॉज़ ७ ए के मातहत जो चीज करनी थी, इसमें लापरवाही की, इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार की लापरवाही करने का राज्य सरकार का लेबर के प्रति क्या रवैया रहता है और उससे क्या नुकसान होता है, यह इस मौके पर मैं बताना चाहता हूँ जिससे कि उनको लाभ मिल सके। मैं सदन के समक्ष लापरवाही के उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार की किस प्रकार की उपेक्षित नीति रहती है, जब तक मैं कोई एक्जाम्पल न दूं मैं समझता हूं कि किसी तथ्य में बल नहीं होता। मेरा जो दृष्टिकोण है, उसके लिये सदन में इस प्रकार से उदाहरण न दिये जायं, उसमें ताकत नहीं आ सकती, जो चीज़ मुझे पेश करनी है। मैं समझता हूं कि यह कानून का सवाल है मजदूरों के सम्बन्ध में जो कानून बनाये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की कहां तक उपेक्षित नीति रहती है, उसमें क्या परिवर्तन सरकार कर सकती है, इस दृष्टिकोण से मैंने अपने विचार रखे हैं। मैं, सभापति महोदय से आज्ञा चाहूँगा क्योंकि इस प्रकार से विचारों को बल मिलता है और इस प्रकार जो चीज को बल देने की बात है, उसके लिए मौका प्रदान करने की आप कृपा करेंगे। इसके अतिरिक्त इसके अन्दर जो उद्देश्य दिया है कि किस उद्देश्य को लेकर इस बिल को लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को मालूम होगा कि माइन्स वर्कर्स के लिए देशपांडे अवार्ड हुआ, यह १६५६ में हुआ और ६५ रुपये की तनख्वाह के लिए तय हुआ। परन्तु १६५६ से आज १६५६ चल रहा है, उस पर क्वेश्चन नहीं लिया जा सका। इसी प्रकार दूसरे मामला मिनिमम वेजेज का है, यह हरिजनों के सम्बन्ध में भी लगना चाहिए, जो म्युनिसिपल कर्मचारी हैं, उनके सम्बन्ध में भी लगना चाहिए, बेचारों को २० रुपये देते हैं, २५ रुपये देते हैं, १५ रुपये देते हैं। एक कानून बनता है तो इसलिए बनता है कि जो गिरे हुए लोग होते हैं, उनको ऊंचा उठाना है तो एक चीज होती है १६५६ में और वह १६५६ तक लागू नहीं होती है। मैं कहता हूं कि सरकार की कमजोरी है और हिम्मत के साथ यह किसी चीज को लागू नहीं कर सकती है। यह बुनियादी बात है। इस चीज के दरम्यान में कह दिया कि यह वस्तु स्थिति रही ट्रिब्युनल को अपॉइन्ट करने में। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल का अवार्ड हो जाता है, उन अवार्ड्स का पालन किया जाता है या नहीं, लोगों को लाभ मिलता है या नहीं, इस प्रकार की शिकायतें होने पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। इसके साथ ही मैं जनरलिस्ट्स के लिए कहूंगा कि लोकवाणी के लिए अवार्ड दिया गया, उसके बाद अवार्ड आने के बाद सरकार को बराबर शिकायत करते हैं, कलेक्टर को मामला सौंपा गया लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर जब अवार्ड देते हैं, तो यह मान लें कि अवार्ड से बहुत से लोगों को नुकसान होता है लेकिन मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध अच्छे करने के लिए यह करना चाहिए। आज मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे रहे, इस दृष्टि से एक जो गलती हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए इसे लाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसे लेना चाहिए, लेकिन एक बात इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि आखिर जो गलतियां की, इन गलतियों के पीछे कारण क्या था। या तो मानें कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण जो मजदूरों के सम्बन्ध हैं, वह ठीक नहीं है, या जिस वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है तो उस मामले में जो भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

कानून बनाया जाता है, उस कानून का पालन करने के लिए सरकार या तो मजबूत रहे और उसका पालन कराये। मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्यों को याद होगा कि राज्य सरकार ने एक शॉप्स एण्ड कामर्शियल बिल बनाया था गुमाश्तों के लिए। वह कानून बनाया और कहा कि अप्रैल में यह लागू होगा, सब कुछ होगा। लेकिन गुमाश्ता मण्डल की कितनी शिकायतें पेश हो गई, परन्तु मंत्री महोदय ने आज तक यह कानून लागू नहीं किया, जो काम करने वाले हैं, उन लोगों ने लागू नहीं किया और लागू किया तो एक स्थान को छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर लागू किया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जो मजदूरों के लिए कानून बनाते हैं, उनका बराबर पालन होने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। मैं इस मामले में समझता हूँ कि सरकार ने इसके लिए कारण पेश नहीं किए, इससे ऐसा महसूस होता है कि या तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वे मालिकों के साथ मिल कर इस प्रकार उपेक्षा कर देते हैं, जिससे मजदूरों को नुकसान हो। इस प्रकार का आरोप मैं लगा सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस उपेक्षा के कारण सदन में जो कानून बनता है, उसमें एक साल से ज्यादा समय नहीं लिया जाय।

तो इससे मालूम पड़ता है कि मंत्री महोदय या इसमें काम करने वाले लोग ऐसे मालिकों से सम्बन्ध रखते हैं और इसी कारण मजदूरों को नुकसान हो इस तरह की चीज़ हमारे सामने आती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में मंत्री महोदय को उदार दिल होना चाहिए, लेबरर्स के हित को ध्यान में रखना चाहिए, मंत्री महोदय लेबर के सम्बन्ध में उदार दिल हो सकते हैं, अभी लेबर कॉन्फ्रेन्स हुई तो उन्होंने बड़े अच्छे विचारों को प्रकट किया कि यह करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसी ही स्पीचेज़ तीन साल से सुनता आ रहा हूँ, पर स्पीचेज़ कोरी स्पीचेज ही रह जाती हैं, कार्य रूप में परिणत नहीं की जातीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन इसमें किया जा रहा है, इसके बाद हमारी क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, इसको चैलेंज किया जायगा या नहीं किया जायगा इस बात पर भी हमें इस समय विचार करना होगा। यदि इससे मजदूरों के पक्ष को नुकसान होगा तो मजदूर इसे चैलेंज कर सकते हैं और मालिकों के पक्ष को नुकसान होता है तो वे लोग चैलेंज कर सकते हैं। पर मेरे दिमाग में थोड़ा सा इस प्रकार का कन्फ्यूजन है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह संशोधन लाये हैं उसमें कहा है कि जो अवार्ड्स हम दे चुके हैं, जो अवार्ड्स लागू होने चाहिये, उनसे नुकसान नहीं हो। जो लेबरर्स को नुकसान होता है उसको बन्द करने के लिये नुकसान को हल करने-के लिये ही तो अवार्ड्स लाते हैं, अगर आपकी ऐसी मंशा है तो आपको पुराने अवार्ड्स का पालन कराने के लिये दृढ़ता और कठोरता से कदम उठाना होगा। आपका डिपार्टमेंट मजदूरों के साथ न रह कर मालिकों के साथ रहता है, फैक्टरी इन्स्पेक्टर्स बॉयलर्स इन्स्पेक्टर्स हैं वे मालिकों से मिलकर मजदूरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यदि आप सबूत चाहें तो फैक्टरी

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक्ट के अन्दर इन लोगों ने आज तक क्या क्या कार्यवाहियां कीं, क्या क्या एक्शन लिये, यह आप देखिये तो सब पता चल जायगा।

यदि आप इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, यदि आप यह दृष्टिकोण रखते हैं कि मजदूरों को फायदा पहुँचायें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कानून आपने बनाये हैं, उन कानूनों का पालन कहां तक हुआ है, इसको मद्देनज़र रखें और उनका पालन कराने के लिये सतर्क रहें। यही कह कर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि छोटी सी बात है, सेक्शन ७ को वेलिडेट करने के लिये यह बिल लाया गया है। तो हमारी डिबेट इसी सम्बन्ध में हो ताकि सदन का समय बच सके। इसलिये इससे स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट हो इसका ध्यान रखते हुए बोलें।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, जिस बिल पर सदन विचार कर रहा है यह सेंट्रल एक्ट था। विभागीय कानून १६४७, इसकी धारा ७ के तहत औद्योगिक न्यायालय बनाने का प्रोविज़न था। ५६ में एक अमेंडमेंट हुआ और इसके द्वारा दुबारा औद्योगिक न्यायालय बनाने का प्रोवीज़न रखा गया और धारा '७ ए' जोड़ी गई। इसके बाद में वह अमेंडमेंट १० मार्च, ५७ में लागू हुआ। १० मार्च, १६५७ के दिन सरकार को चाहिये था कि राजस्थान में औद्योगिक न्यायालय की स्थापना कर देती पर सरकार ने न मालूम क्यों ऐसा नहीं किया इतने दिनों तक सोते रहे! लॉ डिपार्टमेंट और श्रम विभाग जिनके ऊपर राजस्थान के मजदूरों के सम्बन्ध में कानून कायदे बनाने की जिम्मेदारी है वे दोनों विभाग बिलकुल अनभिज्ञ रहे, या यह कहना चाहिये कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, राजस्थान असेम्बली का पिछले दो वर्षों का अनुभव मुझे बताता है कि राजस्थान विधान सभा में जितने कानून, जितने कानून सदन में पास किये जाते हैं, उनमें काफी खामियां रहती हैं और एक तरह से कहना चाहिये कि वे अपूर्ण रहते हैं, जिसकी मिसाल सारा सदन जानता है, बार बार अमेंडमेन्ट लाने पड़ते हैं, अमेंडमेंट लाये जाते हैं, हर तीसरे दिन एक नया अमेन्डमेन्ट एक कानून पर आता है। सरकार का लॉ डिपार्टमेंट इतना अनभिज्ञ है कि जो भी कानून लायेंगे उसमें दूसरे ही रोज अमेन्डमेन्ट लाने पड़ते हैं। यह जो खामियां रहती हैं, उनके पीछे दो कारण रहते हैं...

श्री सभापति : इसमें भी खामी है क्या?

श्री गिरधारीलाल : सारी खामी ही है साहब। सरकार दो साल तक सोती रही, मैं बताना चाहता हूं हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया जिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को देते हैं वह डिपार्टमेंट सोता क्यों रहा? दो साल तक बैठा क्यों रहा? सरकार का लॉ डिपार्टमेंट आज दिन जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से किसी सूरत में विश्वास नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट पर अमेंडमेन्ट आते हैं और जिस तरह के कानून बनने चाहिये उस तरह के

(श्री गिरधारीलाल)

कानून नहीं बन रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जिस कानून को मन्त्री महोदय इस प्रान्त पर लागू करना चाहते हैं, इस प्रान्त के कानून दूसरे प्रान्तों से आते हैं और हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी आलस्य में रहते हैं और हू बहू उनकी कापी मन्त्री महोदय को देते हैं और मन्त्री महोदय उसको उसी रूप में पेश कर देते है, यह नहीं देखते कि दूसरे प्रान्तों से हमारे प्रान्त की स्थिति भिन्न है।

दूसरा कारण यह है कि जिस वर्ग को हमारे प्रान्त की जनता ने सरकार चलाने का काम सौंपा हैं वह वर्ग उस कानून को बिना यहां की हालत देखे उस दूसरे प्रान्त के कानून की नकल सदन में सौंप देता है। श्रम विभाग की बात अभी माननीय सदस्यों ने बताई, मैं भी हमारे यहां के श्रम विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें दो मिनिट में बताना चाहूंगा। हमारे राजस्थान का श्रम विभाग है वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो मजदूरों को फायदा पहुँचाने वाले कानून हैं उनके अनुसार मजदूरों को जो फायदा पहुँचना चाहिए वह नहीं पहुंचाता। श्रम विभाग ढ़िलाई से सुस्त पड़ा रहता है कुछ नहीं करता। यह कानून यहां लागू कर रहे हैं, उसमें कानूनी खामियां हैं, उनको चैलेंज किया जायगा....

श्री सभापति : आप भावनाओं पर बहस मत कीजिये।

श्री गिरधारीलाल : भावनाओं पर नहीं, यह चैलेंज होगा साहब। सेंट्रल एक्ट है और उसको अमेंड कर रहे है।

श्री सभापति : अमेण्ड नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के डिसिजन को सामने रख कर यह विधेयक हमारे सामने आया है तो इस पर बोलिये। बोलने की इजाजत दे दी है तो जनरल इन्स्टान्सेज देने की कोशिश मत कीजिये।

श्री गिरधारीलाल : तो सभापति महोदय, मैं कहने जा रहा था कि इस कानून में खामी है और उसके लिए हाई कोर्ट में रिट की थी। मजदूरों को बड़ा नुकसान हुआ। इसकी सारी जिम्मेदारी मैं सरकार पर मानता हूं। दो साल पहले जो कार्य कर लेना चाहिये था वह सरकार आज तक नहीं कर सकी। श्रम विभाग यह बिल्कुल नहीं देखता कि मजदूरों के साथ किस तरह का बरताव किया जाता है। इसका मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। लोकवाणी अखबार चलता है, वहां से मजदूरों को निकाल दिया उनको तनख्वाहें नहीं दी। ६ जून, १६५८ को औद्योगिक न्यायालय द्वारा ४६१५ रु० ११ आ० की डिग्री कर के भेज दी, कलेक्टर साहब के पास भेज दी, वर्करों को कहां मिल सकता था, वर्करों को फायदा हो इस नाते से भेज दी पर किश्तों में ५) रु० महीने में वसूली करने का रखा। मन्त्री महोदय भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रकार की डिग्री की किश्तों में वसूली करने का कौनसा कानून है ? इस प्रकार कई उदाहरण दिये जा सकते हैं....

श्री सभापति : आपने एक उदाहरण के लिये कहा था वह दे दिया। मुझे खेद है कि इसके लिये कहना पड़ता है कि जो इससे स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट है उसी पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल : बोलने को तो एक ही बात है कि श्रम विभाग की नीति मज़दूरों के प्रति अच्छी नहीं रही है और न्याय विभाग की अनभिज्ञता के कारण देरी हुई है। एक तरफ सिद्धांतों कि बात करते हैं दूसरी ओर उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं करते। यही कह कर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (कॉन्स्टिटयूशन एन्ड प्रोसीडिंग्स) वेलिडेटिंग बिल हमारे सामने है और इसको अभी पास करने का विचार मन्त्री महोदय ने रखा है। यह पूरा कानून यह है कि राजस्थान सरकार अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए इस बिल को लाकर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहती है। जो कानून सेंट्रल एक्ट में हुआ है उसके कारण इस तरह का बोर्ड राजस्थान सरकार गठित नहीं कर सकी, ट्रिब्यूनल ही काम करता रहा उन गलतियों को दूर करने के लिए और दो साल तक जो काम किया है उसको वेलिडेट करने के लिए यह संशोधन कानून लाया जा रहा है। जो फैसले हुए हैं उनको गलत कर देना तो अच्छी बात नहीं रहेगी। जो निर्णय दिये हैं वे सारे के सारे ठीक समझने चाहिए। सैद्धान्तिक दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं। जो सेंट्रल एक्ट में संशोधन होता है और हमारा लॉ डिपार्टमेंट आंख मूंद कर सोता रहता है तो मुझे इस पर आपत्ति है। इस बात पर आपत्ति नहीं है कि आपके पुराने फैसले हुए हैं वे रेक्टिफाई नहीं हों, आपत्ति यह है कि लेबर डिपार्टमेंट दो साल तक क्यों सोता रहा, जितने पैन्डिंग केसेज़ थे वे ट्रिब्यूनल गठित करके फैसले करने चाहिये थे। दो साल तक हमने नहीं किया, सोते रहे और हमारी आंखें तब खुलती हैं जब दूसरा आकर हमारी आंख पर डंडा मारता है, लेबर डिपार्टमेंट तब जगता है जब दूसरा उसे जगाता है, वह जागरूक नहीं, वह नहीं जानता कब कब लॉ में अमेंडमेंट होते हैं। राजस्थान सरकार इस तरह सोती रहेगी तो कई लोगों को गलत लाभ और कई लोगों को गलत नुकसान होता रहेगा। तो इसके के लिए जो दोषी हैं उनको वार्निंग देना चाहिये। जब हाई कोर्ट में लोग गये और हाई कोर्ट से फैसला होता है, जो डिसिज़न आपके ट्रिब्यूनल द्वारा हुए हैं वे गलत हैं, ट्रिब्यूनल अवैध है।

आप मेजोरिटी में हैं, इसलिये मेजोरिटी के बल पर यह पास होगा, हम इसका विरोध इसलिये कर रहे हैं कि आपमें अकर्मण्यता फैली हुई है वह दूर हो। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। यह जो राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वेलिडेटिंग बिल जो इस समय पास करने की स्टेज़ पर है मैं इस सम्बन्ध में उन बातों को तो नहीं दोहराना चाहता जो मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कही हैं। थोड़ा सा यही कहूंगा कि यह वेलिडेटिंग बिल लाकर हाई कोर्ट के जजमेंट्स को सरपास करने की पद्धति अच्छी नहीं है। होना तो यह चाहिये कि हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार यह कानून बना दें।

एक माननीय सदस्य : सारे के सारे ऑर्डर्स इन्वेलिड हो जाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) :मजदूरों का क्या होता ?

श्री भैरोंसिह : मजदूरों का क्या होता, क्या नहीं होता, वह देख लेते पर इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है वह उचित नहीं है । एक व्यक्ति हाई कोर्ट में इसलिये जाता है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद उसे कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा, हाई कोर्ट में जाने के बाद उसे रिलीफ मिलता है तो वह अनुभव करता है कि हाई कोर्ट में पैसा खर्च किया परिश्रम उठाया, उसके बाद जो अपील या रिट किया है उसे हाई कोर्ट ने उचित माना है और मुझे रिलीफ दिया है तो सरकार को भी चाहिये कि हाई कोर्ट से जो उसे रिलीफ मिला है, वह उसे उसी प्रकार मिले । अब यह कहा जाय कि दो वर्ष के अन्दर इस तरह प्रोसिडिंग्स थे वे इन्वेलिड हो जायेंगे तो मज़दूरों का क्या होगा । मजदूरों को रिलीफ मिला है, वे रिलीफ पा रहे हैं, जिनका जजमेंट हुआ उनको तो आलरेडी रिलीफ मिल चुका । जिनके बीच डिस्प्यूट था वे उनको मुक्त कर सकते हैं, पर सरकार इस प्रकार कानून बनाती है, इस प्रकार के जजमेंट को लागू करने की बात करती है तो समझ में आ सकता था कि सरकार ने मान लिया है । चाहे उन निर्णयों में कितनी ही खामी क्यों न रही हो पर फैसले के बाद जो उचित निर्णय हुआ है वही माना जायगा ।

सभापति महोदय, इसके बाद एक प्रश्न पैदा होता है । हाई कोर्ट का जजमेन्ट आज तक दो महीने पहले हुआ । हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ उस समय कई मजदूरों के केसेज उन्हीं दिनों के अन्दर डिसाइड होने थे । उनका डिसीजन होने के बाद जब उनको यह पता लगा कि हम इस डिसीजन से एग्रीव्ड हैं रिट कर सकते हैं । या और कोई दूसरी प्रकार का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं । उस स्थिति में जब जानकारी मिली कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जितने जजमेन्ट हुए हैं वे सारे इनवेलिड करार दे दिये गये हैं वे व्यक्ति मौन होकर बैठ गये कि जिसके अन्तर्गत हम दबे हुए हैं वे रद्द हो गये है । उनको रिट करने की जरूरत नहीं । अब उनका क्या होगा ?

अगर अब वे रिट करने जाते है तो एडमिशन का क्वेश्चन एराइज होता है । ३ महीने के बाद रिट होती है तो देरी के कारण एडमिशन में भी बाधाएं उपस्थित हो सकती ऐसी स्थिति में या तो सरकार को यह चाहिये कि इनकी रैस्पोन्सिबिलिटी सरकार अपने ऊपर ले । जो कुछ रिलीफ वे क्लेम करें और टाइम का फैक्टर बाधा पैदा करे उसको दूर करने के लिये और क्लेम को स्वीकार करने के लिये सरकार अपने ऊपर लायबिलिटी ले । पर वह इसके लिये तैयार नहीं है । इस स्थिति में यह वेलिडेटिंग बिल पास कर दिया गया तो निश्चित रूप से उन पर असर पडेगा तो यह उन लोगों के साथ अन्याय हुआ ।

अब पूछें कि वे लोग जिन्होंने एक्चुअली हाई कोर्ट में जाकर विजय प्राप्त की उनका क्या हाल हुआ ? राजस्थान के निर्णय के खिलाफ या सरकार द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल के खिलाफ कभी भी कोई मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने अपने जजमेन्ट में उस सरकार के अथवा ट्रिब्यूनल के निर्णय को रद्द करार दे दिया तो सरकार कोई भी बिल असेम्बली में पेश करके अपने निर्णय को और अपने ट्रिब्यूनल के निर्णय को वेलिडेट कर सकती है । अब यातायात मन्त्री, जो अपने आपको जूडीशियल ऑफिसर कहा करते थे । उनके लिये हाई कोर्ट का यह निर्णय, यह स्ट्रिक्चर कि उनमें जूडीशियरी का एक्सपीरियेन्स नहीं है और इसी बिना

(श्री भैरोंसिंह)

पर और अन्य कुछ कारणों की बिना पर एस टी. ए. को भंग कर दिया और इनवेलिड करार दे दिया अब इसलिए इनवेलिड करार दिया है कि वे जूडीशियरी एसपीरियेन्स्ड नहीं हैं इसलिये इसका कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। आज यदि इसके लिये आप कहें कि हाई कोर्ट ने इसे इनवेलिड करार दिया है, इसको हैल्ड किया है और राजस्थान विधान सभा फिर वेलिड घोषित करती है। तो ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, इसके लिये बहुत ही नम्र निवेदन मन्त्रीजी से मैं करूंगा कि इस प्रकार फैक्टस रहेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की महत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जावेगी। जूडीशियरी के प्रति हाई कोर्ट जुडिशियरी के प्रति जो जनता को विश्वास है थोड़ा बहुत उसको भी आप निश्चित रूप से समाप्त कर देंगे। इस प्रेक्टिस के विरोध स्वरूप में जो विचार रखे हैं वे उचित हैं उन्हीं का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन-मन्त्री) : चेयरमैन महोदय, जितनी आपत्तियां की गई हैं उनमें मैं समझता हूँ कि यह हाई कोर्ट का फैसला कैसे हुआ और कहां गलती हुई इसके लिये पहले निवेदन कर रहा था वह अगर वे सुनते तो इतनी आपत्ति नहीं होती। मेरा निवेदन यह है कि न इसमें लेबर विभाग की गलती है न एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की और न लॉ विभाग की गलती है। बल्कि यह एक कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। क्या हुआ ? पहले एक कानून था उसमें दफा ७ थी। इसके बाद कानून अमेन्ड किया गया और ७ ए जोड दी गई। अब सवाल पैदा हुआ और हमारे लेबर विभाग ने लिखा और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने लिखा कि इसको अमेन्ड कर देना चाहिये। जनरल एक्ट की दफा २४ जो है उसके मुताबिक कोई अमेन्ड करने की ज़रूरत नहीं। दफा सात के अन्तर्गत जो आदेश दिया है वह ऑर्डर अभी वेलिड है। माननीय सभापति महोदय बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं नहीं कहूँगा कि वे स्वयं दफा २४ पढ़ लें इसमें इतनी शंका हो सकती हैं। वह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। इसका इन्टरप्रिटेशन यह है कि जो पहली दफा सात है वह सात रह सकती है। अगर हाई कोर्ट के अनुसार अपोइन्टमेंट सेपरेट होना चाहिए तो इसके इन्टरप्रिटेशन पर हो सकता है। लापरवाही यह विभाग की नहीं हो सकती। हमने यह मूव किया। इस पर हमने नहीं ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपोइन्टमेंट होना चाहिये अब यह कानून के इन्टरप्रिटेशन की बात है। आखिर मुंसिफ एक फैसला करता है, डिस्ट्रिक्ट जज दूसरा फैसला करता है, हाई कोर्ट दूसरा करता है। सुप्रीम कोर्ट और ऊपर बैठा है। वह दूसरा फैसला और कर सकता है। तो यह कानून का इन्टरप्रिटेशन कोई किस तरह करता है कोई किस तरह से। इसलिये कहता हूं कि इसमें लापरवाही किसी की नहीं रही।

किसी ने यह कहा कि हाई कोर्ट का दूसरा है इसलिये....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ७ ए में कर देते तो क्या होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो जाता तो कोई बात नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बता सकते हैं आपने मूव कब किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्टरप्रिटेशन होते ही मूव किया है। I have got the file with me.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कौनसी साल में मूव किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५७ में ही हमने मूव किया। ओरिजनल फाइल मैं अपने साथ लाया हूं। आप चाहें तो देख सकते हैं। किसी की लापरवाही की बात नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : लेबर विभाग ने कहा था कि अमेन्ड कर देना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। लॉ डिपार्टमेंट का यह इन्टरप्रिटेशन था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह इन्टरप्रिटेशन की बात है। लापरवाह की बात नहीं है। और भी बातें कहीं गई कि लेबर विभाग की ओर से बहुत से कानूनों में लापरवाही की जाती है। पर ऐसी बात नहीं है। मिनिमम वेजेज़ एक्ट के बारे में कहा है। इसके बारे में थोडी देर पहले मैं सदन में जवाब भी दे चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : उनके लिये क्यों ? उन अन्डरग्राउन्ड वर्कर के लिये ?

१२० ८:३।०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: हमने कोई चेन्ज नहीं किया। यह मैं कह सकता हूँ।

श्री सभापति : इसका सम्बन्ध बिल से नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता हाई कोर्ट के फैसले को हम सरकम्बेन्ट करके एमर्नीज करके कानून बनासकते हैं। इसके लिये अर्ज करता हूँ। हमने इस फैसले को सत्कार करके इसे मान्यता दी है। अब चूंकि आपने यह इन्टरप्रिटेशन किया है इसलिये हम उसके मुताबिक कानून बना देते हैं। हम तो इससे हाई कोर्ट के फैसले का आदर कर रहे हैं, इस बिल को लाकार उसे इज्जत दे रहे हैं। अगर यह कह देते कि हम तो नहीं मानते इस बात को, तब तो कह सकते थे कि हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता नहीं दे रहे हैं। और जहां तक बिल का सवाल है यह तो मानते हैं कि यह होना चाहिए। जितने अवार्ड हुए हैं सब इल्लीगल कर दिये जावें। ऐसा भी नहीं है। एक इन्डिविजुअल केश में हाई कोर्ट ने ऐसा किया है। इसलिये दूसरे केसों में ऐसा करने की मन्शा उनकी नहीं है। उनके सामने एक ही केस आया है। बाकी का इल्लीगल करने की हाई कोर्ट की मन्शा नहीं थी। इसलिये हाई कोर्ट की मन्शा की इज़्ज़त करने के लिये ही यह वेलिडेशन बिल हम लाये हैं। इसलिये इस बिल को पारित कर दिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसीडिंग्स) वेलिडेटिंग बिल, १६५६ पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(१२.२०. म० प०)

राजस्थान लैन्ड रिफार्म्स एएड रिज़म्पशन ऑफ जागीर (ग्यारहवां) संशोधन विधेयक, ५६

(विचारार्थ लिया जाना)

श्री दामोदरलाल व्यास : मै प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रिफ़ार्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां) संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मुरलीधरव्यास (बीकानेर नगर) : मैंने कल एक इस प्रकार का पत्र सचिवमहोदय को दिया था और उसमें इन्फोर्मेशन प्राप्त करने का लिखा था। नेहरू अवार्ड जो है इसको किस कमेटी ने और किसकी तहत यह किया उसकी रिपोर्ट डिमान्ड की थी और इस के विचार करने से पूर्व वह रिपोर्ट और सारा इससे सम्बन्धित मैटीरियल पहले मिलना आवश्यक है । उसको सदन की मेज़ पर रखने के लिये लिखा था। पर वह सदन की मेज़ पर अभी तक रखा नहीं गया है इसलिये वह मैटीरियल न दिया जावे । तब तक इसे पारित न किया जावे । यह महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री सभापति : आप इसके सम्बन्ध में आफिस में जाकर सूचना लें और आज विचारार्थ लिया भी नहीं जा रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will give that information.

माननीय सभापति, जहां तक इसके सदन की मेज़ पर रखने का सवाल है अब आज रख दी जावेगी । माननीय सदस्य इसको सकेंगे । जो पंडितजी का अवार्ड है वह भी रख दिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : तीसरी चीज़ और। भूस्वामी संघ की ओर से क्या मांगें की गई थीं और उनको लेकर राजस्थान सरकार के साथ क्या समझौता हुआ था और उनमें कौनसा पॉइन्ट डिस्प्यूटेड था और उस पर फिर नेहरूजी का क्या फैसला हुआ था। यह सब भी जानकारी सदन की मेज़ पर रखी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितना भी रिलेवेन्ट रेकर्ड अवेलेबल होगा सब पेश कर दिया जावेगा। पर आपने यह किस आधार पर अन्दाज़ लगा लिया कि भूस्वामी संघ और राजस्थान सरकार के बीच कोई समझौता हुआ था । ऐसी कोई बात नहीं है। इस अवार्ड के मुतल्लिक जो सम्बन्धित लिटरेचर होगा वह रख दिया जावेगा । माननीय सदस्य उसे देख लेंगे।

श्री सभापति : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कल से विचारार्थ लिया जावेगा । आपके लिटरेचर प्राप्त करने के बारे में एश्योरेन्स मन्त्री महोदय दे चुके हैं वह सदन की मेज पर रख दिया जावेगा । उसे देखने के बाद कल जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन होगा तो जो भी विचार आप रखना चाहें रख सकेंगे ।

Page No.85

श्री मुरलीधर व्यास : अभी संशोधन रखेंगे।

श्री सभापति : जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ होगा तो संशोधन रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जनरल डिसकशन तो होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : It will be taken clause by clause tomorrow.

श्री भैरोंसिंह : इस पर जनरल डिसकेशन भी होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That motion has been put and carried and the Hon'ble Member has lost his chance. The motion has been put and carried.

श्री भैरोंसिंह : चान्स लोस्ट करने का सवाल नहीं है। कन्सीडरेशन के लिये लिया गया है इसका मतलब यह नहीं कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका मतलब यही है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ का ही है।

Now it will be taken clause by clause. When the motion for consideration was put, there was time for the Hon'ble Member to have a general debate.

श्री मुरलीधर व्यास : इसके पहले प्रार्थनापत्र दे चुका हूं। जब वह लिटरेचर नहीं सदन की मेज़ पर रखा गया तो उससे पहले फैसला नहीं हो सकता। जो मेमोरेण्डम रखा गया था उसमें की तीन चीज़ें कम से कम न मिल जावें तब तक विचार नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : जब प्रश्न पूछा गया कि कन्सीडरेशन के लिये लिया जावे तो उस वक्त उस पर जनरल डिबेट हो सकती थी। पर वह प्रश्न पूछा जा चुका और हाउस ने उसे पारित भी कर दिया तो उसके बाद वह स्टेज चली गई। अब तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन हो सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पारित नहीं हुआ साहब वह।

श्री सभापति : Order Order please.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह पारित हो चुका।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : हम सब को तो सिलेक्ट कमेटी में बिठा दिया और मन्त्रीजी ने इधर जल्दी जल्दी में इसे रख दिया और पारित करा लिया।

श्री सभापति : अब हम क्लॉज़ेज पर बहस कर सकेंगे रूल्स के मुताबिक। The stage is gone.

श्री मुरलीधर व्यास : आप खड़े थे इसलिये बीच में बोल नहीं सकें। आप देख लीजिये।

श्री सभापति : Now the stage

(श्री सभापति)

has gone, please, according to the rules.

श्री मोहरसिंह (चूरू) : हाउस ने तो राय नहीं दी।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही होती है कन्डक्ट ऑफ दी बिजनैस रूल्स के मुताबिक। उसके मुताबिक क्वेश्चन पुट अप हो गया और यहां से पास हो गया। इसलिये वह स्टेज़ गई। अब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस हो सकेगी।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : विचारार्थ लेने का पहले मौका देंगे।

श्री सभापति : I have already given my observations please.

सदन की कार्यवाही कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२ बजकर २५ मिनिट पर दिनांक १५।५।५६ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, १४ मई, १९५९)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	११०६४	रेन्जर, इन्द्रगढ़ द्वारा जलाऊ लकडी काटने की स्वीकृति ।	
नगरपालिका पाली ।		ज़िला बोर्ड सीकर की बकाया रकम ।	
ग्राम पंचायत, सांगानेर के सरपंच के विरुद्ध शिकायत ।		बाड़मेर ज़िले में नाजायज़ सोने का व्यापार ।	
जालोर सब-इन्स्पेक्टर व हैड-कान्सटेबिल के खिलाफ शिकायत ।		ग्राम शिमला, तहसील खेतड़ी में 'बी' श्रेणी का अस्पताल ।	
आबादी में प्लॉट्स का अलाटमेंट ।		वन विभाग के फोरेस्टरों की योग्यता और उनका वेतन ।	
जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट की ट्रक सर्विस ।		कृषि कोटे के लोहे का वितरण ।	
जीप स्टेशन वैगन आर० जे० के० ८७४ ।		पिक्चर पैलेस, उदयपुर ।	
कृषि कॉलेज़, उदयपुर का खर्च ।		कमला नेहरू अस्पताल, कांकरोली ।	
ग्राम पंचायतों की अपीलों में वकीलों द्वारा पैरवी ।		जोधपुर डिविज़न में सरकार पर हुई डिक्रियां	
तहसील दौसा में कुएं बनवाने व तालाबों की मरम्मत के लिये सहायता ।		कस्बों में बिजली लगाने की योजना ।	
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिक वर्कर्स फैडरेशन का प्रतिनिधि ।		गवर्नमेंट प्रेस द्वारा जयपुर स्टेशनर्स से सामान की खरीद ।	
ज़िला जल बोर्ड, भीलवाड़ा द्वारा कुओं के लिये दी गई धनराशि ।		**विधायी कार्य**	११९५५
		श्री निरंजननाथ आचार्य, सभापति प्रवर समिति, ने	

स्तम्भ

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८, पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

राजस्थान नगर सुधार विधेयक १६५७। ११२२५

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड ४८ ए पर आज पुनर्विचार किया जाकर उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४८ बी से ४८ डी, ४६ ए से ४६ बी, ५०,५० ए, ५० बी, ५१ से ५५, ५७ से ६७, ६८ से ७७, ७६ से ८१ तथा खण्ड १ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड ४६, ५६ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

नया खण्ड ६७ ए जोड़ा गया।

स्थगित खण्ड १७, १८, १६ (संशोधित रूप में) २०, २०ए, २२ तथा २३, २३ ए व २३ बी भी स्वीकृत हुए।

तत् पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रारूप पर विचार। ११२३६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मन्त्री, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त नियमों के प्रारूप को विचारार्थ लिया जाय, जो स्वीकृत हुआ।

तत् पश्चात् नियमों को सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण (गठन तथा कार्यवाही) वैधकारी विधेयक, १६५६। ११२३७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्रम मन्त्री, ने प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया। वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६। ११२६०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ।

Page No.89

स्कम्भ स्कम्भ

शुक्रवार दिनांक १५ मई, ५६ की कार्य सूची।

(१) स्थगन प्रस्ताव।

(अ) बीकानेर पॉवर हाउस की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित।

(ब) सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो निष्पादन अभियन्ताओं के आचरण से सम्बन्धित।

(२) **राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९।**

(खंडशः विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४८ का उत्तर देखिये)

लिस्ट ऑफ शेयरहोल्डर्स

१ श्री मुरलीलाल बहरी
२ श्री मखनसिंह जी
३ श्री सरदारी लाल
४ श्री तुलसीदास बहरी
५ श्री रामप्रकाश खन्ना
६ श्री फकीरसिंह
श्री किशनलाल मलोहत्रा
८ श्री जगदीशलाल खन्ना
९ श्री गनधाराम खन्ना
१० श्री कृष्णलाल कपूर
११ श्री गिरधारीलाल बहरी
१२ श्री त्रिलोकचन्द
१३ श्री शैरज़न बहरी
१४ श्री बिहारीलाल बहरी
१५ श्रीमती भगवत कुंवर
१६ श्री बसन्तराम
१७ श्री सज्जनसिंह
१८ श्री हरबन्सलाल
१९ श्रीमती विरनवली
२० श्री अमरनाथ
२१ श्री रणजीतसिंह
२२ श्री इन्द्रलाल बहरी
२३ श्री मुकुन्द आयाराम
२४ श्री प्रीतमसिंह
२५ श्री मंगलसैन मलोहत्रा

२६ श्री तिलकराज मलोहत्रा

२७ श्री चंदन शाह

२८ श्री श्रीराम

२९ श्रीमती निर्मल कुमारी

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ का उत्तर देखिये)

तहसील दौसा में तालाबों की मरम्मत के कार्य हेतु सहायता ।

सं०	नाम ग्राम	५५–५६	५६–५७	५७–५८	५८–५९	कार्य पूरा हुआ या नहीं	हिसाब ले लिया गया या नहीं	विशेष विवरण
१.	खोरा खुर्द		३५०			कार्य नहीं हुआ है ।	हिसाब नहीं आया है ।	कार्य पूर्ण कर हिसाब भेजने के लिये पत्र लिखा गया है । रकम वापिस मंगवाने के लिये पत्र लिखा गया है ।
२.	राजपुरा				२००			आईटम नं० २ से ४ तक का धन मार्च १९५९ में ही
३.	लवा				२५०			
४.	रायथला				२५०			दिया गया है अतः कार्य पूरा होने तथा हिसाब आने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तहसील दौसा में कुओं के बनाने हेतु सहायता

नं०	नाम ग्राम	५५–५६	५६–५७	५७–५८	५८–५९	कार्य पूरा हुआ या नहीं	हिसाब ले लिया गया या नहीं	विशेष विवरण
१.	गुप्तशेवर			२००		कार्य आरम्भ की सूचना नहीं आई है।	हिसाब नहीं आया है	रुपये वापिस जमा कराने को लिखा गया है।
२.	कुण्डल			५००		कार्य नहीं हुआ है।	१०११ रु० का हिसाब आया है।	
३.	ढाणी जामा			१०००		,,	११७५ ,,	
४.	भांडारेज			५००		,,	६४२.८.० ,,	
५.	उदयाला		५००	५००		,,	१५७२.८.० ,,	
६.	विशनपुरा		२५०	२५०		,,	६४६.८.० ,,	
७.	नागल बैरसी		१०००			पूरे काम का अधूरा है।	२०४६ ,,	
८.	दौसा खुर्द		५००			कार्य पूरा नहीं हुआ है	५००.१४.६ ,,	
९.	सिन्दोली		२५०					दिया हुआ धन वापिस जमा हो गया है।

१	२	३	४	५	६
१०.	मैंथल	१००	कार्य पूरा हो चुका है।	५२५.८ आ का हिसाब आया है।	
११.	हरिपुरा	२००			आईटम नं० ११ से १९ तक
१२.	महेसरा कलां	२००			का धन मार्च १९५९ में ही
१३.	कलौता	५००			दिया गया है अतः कार्य
१४.	पापड़दा व आलूदा के मध्य	२००			पूरा होने तथा हिसाब आने
१५.	खैरवाल	२००			का प्रश्न ही नहीं उठता है।
१६.	लवा व पापड़दा के रास्ते में	१५०			
१७.	जीरोता खुर्द	१५०			
१८.	मलवास	३००			
१९.	खैरवाल खेल निर्माण	२००			

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक १४ मई १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
११०९९	२३	श्री गोकुलचंद यादव	श्री गोकुलचन्द जाटव
१११०३	६	ऑफिसस	ऑफिसर्स
,,	१८	ऐसी	ऐसे
१११०५	८-९	देने कृपा	देने की कृपा
१११९०	९	इलेक्ट्री सिटी	इलेक्ट्रिसिटी
११११९	१६	जाच	जांच
१११२१	१४	(श्री मामोपुर)	(श्री माधोपुर)
,,	१५	करने पूर्व	करने से पूर्व
१११२२	८	उसका	उसकी
,,	१८	फर्मो	फरमा
१११२५	२१	गर्डस	गर्डर्स
१११२७	अन्तिम	क्य	क्यों
१११३१	८	दान	धन
१११३२	शीर्षक	कतप्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१११४२	६	position	positions
१११४४	६	वगैन	वैगन
१११४७	१७	ठा० मदनसिंह	ठा० श्री मदनसिंह
१११४९	५	१५५७ रामधन	१५५७ श्री रामधन
१११५३	१५	स्वाय	स्वायत्त
१११६१	२	जानते हा	जानते हैं
१११६२	७	उनकी	उनकी
१११६४	अन्तिम	सवाल	का सवाल
१११६५	३	challdged	challenged

१	२	३	४
१११६५	१०	क्लेक्टर्स	कलेक्टर्स
१११६६	९	तोनों	तीनों
१११६९	१०	करैंगे	करेंगे
१११७०	अन्तिम से ३	improement	improvement
१११८१	२०	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१११८७	६	संशोधन	संशोधित
१११९०	१०	apnpr	a proper
१११९८	४	कौई व्यक्ति	कोई व्यक्ति
,,	२२	ढ़ेंगे	देंगे
११२००	१४-१५	oppoe	oppose clause
,,	१५	interestingolause	interesting
११२०१	१४	surney	survey,
११२१२	३	कम्पनसेशन	कम्पन्सेशन
११२१३	२४	लोगों कौ	लोगों को
११२१५	२८	फक्शन्स	फंक्शन्स
११२१५	अन्तिम से ४	में	मैं
११२३१	२३	एसेटस	एसेट्स
११२३१	३०	एकाडन्ट	एकाउन्ट
११२३१	३३	सिम्बल	सिम्पल
११२३४	१	Hon'dle	Hon'ble
११२३६	शीर्षक	विधेयक, १९५७	विधेयक, १९५९
११२४२	अन्तिम से ४	स	पास
११२४७	९	परिणत	परिणित
११२५९	१८	केश	केस
११२६०	३	(ग्यारहवां) संशोधन	(ग्यारहवां संशोधन)
,,	७	,,	,,
,,	१५	यगा	गया
११२६१	६-७	इसको सकेंगे	इसको देख सकेंगे